खण्ड-355, अंक-9
बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(3 मार्च, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1063–1067
प्रश्नोत्तर	1067–1106
तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग	1106–1108
उन्नाव जनपद में परियर बांध निर्माण योजना से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1108–1109
थाना सफदरगंज, बाराबंकी की पुलिस द्वारा दो हरिजनों, सगे भाइयों की इनकाउन्टर के नाम पर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1109–1110
ग्राम बोहरे का नगला थाना नरहौली, जिला मथुरा निवासी श्री मंगल पुत्र बने सिंह को थाना सेवर जिला भरतपुर, राजस्थान को पुलिस द्वारा गोली मार कर अपहरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1110–1111
श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1111
श्री राम आसरे वर्मा द्वारा सदन में बैठ बैठे एक कागज पढ़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1112–1113
मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1113–1115
जनपद गाजियाबाद के हरसाव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस कर्मियों द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में वक्तव्य	1115–1118
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (पुरःस्थापित किया गया)	1119–1125
विधान भवन के गेट नं0 3 पर विधान सभा सचिवालय के एक कर्मचारी को पी0 ए0 सी0 के एक सिपाही द्वारा पीटे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	1125–1126
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री राम गोविन्द द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न को लेने की मांग	1126
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1127–1128
राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना	1128–1135

विषय	पृष्ट संख्या
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग रखने तथा खनिज, अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण), अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ विभाग . . . . (स्वीकृत)	1136—1185
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1186
अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन द्वारा अपना इलाज आर्थिक संकट के कारण न कराये जा सकने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1186—1187
नत्थी	1188—1191

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 3 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य–315

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर	कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
जनपद अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
		कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कृष्णवीर सिंह, कौशल, डाक्टर	आगरा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	केशोराम, श्री	बदायूं
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खरपत, श्री	वाराणसी
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री,	गोण्डा	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	कानपुर	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ	गया सिंह, श्री	उन्नाव
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गुलाम नबी, श्री	आगरा

गेंदा देवी, श्रीमती बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री इटावा
गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री बलिया
चन्दन सिंह, श्री मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री पीलीभीत
चारु चन्द्र आभा, श्री पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री बरेली
छत्तर सिंह, श्री बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
जंग बहादुर, श्री जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद
झिलमिट राम, श्री गाजीपुर
तपेश्वर, श्री आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री जौनपुर
त्रिवेनी, श्री आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री जालौन
दलजीत सिंह, श्री रामपुर
दामोदर शर्मा, श्री मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बस्ती
दीनानाथ, श्री बस्ती
दीपक कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री बहराइच

देवेन्द्र पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती वाराणसी
धरमपाल, श्री बहराइच
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री बुलन्दशहर
धूप राय, श्री देवरिया
नकली सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री देवरिया
नन्द राम, श्री बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री पिथौरागढ़
नियाज हसन खां, श्री प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री एटा
पन्ने लाल, श्री गोरखपुर
परमाई लाल, श्री हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
फख्रे आलम, श्री बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री खीरी
बच्चा पाठक, श्री बलिया
बदन सिंह, श्री आगरा
बनवारी राम, श्री वाराणसी

उपस्थित सदस्य

बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मो0 जमीर अहमद, श्री	एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रती राम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर

राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन एडवोकेट, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रुल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर

सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर	हरीशंकर, श्री	हरदोई
हरदेव, श्री	बलिया	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा	हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 3 मार्च, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत झूला पुल तथा निर्माण

*1—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 और 1979-80 में जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में किन-किन स्थानों पर झूला पुल स्वीकृत हुए हैं? दिनांक 30 नवम्बर, 1981 तक प्रत्येक झूला पुल पर कितना प्रतिशत कार्य हुआ है और कब तक वे झूला पुल बन कर तैयार हो जायेंगे तथा इनके देरी से पूरा होने का क्या कारण रहा है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)—

वांछित सूचना संलग्न तालिकानुसार है।

[देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 1188-1191 पर।]

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो तालिका संलग्न की है कृपा करके उसको देखने काष्ट करें कि सन् 1978-79 तथा 1979-80 के जो पुल हैं उनकी प्रगति कहीं-कहीं 5 परसेन्ट, कहीं-कहीं 6 परसेन्ट, कहीं-कहीं 45 परसेन्ट, कहीं पर 31 परसेन्ट हुई है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चार साल बीतने के बाद भी जो पुल अभी तक नहीं बनाये गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? जब सब प्रकार की सुविधा मिलने के बाद भी वे इन पुलों को नहीं बना रहे हैं और यदि वे उन्हें नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके क्या कारण हैं?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

अभी माननीय सदस्य ने जिन पुलों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, उनका उल्लेख तो किया ही नहीं। मान्यवर, बहुत से पुल पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से पुल सन् 1982 में पूरे हो जायेंगे। आमतौर से पुलों के बनाने में 3 वर्ष का समय लगता है। पिछले वर्ष सीमेन्ट का अभाव रहा है। अब हमने सीमेन्ट की व्यवस्था कर ली है। आशा है कि अब काम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

जो पुलों के निर्माण की धीमी गति है उसके लिये वहां विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, इस कारण भी वहां के निर्माण कार्य में ढ़ील हो रही है। क्या मंत्री जी इस कमी को दूर करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

श्रीमन्, जहां तक पी0डब्लू0डी0 विभाग का सम्बन्ध है तो ज्यादा कमी तो नहीं है। सम्भवतः कुछ स्थान रिक्त होंगे तो उन्हें पूरा कर दिया जायेगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि कुछ कार्य पूर्ण हो चुके है, उसका उल्लेख मैंने नहीं किया है। तो मान्यवर, गढ़वाल में तीन स्थानों पर कोटी ग्राम के निकट पश्चिमी नयार नदी पर, थैलसैण पट्टी वल्ली कंडारस्यूं में बलगढ़ नदी पर तथा कंडारस्यूं बलगढ़ नदी पर पैदल पुल का, इस तरह से तीन पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि मेरे क्षेत्र के जो पुल हैं उन पर कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सड़कें जरूर इधर-उधर की बनी हैं लेकिन वहां पर पुल बनाने का कार्य बिलकुल नहीं हुआ है, यह बिलकुल असत्य बात है। माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है इसमें तीन स्थानों का तो नाम ही नहीं है (1) सैणघाट सैंणी (2) कोठला तथा (3) बलगर नदी पर, लेकिन मान्यवर, मंत्री जी जी0ओ0 मंगा लें उसकी सूची में इनके नाम है। माननीय मंत्री जी के चुनाव-क्षेत्र में खटलगाढ़ नदी पर लहसया महादेव के बारे में कहा गया है कि मोटर मार्ग बन रहा है। मैं कहता हूं कि वहां पर कोई मोटर मार्ग नहीं बन रहा है। खटलगाढ़ और घोड़खाल में काफी अन्तर है। मोटर रोड बनाने का सब कार्य यहीं हो रहा है। जो सूचना मंत्री जी के पास है, वह सही नहीं है। जिन्होंने उनको यह सूचना दी है, वह गलत दी है। क्या मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय डाक्टर नौटियाल, मुझे लगता है कि आपकी सूचना बड़ी एग्जास्टिव है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सा काम हो गया और उसका उल्लेख नहीं किया। तो मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि पुलों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है बल्कि सड़कें बनायी गयी हैं। पुल वहां पर इरेक्ट नहीं हुए हैं, खड़े नहीं हुए हैं। मैंने मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र का भी उदाहरण दिया है कि

वहां पर कोई मोटर मार्ग नहीं बन रहा है परन्तु इसमें लिखा है कि मोटर मार्ग वहां बन रहा है। दो पुलों का उल्लेख इस सूची में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तरह की गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या मान्यवर, आप ही कोई ऐसा साधन ढूंढे कि स्थान पर जा कर मालूम हो जाये कि पूर्ण हुए या नहीं?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं और जो सूचना उन्होंने दी है कि पूर्ण नहीं है तो मैं इसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और जहां तक रसिया पुल की बात कही तो वहां नदी पर मोटर पुल बना दिया जाय, यह निश्चय किया गया है।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

क्या यह सत्य है कि वहां के अधिकारियों ने लोहा, सीमेन्ट आदि प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर में कहा है कि कमी थी, अब इकट्ठा कर लिया गया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या इन झूला पुलों को बनाने के लिये कोई निश्चित अवधि तय कर दी जाती है और उसमें काम न करने की स्थिति में कार्यवाही की व्यवस्था है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

अवधि होती है लेकिन इनमें विशेष कारणों से जैसा मैंने बताया, सामान आदि की कमी के कारणों पर भी विचार करना पड़ता है।

वाराणसी रोडवेज हेतु खरीदा गया त्रिपाल की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*2–श्री उदल (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 अथवा 1973 में वाराणसी रोडवेज के लिए तीन लाख रुपये का त्रिपाल खरीदा गया था, जो मौके पर पहुंचा ही नहीं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गयी है? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 से भी जांच कराई जा रही थी? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ?

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील राम सनेही घाट व तहसील फतेहपुर के किसानों द्वारा दिया गया मांग पत्र तथा कृत कार्यवाही

*3–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक समानान्तर शाखा दरियाबाद के जल स्त्राव (सीपेज) से प्रभावित तहसील रामसनेही घाट व तहसील फतेहपुर के हजारों किसानों ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1982 को एक मांग-पत्र जिसमें उनका यह संकल्प भी दर्ज है कि यदि जल स्त्राव से उनको उबारने

[श्री प्रदीप कुमार यादव–]
के लिए 26 जनवरी, 1982 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे दिनांक 27 जनवरी, 1982 से सत्याग्रह करेंगे, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मांग-पत्र में अंकित मांगें क्या हैं और अलग-अलग मांगों की पूर्ति हेतु 15 जनवरी, 1982 तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मांग-पत्र में अंकित मांगें निम्न प्रकार हैं:–

1–जल स्त्राव से लगाने व सिंचाई माफी।

2–जल स्त्राव को रोकने हेतु दोनों चैनेल्स को पक्का कराना।

3–जल स्त्राव से बचाव के लिये ट्यूबवेल लगाया जाना।

4–उक्त बिन्दु 2 व 3 की मांग पूरी होने तक एक चैनेल का चलाया जाना।

5–गर्की से तबाह गांवों को अन्यत्र बसाया जाना।

6–जल भराव समाप्त हेतु खारंजा बनाया जाय भड़हा नाले को और गहरा चौड़ा किया जाना।

7–फसलों की तबाही की क्षतिपूर्ति।

मांगों की क्षति पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:–

1–नियमानुसार जल स्त्राव से प्रभावित खेतों में सिंचाई की माफी दी जायेगी।

2–समानान्तर नहरों को पक्का करना संभव नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। रिसन के समाधान हेतु सीपेज ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है।

3–नलकूपों को क्षेत्र में लगाने का अध्ययन किया जा रहा है।

4–रबी की फसल के मध्य समानान्तर नहरों में से एक को पूरी क्षमता से चलाया जाता है और दूसरी में केवल बचत का पानी चलाया जाता है।

5–यदि कोई व्यक्ति स्त्राव से प्रभावित मकान के मुआवजे की मांग करता है तो जांच उपरान्त उचित प्रतिकर दिया जायेगा।

6–भड़हा नदी एवं इससे सम्बन्धित झीलों के जलोत्सारण हेतु सर्वेक्षण प्रगति पर है। बाढ़ नियंत्रण परिषद् की योजना प्रस्तुत करके कार्यवाही की जायेगी।

7–इस मांग के सम्बन्ध में विवरण क्रम संख्या–1 पर दिया गया है।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

उत्तर के सिलसिले में जैसा कि मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि नहरों को पक्का करना सम्भव नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है जल रिसाव को समाप्त करने हेतु सीपेज ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है तो इस तरह से यह साबित हो गया कि बाराबंकी में जल रिसाव की समस्या है, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप जानकारी न दें केवल प्रश्न करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

बाराबंकी जनपद में 541 हेक्टेयर जमीन इसके कारण क्षतिग्रस्त हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में लगभग 5-6 साल से एक भी दाना उन खेतों में नहीं हुआ है और जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि हम तीसरी शाखा बनाने जा रहे हैं तो उससे यह घटने के बजाय और बढ़ेगा तो क्या ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे और इसको पक्का करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह बात ऐसी नहीं है । यह जो ड्रेन बनाये जा रहे हैं वह जहां सीपेज होता है वहां ड्रेन बनाकर उस पानी को निकाला जाता है । पहले 541 हेक्टेयर जमीन जिसका कि मा0 सदस्य ने जिक्र किया इससे प्रभावित थी लेकिन अब केवल 179 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हुई है और पूरा हमें 154 किलोमीटर ड्रेन बनानी थी जो 108 किलोमीटर बनी है और इसमें से पक्का करना था 181 किलोमीटर जिसमे से 52 किलो-मीटर बनी है। इसके अतिरिक्त 200 नलकूप भी सैंक्शन हैं जिससे वाटर लेविल को नीचे किया जायेगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है सिर्फ उसी बात को बार-बार दोहरा रहे हैं तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है । यह तीसरी ड्रेन निकालने की वजह से 10-10 किलोमीटर तक यह सीपेज और बढ़ गया है । मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह गलतफहमी में न रहें और इसका पुनः निरीक्षण करवा लें और इसको पक्का करें । मैं मा0 मंत्री जी से जनहित में और अधिक उत्पादन के लिहाज को देखते हुए यह आश्वासन चाहता हूं कि इस ड्रेन को पक्का करवा दें तो कल्याण हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 यादव जी, सिंचाई मंत्री ने ट्यूबवेल के बारे में भी तो कुछ कहा था ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । वाटर लेविल के लिए 200 नलकूप प्रस्तावित हैं ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, यह जो शारदा सहायक नहर है यह विभिन्न जिलों से होती हुई जाती है और यह सीपेज की ऐसी समस्या हो गई है कि इससे लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है तो मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के बारे में क्या कार्यवाही शासन करने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सीपेज ड्रेन बना रहे हैं जिससे खेतों में पानी फैलने न पाये और दूसरा जो वाटर लेविल बढ़ रहा है उसके लिए नलकूप लगाये जा रहे हैं और तीसरा इसके जो किनारे हैं उसकी सफाई की व्यवस्था की जा रही है कि उसमें कमी न रहे और ड्रेन अच्छी बनाई जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मा0 मंत्री जी यह देखते हुए कि हरियाणा ने अपनी सारी नहरें पक्की कर दी है और उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक बड़ी नहर है, इस नहर को अगर पक्का कर दें तो जो पानी का सीपेज होता है वह बन्द हो जायेगा तो इस बात को देखते हुए और पानी की बरबादी को रोकने और खेतों को सीपेज से बचाने हेतु पूरी नहर को क्या पक्का करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह जाहिर है कि सरकार की मंशा है कि जहां तक हमारी पक्का करने की क्षमता है, हम कर देंगे, कुछ न कुछ हमने किया भी है । लेकिन यह काम इतना बड़ा खर्चीला है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनको देखते हुए सम्भव नहीं है कि सारी नहरों को पक्की कर दें। अभी माननीय सदस्य, बाराबंकी ने सवाल किया था, अगर इनके क्षेत्र को ही लें जिसके बारे में सवाल किया था तो उसको पक्का करने में ही 20 करोड़ रुपये की जरूरत है और अगर पूरा पक्का करें तो सैकड़ों करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुआवजे की मांग होने पर उसकी जांच करा कर मुआवजा देने की व्यवस्था की जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर या अपने अधिकारियों को भेज कर जांच करा कर दोनों साइड देख लें । वहां दोनों तरफ एक दो दो किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है । तो माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों द्वारा जांच करा कर जिनकी फसल बर्बाद हुई है और 10 वर्षों से बर्बाद हो रही है, उनकी फसलों का मुआवजा सामूहिक रूप से देने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मकान के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने की व्यवस्था है लेकिन जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है या खरीफ की फसल पैदा होती है और रबी की फसल नहीं होती है तब सिंचाई दर उनसे नहीं लेंगे और माननीय सदस्य ने जो कहा है उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री हरगोविन्द वर्मा–

7 साल से पूरे इलाके के किसानों की सारी फसलें चली गयीं, धान भी अब नहीं होता है क्योंकि वहां की जमीन रद्दी हो गयी है, धूप नहीं लगती है । मकानों के गिरने पर आपने मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन जब उनको खाने के लिये नहीं रहेगा और वे वहां से भाग जायेंगे, तो आप उनको मुआवजा देना क्यों नहीं तय करते पानी तो आपने भर रखा है, इसमें किसान तो दोषी है नहीं, फिर आप उनको मुआवजा क्यों नहीं देते ? इसका आप जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी बिना आज्ञा के आपने बोलना शुरू कर दिया और बराबर बोलते ही रहे इसलिये प्रश्नोंत्तर का प्रश्न नहीं उठता । आप कृपया विराजें ।

श्री मुख्तार अनीस–

मैं स्पष्ट प्रश्न करता हूं कि शारदा सहायक नहर की लम्बाई कितने किलोमीटर है और कितने किलोमीटर तक पानी रोकने की व्यवस्था की गयी है ? और जैसा कि अभी बतलाया गया कि हम लोग पानी रोकने के लिये स्थायी हल की तलाश में हैं तो यह योजना किन-किन जिलों में लागू होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कितनी लाइनिंग कर चुके हैं और कितनी बाकी है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि जो हल्के सीपेज से प्रभावित हैं, उसकी रिपोर्ट विभाग से मंगायेंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यादवजी, यह भी ध्यान रखें कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित हो ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

जहां सिंचाई खेत की नहीं हुई है वहां भी आपके विभाग द्वारा सिंचाई लिख दी गयी है तथा सिंचाई और लगान की वसूली सख्ती से हो रही है उसे आप कृपा करके मुल्तवी करा कर माफ करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

किस एरिया में ?

श्री प्रदीप कुमार यादव–

बाराबंकी जिले में जहां से सम्बन्धित प्रश्न है। मान्यवर, तहसील फतेहपुर और तहसील रामसनेहीघाट में जो सीपेज की जमीन है, उसका भी लगान और सिंचाई सरकार सख्ती से वसूल कर रही है। अमीनों के छापे पड़ रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उसे माफ करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई दर माफ कर दी जायेगी लेकिन लगान के बारे में जैसा कि मैंने कहा, उस पर विचार कर लिया जायेगा । क्योंकि यह मामला सीरियस है, इसको देखते हुए, अगर किसी की जमीन बर्बाद हो जाती है या फसल नहीं होती है तो उस पर विचार कर लिया जायेगा कि उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है । यह नीति का प्रश्न है, इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

जनपद बलिया, ग्राम सभा जगदीशपुर से बहादुरपुर तक शारदा सहायक नहर के निर्माण को स्थगित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र

*1–श्री गौरी शंकर भैय्या–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 13-4-81 का बलिया जनपद के ब्लाक गड़वार में ग्राम सभा जगदीशपुर से बहादुरपुर तक शारदा सहायक

नहर के निर्माण को स्थगित किये जाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो आवेदन पत्र पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

यह मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। निर्णय अपेक्षित है। अतः प्रार्थना पत्र पर कोई विभागीय कार्यवाही अभी संभव नहीं है।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

[माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित] क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन होने के बावजूद भी बलिया जनपद में आप के विभाग के लोगों ने कार्य शुरु किया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा कर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जहां पर नहर बननी थी वह जमीन एक्वायर कर ली गई है। तीन-चार गांवों को मुआवजा दिया जा चुका है। एक गांव जगदीशपुर को मुआवजा नहीं दे पाये हैं क्योंकि इसी बीच स्टे हो गया था। इस को देखा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय। कुछ लोगों की डिमान्ड आ रही है कि इसमें काम तेजी से नहीं हो रहा है। स्टे को ध्यान में रखते हुये जो भी कार्यवाही संभव होगी की जायगी।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जमीन में स्टे आया है उस पर स्टे के बावजूद भी निर्माण कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो जो हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी काम करा रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री, सम्भवतः वह यह जानना चाहते हैं कि स्टे किस काम के लिए आया है और कौन-कौन गांव का आया है। क्या जिन गांवों के लिए स्टे आ गया है वहां भी कार्य हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो स्टे हो गया है उस को देखते हुए जो लीगल पार्ट है उसको देखते हुये, स्टे के बावजूद कोई कार्य करते हैं तो जहां तक उन के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल है उसको देखा जायगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द–

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जो आवेदन-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया है उस के तथ्य क्या क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, ये गांव हैं जगदीशपुर, बैकुण्ठपुर, मेहमापुर...

श्री राम गोविन्द–

और भी हैं..

श्री वीर बहादुर सिंह–

और भी होंगे। यहां के लोगों की यह डिमान्ड आई है कि यहां पर सरकारी ट्यूबवेल हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, यहां पर नहर की आवश्यकता नहीं है। नहर न बनाई जाय।

श्री भोला पाण्डेय–

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आम जनता जो वहां की है चाहती है कि नहर बने और केवल चन्द लोग चाहते हैं कि नहर न बनायी जाय, इसी तरह से और जगह भी केवल चन्द लोग कह देंगे कि विकास कार्यक्रम न किये जायं, क्या इस तरह के कर्मचारियों को दण्ड देने की कोशिश करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जब यह देखा जाता है कि जमीन सूखी है, नहर बना कर उस क्षेत्र में हमको हरियाली लानी है, पैदावार बढ़ानी है तो नहर प्रपोज की जाती है। यह हो सकता है कि जिस की जमीन जाती है उसको कष्ट होता है। सारी बातों को देखते हुये कि सिंचाई जरूरी है, पैदावार को बढ़ाना है तो हम जमीन एक्वायर करते हैं, कमपेन्सेशन देते हैं। हम चाहते हैं कि जमीन एक्वायर की जाय, कमपेन्सेशन दे दिया जाय ताकि कष्ट न हो और नहर बन जाय।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। श्रीमन्, जहां यह नहर बन रही है वह एक फर्लांग चौड़ी पट्टी है जमीन, एक किलोमीटर लम्बी है। उस में चालीस ट्यूब वैल, चार सरकारी ट्यूब वैल है। जगदीशपुर, महेमापुर के लोगों ने समय समय पर आवेदन पत्र दिये हैं कि सिंचाई के जो साधन हैं वे पर्याप्त हैं और इस एक किलो-मीटर लम्बी और 1 फर्लांग चौड़ी पट्टी में एक लंगड़ा नदी बहती है और दूसरी टॉस नदी बहती है जो कि रसड़ा क्षेत्र से होकर निकलती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि इस पतली पट्टी में नहर जाय तो क्या इस नहर को दूसरे स्थान से ले जाकर नदी में मिलाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

वहां पर कितने पब्लिक और कितने प्राइवेट ट्यूबवेल हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या–

मान्यवर, 40 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं और 4 पब्लिक ट्यूबवेल हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें वहां पर 4 राजकीय ट्यूबवेल हैं और 34 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। हमने यह भी पालिसी तय कर दी है कि हम जहां पर इरीगेशन को बढ़ाने के लिये, सघन खेती के लिये, किसानों को जितने पानी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए प्राइवेट ट्यूबवेल की इजाजत दे दी है कि वे प्राइवेट ट्यूबवेल द्वारा अपनी खेती की सिंचाई कर लें, हम रोकेंगे नहीं। जितनी नहरें बनी हैं वह ट्यूबवेल लगे हैं, उनसे जितनी सिंचाई होती है यदि वह वहां के लिये कम पड़ता है तो हम विचार करते हैं कि जितना पानी बढ़ा सकें, उसका प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी मंशा सस्ते पानी से है जो कि किसानों को मिल सके।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने सबको हरियाली देने के लिए वहां पर पानी की व्यवस्था की है। मान्यवर, वहां पर एक टोंस नदी बहती है, दूसरे लंगड़ा नदी बहती है और तीसरी यह नहर वहां से ले जाकर वहां पानी ही पानी दे दिया है। इस तरह से वहां पानी ही पानी देकर हरियाली कर रहे हैं जिससे वह इलाका पानी से डूब जायेगा। इसलिये वह डूबा न रहे, कृषकों को अपनी फसल उगाने का मौका मिले, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या उक्त नहर को स्थगित करने का निर्णय लेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मान्यवर, जो सुझाव दिया है, उस पर हम विचार कर लेंगे लेकिन एक बात यह जरूर है कि जहां कहीं भी नहर निकाली जाती है वहां काश्तकार जिनकी जमीन निकलती है वे नहीं चाहते हैं कि वहां नहर आवे। इसलिए वहां के अन्य किसानों को भी सुविधा देने की बात है। फिर भी आपकी भावना को देखते हुये जो भी उचित होगा, हम कार्यवाही करेंगे।

जनपद गाजीपुर की सोनहरा अल्पिका को निरस्त करने संबंधी पत्र पर जांच एवं कार्यवाही करने हेतु आदेश

*5– श्री झिलमिट राम–

क्या सिंचाई मंत्री के पत्र सं0 4777, दिनांक 21-12-81 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मरदह राजवाहा से सोनहरा अल्पिका (माइनर) को निरस्त करने के विषय पर मुख्य अभियन्ता, लखनऊ से वांछित आख्या मांगी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी मंडल के पत्र संख्या 10358 सा0 नि0 सं0 वाराणसी/श-3, दिनांक 31-12-81 द्वारा श्री आनन्द मोहन कर, अधिशासी अभियन्ता, देवकली पम्प नहर खंड-2 गाजीपुर को अनुपालन हेतु आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उसका आज तक अनुपालन न करने, वांछित आख्या न देने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों पर है ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रस्ताविक सोनहरा अल्पिका को निरस्त करने संबंधी पत्र पर जांच कर कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये गये थे।

जी हां ।

वांछित आख्या मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हो गई है ।

श्री झिलमिट राम–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय पर आपकी वांछित आख्या क्या है ? उसकी एक प्रतिलिपि क्या आप प्रश्नकर्ता को भी देने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जो प्रार्थनापत्र दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने यह कहा था. . . .

श्री उपाध्यक्ष–

वे आपकी आख्या की प्रतिलिपि चाहते हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं । माननीय सदस्य की इच्छा थी कि यह माइनर न निकाली जाय और मैंने लिखा था कि अगर लोगों को वहां पर इसकी जरूरत है तब तो ठीक है और अगर किसान नहीं चाहता है, पानी की वहां पर आवश्यकता नहीं है तो इस पर विचार कर लिया जायेगा । लेकिन अगर वहां पर पानी की दिक्कत है, सिंचाई करना आवश्यक है और वहां के लोग चाहते हैं तो वहां पर मैंने कहा था कि यह भी विचार कर लें । फिर माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुये जो भी उचित होगा, कार्यवाही करेंगे ।

बुधवार, 3 मार्च, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–**श्री राम स्वरूप वर्मा–**

[21 वें मंगवार में तारांकित प्रश्न संख्या–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति के अध्यक्ष का नामांकन तथा विधि विभाग से राय

*2–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति के अध्यक्ष पद पर उ0 प्र0 शासन के कोई उच्च पदासीन व्यक्ति है ? यदि हां, तो वे कौन हैं और किसने उनको इस पद पर नाम निर्देशित किया है और क्या इस नाम निर्देशन के संबंध में विधि विभाग से कोई राय ली गई ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी–

जी हां ।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह, 2, हैले रोड, नई दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, इस समिति के अध्यक्ष हैं । अध्यक्ष का नामांकन शासन द्वारा किया गया था । जारी करने से पूर्व अधिसूचना विधि विभाग ने विधिक्षित की थी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है और अभूतपूर्व परम्परा बनाई गयी है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सन् 80 में जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था अपने आपको मंदिर समिति में खुद नामजद कर दिया. . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

पृष्ठ भूमि बता रहा हूं । दिल्ली के पते पर और राज्यपाल महोदय ने अपने अलावा उस समय जो उनके एडवाइजर थे श्री जी0 डी0 शुक्ला और अपने दामाद श्री रामानन्द एडवोकेट बिहार को भी मनोनीत कर दिया इस बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति में, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल खुद अपने

आप को मंदिर समिति का अध्यक्ष नामजद कर सकते हैं ? तो क्या उस समय विधि विभाग से कोई परामर्श लिया गया, विधि विभाग की उस समय की क्या राय थी ? अपने को नामजद करने से पूर्व राज्यपाल महोदय ने क्या विधि विभाग से राय ली तो वह राय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष–

नामांकन कब हुआ ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी–

मान्यवर, ,29-4-80 को जारी किया और उस समय यहां राष्ट्रपति शासन कायम था ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कहा कि क्या कोई लीगल ओपीनियन ली थी और ली थी तो क्या है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी–

मैंने बताया कि विधिक्षित करवाया था अधिसूचना जारी करने के पहले और उसके बाद पिछले सदन में यह चर्चा उठाई गयी थी और इसे पुनः दिखवाया गया और विधि विभाग की राय है कि यह अवैध नहीं है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह जो बद्रीनाथ टैम्पुल कमेटी है इसके कार्यकलापों की छानबीन हम सदन में भी करते हैं और कर सकते हैं । सदन की अपनी परम्परा और नियमों के अनुसार महामहिम राज्यपाल के बारे में यहां कोई टीका नहीं कर सकते हैं। यदि वे बद्रीनाथ टैम्पल समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं तो क्या हमारा वह अधिकार जिसके माध्यम से हम उनके गलत कार्यों की टीका नहीं कर सकते हैं और बद्रीनाथ टैम्पुल के कार्यकलापों की टीका कर सकते हैं तो क्या वह बाधित और प्रतिवंधित नहीं होगा ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वयं को राष्ट्रपति शासन के दौरान मनोनीत कर लिया था और जब उनकी सरकार हो गयी तो क्या शासन की ओर से कोई उनसे आग्रह किया गया कि श्रीमन् जी आप स्वतः मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने नामांकन को वापस ले लें और यदि वह संविधान में विहित उनकी जो मर्यादायें हैं जो मान्यतायें हैं उनके बाहर जाकर काम करते हैं तो क्या हम लोग भी हमारी परम्परायें हैं उसके बाहर जाकर काम करने का अधिकार है । तो क्या शासन ने उनसे कोई प्रार्थना, आग्रह, अनुनय विनय की इस संबंध में ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी –

श्रीमन्, जैसा माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है मैं स्वीकार करता हूं, उसमें वजन है और राज्यपाल महोदय की टीका भी यहां पर नहीं की जा सकती है । लेकिन औचित्य के दृष्टि से संभवतः आपका कथन सही हो लेकिन इस विषय में अगर माननीय सदन यह भी विचार करे कि बद्रीनाथ टैम्पुल कमेटी के सुप्रबंध के लिए एक सर्वोच्च व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से यह जिम्मेदारी ली, हमने सोचा कि इस कमेटी के प्रबंध के बारे में अधिक आलोचना होती है उसमें सुधार होगा।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के सर्वोच्च व्यक्ति ने बद्रीनाथ टैम्पल को चलाने की जिम्मेदारी

ली है और मंत्री उसको निभाने के लिए उनको सहयोग भी दे रहे हैं तो जब प्रदेश के सर्वोच्च व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली तो क्या उससे पहले माननीय मंत्री जी ने विधि विभाग की राय ली थी । बाद में जो जानकारी ली उसको मैं जानना नहीं चाहता हूं आपने उनको जिम्मेदार बनाने से पहले क्या राय ली थी, क्या उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी –

अधिसूचना जारी होने पर उसमें सारी बातें प्रागदर्शन से देख ली जाती हैं । विधि विभाग से वैट भी कराया गया। यह सरकार की एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स हैं । उस समय चूंकि प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था और राज्यपाल में सारे अधिकार निहित होते हैं उनका प्रयोग करके एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स होते हैं और उसका वेटिंग विधि विभाग से कराया गया ।

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मोहन सिंह–

इस प्रदेश में महामहिम राज्यपाल का उच्च पद है और वे हमारी आलोचना से परे हैं । परम्पराओं और मर्यादाओं के अनुरूप महामहिम राज्यपाल मंत्रि परिषद को मनोनीत करते हैं । यदि मंत्री जी उनके इस अधिकार को मानते हैं तो . . .

(कई सदस्य पुनः एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

इतने लोग यदि एक साथ बोलने लगेंगे तो रिपोर्टर्स कैसे रिपोर्टिंग करेंगे । उचित होगा यदि एक एक माननीय सदस्य बोलें । पहले सब लोग विराजें पहले आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें ?

(सदस्यों के बैठने पर)

श्री मोहन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि प्रशासन के सर्वोच्च व्यक्ति ने अपने आप को ही नामिनेट कर दिया। माननीय महामहिम् राज्यपाल मंत्रि परिषद् को नामिनेट करते हैं और उनको शपथ दिलाने का अधिकार है।यदि वे स्वयं अपने को ही मुख्य मंत्री घोषित कर दें तो क्या सत्ता पक्ष स्वीकार कर लेगा ? इस प्रकार का काम करने पर उनके विरुद्ध महा अभियोग लगाया जा सकता है लेकिन संविधान के तहत हमको वह अधिकार नहीं है ।

एक सदस्य–

माननीय मुख्य मंत्री के सुझाव पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं, अपने आप स्वयं नहीं करते हैं ।

श्री मोहन सिंह–

माननीय राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है ।

मान्यवर, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम के इस कर्तव्य से हमारी विधान सभा का अधिकार क्षेत्र प्रभावित हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से

आग्रह करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन की और खासकर विपक्ष की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए कि यह कार्य उनका उचित नहीं है, अब किसी अन्य व्यक्ति को अपने को वापस करके उस पद पर जिसकी पर्वतीय मंत्री जी चाहते हों, जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हों और जिसे मंत्रि परिषद् के लोग चाहते हों, ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बात सही है कि माननीय राज्यपाल महोदय पर यहां कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता और उसमें दिक्कत हो सकती है जैसा कि आपने व्यक्त की है। मैं आपकी भावनाओं को उन तक जरूर पहुंचा दूंगा।

जनपद बहराइच में रोडवेज का डिपो स्थापित करने पर विचार

*3–श्री देवी प्रसाद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में अब तक रोडवेज का डिपो स्थापित नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि लगभग 3 वर्ष से 2 1/2 लाख रुपया इसी कार्य के लिए सरकारी कोष में जमा भी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बहराइच में भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण रोडवेज का डिपो अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। 2 लाख रुपये की धनराशि भूमि के प्रतिकर हेतु जिलाधिकारी बहराइच के निर्देशानुसार सेविंग बैंक खाते में दिनांक 18-2-76 से जमा है किन्तु इस भूमि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा है। निर्णय के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री देवी प्रसाद–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच के जिलाधिकारी ने भी कोई रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रिपोर्ट तो वही है जो मैंने अभी बतायी है।

श्री देवी प्रसाद–

वह क्या है ? उसे पढ़ दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, उनकी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इस भूमि का प्रतिकर विभाग ने जमा कर दिया है, लेकिन जब उस पर कब्जा लिया गया तो स्टे आ गया। स्टे आने के बाद यह विचारधीन है।

श्री धरमपाल सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह मुकदमा उच्च न्यायालय में निरस्त हो चुका है और सरकार के पक्ष में निर्णय हो गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अगर ऐसी बात है तो डिपो बनवाने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवी प्रसाद–

क्या यह सही है कि डिपो न बनवाने का एक कारण यह है कि परिवहन अधिकारियों और निजी बस चालकों के बीच कुछ घोटाला चल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसी बात नहीं है। जो सूचना आयी है उसमें यही कहा गया है कि स्टे आ जाने के कारण यह बन नहीं पाया। आपने अभी बताया है कि वह वैकेट हो गया है। अब उस पर, अगर ऐसा है, तो कार्यवाही की जायेगी।

रिग्स डिवीजन, गोरखपुर में भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं की जांच तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का निलम्बन

*4–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रिग्स डिवीजन, गोरखपुर में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता की गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग ने जांच कराया जिसमें प्राय: सभी आरोप सही पाए गए एवं उसी आधार पर अभी हाल में तीन वरिष्ठ अभियन्ता निलम्बित किए गए ? क्या यह सत्य है कि जांच रिपोर्ट में करीब एक दर्जन अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया है किन्तु उनका निलम्बन अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो उन लोगों के निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रिग्स डिवीजन, गोरखपुर में भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से कराई गयी। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक सहायक अभियन्ता, एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित किया गया है। विस्तृत जांच अभी जारी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।.

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस समय तक भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। इस समय तक निलम्बित है तो इसके बारे में जांच कब तक पूरी करा देंगे और अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिकायत हल्की है। जनवरी में निलम्बित हुये। आडिट सेल जांच कर रहा है रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग निलम्बित कर दिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच हुई है उसमें अब तक कौन-कौन अधिकारी जांच की लपेट में आये हैं और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो जांच रिपोर्ट आयी उसमें 3 अधिकारियों के बारे में गम्भीर आरोप मालुम हो

रहा है। तीनों को निलम्बित कर दिया गया और डिटेल इंक्वायरी की जा रही है जो कर्मचारी/अधिकारी उसमें आयेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती के बांसी विधान सभा क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने के आदेश

*5–श्री राम आसरे पासवान–(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के बांसी विधान सभा क्षेत्र में 10 नलकूप अलग से लगाने के आदेश दिये हैं ? क्या इसी प्रकार से जनपद के प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 10-10 नलकूप लगाये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि किसी क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल दिया गया है। प्रश्न में कहा गया कि यदि नहीं, तो ऐसा न करने का क्या कारण है। आपने अपने उत्तर में इस बात को नहीं दर्शाया है। मैं जानना चाहता हूं कि एक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल दिया जा रहा है उसका कारण नहीं बताया और कहा दे रहे हैं और अन्य क्षेत्र के लिये कहा जी नहीं। तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो क्षेत्र पिछड़े हैं। जहां सिंचाई के साधन कम है वहां पर नहर आदि नहीं है वहां की स्थिति को देखते हुये, बैकग्राउन्डस को देखते हुये उस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाये जाते हैं। यह देखा जाता है कि एरिया उपजाऊ है और ट्यूबवेल लग जायेगा तो स्थिति अच्छी होगी, लगाया जाता है।

श्री अकबाल हुसैन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी ने कहा जो क्षेत्र पिछड़े हुये हैं उनकी असमानता को दूर करने के लिये लगाये गये। मैं जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र से और बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं क्या उन क्षेत्रों में इसी प्रकार ट्यूबवेल लगायेंगे जैसे गोंडा का गैसडी क्षेत्र। इस तरह से हर पिछड़े क्षेत्र को क्या मंत्री जी विशेष आवंटन नलकूपों का करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, गोंडा में 300 करोड़ रुपये से सरयू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें गोंडा जिला सिंचाई से लाभान्वित होगा और साथ ही साथ एक हजार नलकूप लगाने का प्रावीजन, इसलिए अब शिकायत नहीं रहेगी।

श्री मोहन सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसी कमिश्नरी में एक अगड़ा जिला है देवरिया जहां 13 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मिलाकर 27 नलकूप दिये हैं और एक विधान

नोटः तारांकित प्रश्न संख्या 5 श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने पूछा।

सभा क्षेत्र को यहां से 10 नलकूप आवंटित करके भेजा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस कमिश्नरी के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों को जो समान रूप से पिछड़े हैं उसी आधार पर 10--10 नलकूप प्रति विधान सभा क्षेत्र में देने का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, प्रति वर्ष जो नलकूप लगते हैं उसमें से आप जानते हैं कि 10-10 प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को देना संभव नहीं हो सकता। लेकिन जहां देखते हैं कि नलकूप की जरूरत है वहां देते हैं। वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 45,00 नलकूप लगाने की बात है तो जहां सिंचाई के साधन नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने समान आधार नहीं अपनाया है, जबकि सभी चुनाव क्षेत्रों के लिये एक ही आधार रखने की नीति है तो बिना आधार के दे दिये। दूसरे पिछड़े क्षेत्र के आधार पर दिये हैं तो समान क्षेत्र हैं, समान पिछड़े हैं, इसलिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे एक समान आवंटन करने का और 10 नलकूप नहीं तो 9 नलकूप ही क्या देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण की जो योजना है, जो अगले वर्ष से लागू होगी, उसमें जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको वरीयता दी गयी है। इसलिये जो मा0 सदस्य की भावना है उसका आदर किया जायेगा।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि एक विशेष क्षेत्र में 10 नलकूप लगाने की बात तय हो गयी है। दूसरे क्षेत्र के लिये उन्होंने मनाकर दिया है। उत्तर से स्पष्ट है कि ट्यूबवेल लगाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी सिंचाई कमेटी थी जिलों में जो निर्धारित करती थी कि किस जिले में कितने नलकूप लगेंगे, दूसरे मेम्बर सदस्य होते थे, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो जिला कमेटी बनी है, उनका जो अधिकार था उसको क्या सरकार ने समाप्त कर दिया है या अभी चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने प्रश्न को सीमित करें।

श्री सूबेदार सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जिलों में सिंचाई सलाहकार समितियां बनी हैं उनका जो अधिकार था क्या उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है या वह अधिकार अभी चल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जिले की सिंचाई सलाहकार समितियां भी विचार करती हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं गन्ना मिल लग गयी और सिंचाई के साधन नहीं हैं तो स्पेशल केस में हम कुछ ट्यूबवेल एलाट करते हैं। बैकवर्ड एरियाज के बारे में जो डिमान्ड आती है तो उसके बारे में भी विचार करते हैं।

*6–श्री प्रियदर्शी जेतली–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच

*7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की इस समय कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 1979 में बहराइच से सम्बन्धित सर्वे मैप आफ इंडिया यह सम्बंधित प्रमुख अभियन्ता ने अपने नाम से लिया था जिसके बारे में यह आरोप लगाया कि एक महत्वपूर्ण नक्शों को जो रिस्ट्रक्टेड था, गोपनीय था, उसे विदेशियों के हाथ इन्होंने बेच दिया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि किस मुख्य अभियन्ता के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रमुख अभियन्ता के बारे में है। प्रमुख अभियन्ता एक होता है और वह हैं आपके श्री जी0 के0 मिश्र, उन्हीं के बारे में मैंने प्रश्न किया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिबंधित दस्तावेज है, वह अपने नाम से इशू कराया और वह गायब हुआ **जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया कि इस नक्शे को किसी विदेशी के हाथों बेंच** दिया गया। क्या यह मसला माननीय मंत्री जी के सामने आया और इसकी जांच की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जो सवाल किया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की इस समय कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ? मान्यवर, जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं, इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि श्री जी0 के0 मिश्र, प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायत मिली थी कि उन्होंने गिरजापुर फारेस्ट से 5 हजार पेड़ अनियमित रूप से कटवाये थे, जिनको बाद में यह कह दिया कि वह सैलाब में बह गया और बिना टेण्डर के लाखों रुपये के तारपीन लखनऊ की एक फर्म से खरीदा, क्या उसकी जांच चल रही है ? यदि चल रही है, तो उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इसमें उत्तर में, बाद में दिया कि "जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।" मान्यवर, अगर इस तरह की कोई बात होती तो जांच चल रही होती और तब मैं बताता।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, जैसा इन्होंने बताया कि कोई जांच नहीं चल रही है। इनको नहीं विदित है। गिरजापुर फारेस्ट के पांच हजार पेड़ों के अनियमित रूप से नीलाम करके कटवाने और लखनऊ की एक फर्म से बिना टेण्डर के लाखों रुपये के तारपीन खरीदने के संबंध में क्या जांच चल रही है? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करा कर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह जो सवाल है, इस सवाल से इसका मतलब नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य यदि चाहते हैं, तो जो शिकायत है लिखकर दे देंगे, तो जांच करा ली जायगी।

श्री रियासत हुसैन–

सवाल में स्पष्ट है मान्यवर, कि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत चल रही है और जवाब में कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। मान्यवर, इनको लिखकर दिया गया था, तो उस समय इन्होंने कहा था कि जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को याद दिला रहा हूं।

मैं प्वाइन्टेड बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी इसी माननीय सदन में कहे थे कि जांच चल रही है, इंक्वायरी हो रही है। पुनः इसको देखेंगे कि जांच हो रही है या नहीं है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना उपलब्ध थी मैंने बताया नहीं। यह हो सकता है जांच हो गई होगी। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात बतायें तो दिखलवा लूंगा।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक की ज्ञापित सेवा नियमावली

**1–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता विद्युत यांत्रिक की सेवा नियमावली जो लोक सेवा आयोग द्वारा एक वर्ष से अनुमोदित है, अब तक विज्ञापित नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक यह विज्ञापित कर दी जायेगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक की सेवा नियमावलियां क्रमशः वर्ष 1952 एवं 1963 में विज्ञापित की जा चुकी है। अतः पुनः लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने एवं विज्ञापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सेवा नियमावली में संशोधन हेतु कोई सुझाव लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या सर्विस रूल्स विज्ञापित हो गये हैं। मान्यवर, जहां तक संशोधन का प्रश्न है तो संशोधन तो आये दिन सरकार में आते रहते हैं, बहुत से क्वार्टर्स से रिसीव होते रहते हैं। जहां आवश्यकता होती है उसी हिसाब से संशोधन होते रहते हैं। मान्यवर, सेवा नियमावली विज्ञापित हो चुकी है और यह मेरे पास मौजूद भी है। आप कहें तो मैं सम्मानित सदस्य को प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह–

ठीक है।

जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील बबेरू के परगनाधिकारी व थानाध्यक्ष द्वारा जबरन सम्पन्न कराया गया विवाह

**2–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 10 फरवरी, 1982 को जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील बबेरू के परगना अधिकारी व थाना अध्यक्ष कमासिन सहित दर्जनों शस्त्रधारियों द्वारा ग्राम पछोहा के श्री हरी शिवहर के घर छापा मार कर परिवार के लोगों की पिटाई की और उसकी 16 वर्षीय पुत्री कुमारी भोला की शादी जबरन एक अन्धे युवक के साथ कराकर बलात् विदा करा कर ले गये ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं तथा संबंधित अफसरों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-2-82 को सायं 6 बजे एक स्थानीय पत्रकार तथा ग्राम प्रधान ओम द्वारा परगना मजिस्ट्रेट, बबेरू को यह सूचना दी गई कि ग्राम पछोंहा में आ रही एक बारात में ग्राम के कुछ अराजकतत्वों द्वारा शांति-भंग किये जाने की पूर्ण आशंका है। परगना मजिस्ट्रेट, बबेरू थानाध्यक्ष कमासिन को साथ लेकर प्रश्नगत गांव में गये और उन्होंने पाया कि वर पक्ष तथा ग्राम के कुछ अराजकतत्वों के बीच काफी तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त है। ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों तथा वर पक्ष के प्रमुख व्यक्तियों के समझौतापूर्ण प्रयासों से स्थिति सामान्य हो सकी और वर व वधू पक्ष के लोगों ने स्वेच्छा से विवाह कार्य सम्पन्न कराया।

मौके की जानकारी से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत वर अन्धा नहीं काना था। वधू जिसके पिता ने उसे वयस्क बताया है, ने स्वयं भी पूर्व नियोजित विवाह क्रियान्वित किये जाने पर बल दिया।

यह सही नहीं है कि परगनाधिकारी व थानाध्यक्ष कमासिन ने जबरन यह विवाह सम्पन्न कराया।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि जैसे कहावत है कि पान बड़ेरी पर चढकर बोलता है।

श्री उपाध्यक्ष–

बाराबंकी में।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि परगना मैजिस्ट्रेट बबेरू, थानाध्यक्ष कमासिन को साथ लेकर प्रश्नगत गांव में गये और उन्होंने पाया कि वर पक्ष तथा ग्राम के कुछ अराजक-तत्वों के बीच काफी तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त है। तो मान्यवर, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि सूचना मिलने पर परगना अधिकारी और थानाध्यक्ष गांव में गये और हमला बोलकर जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले आये और जबरदस्ती शादी हुयी। यह स्वीकार किया गया है कि वर अन्धा नहीं काना था। तो मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि इस मामले में तथ्य छिपाये गये हैं और अधिकारियों को बचाने के लिये प्रयास किया गया है तो क्या यह सही तथ्यों की जांच कराने के लिए सी0 आई0 डी0 से जांच करा-कर असलियत को सदन के पटल पर रखेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, असली तथ्य यह है कि प्राब्लम इन्टरनल है। प्राब्लम यह है कि बहनोई या तो साली के मामले में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या जब इंटरेस्ट लेते हैं तो जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीया मैं आपका उत्तर नहीं सुन सका।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने कहा था कि प्राब्लम इन्टरनल है, बहनोई या तो साली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।

(हंसी)

श्री मोहन सिंह–

अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, प्राब्लम यह थी कि हरीशिव हरे की लड़की की शादी बनी, वह चाहते थे कि लड़की की शादी हो जाय, वर श्रवण कुमार गुप्त हैं। तो उस पर बहनोई जी ने काफी एतराज किया। तो जैसा मैंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट बहनोई लेते हैं तो वही मसला आया। कहा गया कि दुल्हा अंधा है। तो बहनोई ओवर इंथ्यूजियास्टिक हो गये, उन्होंने शोर मचाया कि दुल्हा अंधा है, शादी नहीं होगी और उन्होंने 10, 5 लड़के जमा कर दिया। जब इसकी सूचना मिली एस0 डी0 एम0 को, तो जहां भी शांति भंग की सूचना आती है चाहे मीटिंग हो या शादी ब्याह हो तो एस0 डी0 एम0 जाते हैं तो एस0 डी0 एम0 वहां पहुंच गये। लड़के के जो पिता थे तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की की शादी न करें तो कम से कम हमारा सामान वापस कर दीजिये।

मान्यवर, तिलक भी हो गया था, गोद भराई भी हो गयी थी। जब वर पक्ष वाले वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारा सामान मिल जाना चाहिये, लेकिन लड़की ने कहा कि मैं तो भारतवर्ष की एक कन्या हूं, जब मेरी शादी तय हो गयी है तो फिर चाहे वह अन्धा हो या काना हो, शादी वहीं होगी। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि एक लड़का अन्धा हो या काना हो, क्या उसको अधिकार नहीं है शादी करने का, दुल्हन लाने का, जबकि कन्या ने भी कह दिया कि उसे कोई एतराज नहीं है। जब शादी हो गयी, तो अब तो मिठाई खाने की बात है।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीया गृह मंत्री को मुबारकवाद दे दूं कि उन्होंने इस विकलांग वर्ष में एक विकलांग की शादी करा दी, इसके लिये तो यह मुबारकवादी की पात्र हैं। लेकिन क्या माननीया गृह मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगी कि गोद भी भर गयी, सब कुछ हो गया, लेकिन फेरे किस जगह पड़े? उसी गांव में पड़े या जब एस0 डी0 एम0 साहब ले गये तो दूसरी जगह फेरे पड़े?

दूसरी बात, क्या आपके अधिकारी और थानाध्यक्ष के खिलाफ माइनर 16 वर्ष की लड़की की शादी कराने का जुर्म बनता है या नहीं? यदि बनता है तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, शादी वधू के पिता ने और वर के पिता ने मिलकर करायी। एस0 डी0 एम0 तो मिठाई खाने पहुंच गये होंगे।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन–

मेरा प्रश्न यह है कि जब इत्तला मिली तो एस0 डी0 एम0 और थानाध्यक्ष सारा फोर्स लेकर 151 को देखते हुए "एप्रेहैन्सन आफ ब्रीच आफ पीस" को एवाइड करने के लिये पहुंच गये। गोद भराई हो गयी और सब कुछ हो गया, तो फेरे उसी गांव में पड़े या उसको किसी दूसरी जगह ले जाकर उस काने विकलांग के साथ फेरे पड़े? क्या एस0 डी0 एम0 और थानाध्यक्ष ने इस काम में भाग लेकर माइनर 16 साल की लड़की की शादी कराकर जो अपराध किया है, उसमें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगी?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न लम्बा हो गया।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, प्रश्न मेरा बहुत छोटा है, लेकिन माननीया गृह मंत्री को समझाने के लिये मैंने इतना कहा।

(मा0 गृह मंत्री द्वारा प्रश्न न समझ पाने का संकेत करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं प्रश्न को संक्षिप्त किये देता हूं। पहला प्रश्न है शादी कहां हुई? जब शादी हुई तब लड़की मेजर थी या माइनर थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, फेरे गांव में ही हुए। मैं एक मिस-अण्डरस्टैंडिंग का उत्तर देना चाहती हूं कि "तिलक" और "गोद भराई" पहले ही हो गयी थी। उस समय तो यह था कि सामान वापस मिल जाय। लड़की बालिग है, उसकी आयु 18 वर्ष की है।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मान्यवर, इस प्रश्न के संबंध में मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लड़की की आयु 16 वर्ष की थी परन्तु मंत्री जी कह रही हैं कि उसकी आयु 17-18 वर्ष की थी?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने बालिग कहा है।

श्री हुकुम सिंह–

नहीं मान्यवर, 17-18 साल की कहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले बालिग कहा है, उसके बाद करेक्ट किया है कि 17-18 साल।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मंत्री जी ने तो लड़की की आयु बता दी है परन्तु उस युवक की आयु नहीं बतायी है कि जिससे उसकी शादी कराई गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस युवक की आयु क्या है? वह शादीशुदा है या नहीं, उसकी पहली पत्नी जीवित है या मर गयी? मान्यवर, ऐसे किस्से बहुत होते रहते हैं कि एक पत्नी के रहते लोग दूसरी शादी कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न अलग होता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र और गांव का मामला है। लड़की बालिग है और कान से बहरी है और बड़े-बड़े चेचक के दाग भी हैं। इसलिये दोनों का समझौता करा के यह शादी हुई है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, क्या अब शासन का यही काम रह गया है?

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शांति भंग होने की सूचना दी गयी वह वर की तरफ से किसी ने दिया या फिर वधू पक्ष की ओर से यह सूचना दी गयी?

श्री उपाध्यक्ष–

वह जानना चाहते हैं कि शांति भंग करने की सूचना किस तरफ से दी गयी, वर पक्ष ने दी या वधू पक्ष ने दी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, वर पक्ष की ओर से मदद मांगी गयी थी पुलिस से कि वहां पर झगड़ा है, हम बारात लेकर जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं, मैंने दो विकलांगों को मिला कर एक कर दिया तो मुझे आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

अब दो विकलांग मिल कर एक हो गये, अब जाने भी दीजिये।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है व्यवस्था के संबंध में।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं करना चाहिये।

श्री मुख्तार अनीस–

प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, अभी प्रश्नकाल बीता नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो विकलांगों का भला कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी को कितना मिला? उन्हें क्या-क्या मिला उसमें, यह बात बता दें?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य माननीया गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उस समुद्र मंथन में क्या-क्या निकला और उन्हें क्या-क्या मिला?

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, एक वर और एक वधू की शादी पर एक मां को जो खुशियां मिलती हैं, वह मैंने झोली भर-भर कर ले लीं।

अतारांकित प्रश्न

1–राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के क्रमशः 8 व 2 पद में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद

2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, लखनऊ मंडल का पत्र मय संलग्नक श्री देवी प्रसाद, सदस्य विधान सभा का दिनांक 19-1-1982 का इस आशय का पत्र मिला है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने यह स्वीकार

नोट:–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

किया है कि सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के क्रमशः 8 व 2 पद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अग्रेतीत किये गये, जो 30-3-1982 को स्वतः समाप्त हो जायेंगे के संबंध में मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त पदों पर अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की पदोन्नति की गई जबकि विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी विभागीय पदोन्नति के आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पत्र प्राप्त हुआ।

यह सही नहीं है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रोन्नति कोटे के विरुद्ध सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के क्रमशः 8 व 2 पद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किये गये हैं बल्कि शासन द्वारा वांछित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की प्रश्नावली के प्रस्तर 11(6) में क्रमशः 8 व 2 पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1-4-79 को आरक्षित दर्शाये गये हैं। वास्तव में इस प्रश्नावली के प्रस्तर 11(6) में जो सूचना अंकित है, उसका संबंध सीधी भर्ती से है, न कि प्रोन्नत प्रति-भाग की रिक्तियों से।

इस पत्र में अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 8 व 2 अभ्यर्थी उपलब्ध होने की बात की गई है न कि पद उपलब्ध होने की। भविष्य में विभाग में जो भी प्रोन्नतियां की जायेगी, उसमें निर्धारित आरक्षण के अनुसार उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की प्रोन्नति पर विचार किया जायगा।

मुरादाबाद मंडल के लिए पृथक उप निदेशक कार्यालय स्थापित करने का निश्चय

3–श्री राम कृष्ण माहेश्वरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मंडल बनने पर वहां की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुये क्या शासन ने मुरादाबाद मंडल के लिए पृथक उप निदेशक कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो मंडल में अभी तक उप निदेशक की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? कब तक कर दी जायेगी ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

जी हां।

वांछित पदों का सृजन अभी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं हुआ है।

वांछित पदों का सृजन हो जाने के पश्चात् ही नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही संभव हो सकेगी।

जोनल डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, मेरठ श्री यू0 के0 सिंह की मेरठ डिवीजन में नियुक्ति

4–श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जोनल डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मेरठ श्री यू0 के0 सिंह, मेरठ डिवीजन के निवासी हैं ? क्या यह सत्य है कि प्रथम श्रेणी अधिकारी अपने गृह मंडल में नहीं रह सकता है ? यदि हां, तो श्री यू0 के0 सिंह को यह सुविधा क्यों प्राप्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जोनल डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, मेरठ श्री यू0 के0 सिंह, मेरठ डिवीजन के निवासी हैं।

ऐसे कोई शासनादेश नहीं है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को गृह मंडल में न रखा जाय। शेष प्रश्न नहीं उठता।

5–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–
[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

6–श्री राम धनी तथा श्री राम करन–
[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

7–श्री राम गोविन्द–
[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

8–श्री भागीरथ–
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

9–श्रीमती गौरा देवी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या–
[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

10–श्री गौरी शंकर भैया–
[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

बलिया जनपद के राजकीय नलकूप व पम्प नहरों में खराबी तथा राजकीय नलकूपों का कमाण्ड एरिया

11–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री गौरी शंकर भैय्या–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के राजकीय नलकूप व लिफ्ट सिंचाई नहरें मोटरों की खराबी, नालियों की दुर्दशा तथा विद्युत ट्रांसफार्मरों के खराब रहने के कारण अपनी पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं कर रही है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूपों तथा लिफ्ट सिंचाई नहरों का अलग अलग सिंचाई के कमांड एरिया क्या है तथा 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 82 तक उपरोक्त के द्वारा कितने एकड़ जमीन की सिंचाई की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । राजकीय नलकूप व पम्प नहरें विद्युत की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से सिंचाई नहीं कर पा रही है।

बलिया जनपद के राजकीय नलकूपों का कमाण्ड एरिया 1,41,300 एकड़ तथा पम्प नहरों का कमाण्ड एरिया 20675 एकड़ है।एक जनवरी, 1981 से एक जनवरी 1982 तक राजकीय नलकूपों के द्वारा 43,493 एकड़ एवं पम्प नहरों से 5,295 एकड़ सिंचाई की गई है।

12–श्री राम आसरे वर्मा–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

13–श्री भागीरथ–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

ग्राम ककरा कलां, जिला बरेली में किसानों पर लगाया गया सिंचाई कर

14–श्री नन्द राम

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 81 में प्रेषित एक पत्र इस आशय का मिला है जिसमें बरेली जिले के तहसील फरीदपुर के ग्राम ककरा कलां के किसानों पर नाजायज सिंचाई कर लगाया गया है तथा जिन लोगों पर लगना चाहिये उन्हें छोड़ दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या अनियमितताएं बरती गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, जांच करायी गयी है, किन्तु कोई अनियमितता नहीं बरती गई, एवं शिकायत निराधार पायी गई।

रौशनदौला कचेहरी, लखनऊ के दक्षिण गेट शर्मा होटल के पास टैक्सी स्टैण्ड

15–श्री अकबर हुसैन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि रौशन दौला कचेहरी, लखनऊ के दक्षिण गेट शर्मा होटल के पास क्या कोई प्राइवेट टैक्सी स्टैण्ड शासन से स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो गोसाईगंज, नगराम, मोहन लालगंज, मौरावां आदि स्थानों को मिनी बस व मेटाडोर किसके आदेश से उस स्टैण्ड से आती-जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में आशुलिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा का अघोषित परीक्षाफल

16–श्री रियासत हुसैन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1981 में आशुलिपिक की प्रतियोगिता परीक्षा जो मुख्य अभियंता (सिंचाई विभाग), लखनऊ द्वारा ली गई थी उसका परिणाम घोषित न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अगस्त, 1981 में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा आशुलिपिकों की कोई प्रतियोगिता परीक्षा सम्पादित नहीं कराई गयी।

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में जून, 1981 में आशुलिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा सम्पादित हुई थी।

कतिपय शिकायतों के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सका है। अब शिकायतों का निराकरण हो गया है, अतः परीक्षाफल शीघ्र घोषित किये जाने की सम्भावना है।

अवर अभियन्ता, यांत्रिक से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का मापदण्ड

17–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या प्रथम सत्र 82 के प्रथम बुधवार के अता0 प्र0 सं0 69 के उत्तर से सम्बन्धित सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता यांत्रिक से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का मापदण्ड क्या है और उसके अनुसार श्री विश्वनाथ मल्ल की प्रोन्नति क्यों नहीं की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अवर अभियन्ता, यांत्रिक से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति के लिये निम्नलिखित मापदण्ड हैं :–

(1) अवर अभियन्ता के पद पर सेवा अवधि कम से कम सात वर्ष पूरी हो चुकी हो।

(2) अवर अभियन्ता पद पर स्थायी हो।

(3) चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां अच्छी श्रेणी की हों।

श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता, यांत्रिक की चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की न पाये जाने के कारण उन्हें प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

18–श्री केदार नाथ सिंह–

[3-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 106 द्वारा उत्तरित]

19–श्री कृष्ण कुमार शुक्ल–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

20–श्री राम स्वरूप निम–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

लखनऊ-टिकैतगंज-बाबागंज तथा टिकैतगंज-महमूदाबाद निजी बस मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु विचार

21–श्री राम स्वरूप निम–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, ब्लाक युवक कांग्रेस कमेटी, निन्दूरा, महामन्त्री, उ0प्र0 ग्राम्य विकास समिति, शाखा कुर्सी, उपाध्यक्ष, कुर्सी विकास जनसेवा संस्थान, कुर्सी तथा अध्यक्ष, नवयुवक विकास समिति, कुर्सी, जनपद बाराबंकी ने अपने संयुक्त पत्र दिनांक 25-5-81 तथा प्रश्नकर्ता विधायक श्री रामस्वरूप निम ने अपने पत्र दिनांक 12-6-81 द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल तथा अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ को जन समस्याओं से अवगत कराते हुए लखनऊ टिकैतगंज, बाबागंज तथा लखनऊ-टिकैतगंज-महमूदाबाद निजी बस मार्ग पर क्रमशः

7, 3 तथा 4 निजी बसें बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों पर वांछित बसों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मार्ग लखनऊ कुर्सी-महंगवा जो अलग से वर्गीकृत है, पर लखनऊ-टिकैतगंज मार्ग के लिए परमिट होल्डर के वाद में एक निषेधाज्ञा दिनांक 3-3-79 मुंसिफ न्यायालय की इस आशय से प्रभावी है कि इस मार्ग या इसके किसी भाग पर अस्थायी परमिट न जारी किया जाय । मार्ग का लखनऊ से कुर्सी तक का भाग लखनऊ-टिकैतगंज, लखनऊ-टिकैतगंज-बाबागंज तथा लखनऊ-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्गों का एक भाग है तथा लखनऊ-टिकैतगंज मार्ग मोटर वेहिकिल्स एक्ट की धारा 68-सी की योजना में है । अतः इन मार्गों पर किसी व्यक्ति को स्थाई सवारी गाड़ी का परमिट नहीं दिया जा सकता । केवल अस्थायी परमिट दिये जा सकते हैं जो उपरोक्त निषेधाज्ञा के कारण न हीं दिये जा सकते । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निषेधाज्ञा निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वह भी उक्त वाद में एक पार्टी है। निषेधाज्ञा निरस्त होने के बाद ही अतिरिक्त अस्थायी परमिट दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

22–श्री नन्द किशोर सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

23–श्री हरिवंश सहाय–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

24–श्री हरिवंश सहाय–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

25–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

26–श्री पंचानन राय–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

27–श्री पंचानन राय–

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला आजमगढ़, ग्राम मसौना में राजकीय नलकूप तथा पक्की नाली पर ड्रेनेज क्रासिंग का निर्माण

28–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के हरैया ब्लाक में भसौना नामक गांव में कोई राजकीय नलकूप नहीं है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नलकूप की पक्की नाली से गांव के पानी के निकास की व्यवस्था किये जाने से संबंधित श्री चन्द्रकेश राय का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-10-81 के साथ अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के हरैया ब्लाक में भसौना नाम का कोई ग्राम नहीं है, बल्कि इसी तहसील के ग्राम मसौना में राजकीय नलकूप सं0 31 सगड़ी समूह स्थित है।

जी हां। उक्त राजकीय नलकूप की पक्की नाली पर ड्रेनेज क्रासिंग का निर्माण कर दिया गया है।

देसही, देवरिया बैतालपुर तथा हाटा ब्लाक में सरकारी नलकूप लगाने की योजना

29–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1981-82 में देसही, देवरिया बैतालपुर तथा हाटा ब्लाक में सरकारी नलकूप लगाने की योजना है? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1981-82 में केवल बैतालपुर विकास खण्ड में 5 (पांच) राजकीय नलकूप लगाने की योजना है।

30–श्रीमती गौरी देवी तथा गौरी शंकर भैय्या–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

31–श्री राम नारायण सिंह–

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

32–श्री प्रताप नारायण द्विवेदी–

[9 वें बुधवार के लिए स्थगित]

33–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[9 वें बुधवार के लिए स्थगित]

34–श्री कृष्ण मगन सिंह–

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 217 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शारदा सहायक खण्ड इलाहाबाद द्वारा कतिपय माइनरों का निर्माण

35–श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 39 इलाहाबाद द्वारा जघई माइनर, अनुआ माइनर एवं सरजू पट्टी माइनर का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इन माइनरों में पानी कब से दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत माइनरों का निर्माण कार्य जून, 1982 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

जंघई माइनर के कि0 मी0 0–445 पर रेलवे क्रासिंग का निर्माण, रेलवे विभाग द्वारा किया जाना है। निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्माण कार्य दिनांक 31 मार्च, 1982 को पूर्ण होगा। यदि रेलवे विभाग इस तिथि तक कार्य पूर्ण कर देता है तो खरीफ 1982 में इन नहरों में पानी दिया जा सकेगा ।

शारदा सहायक खण्ड-39, इलाहाबाद द्वारा पानी निकासी हेतु नालों की खुदाई

36–श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद द्वारा नेदुला ताल एवं बड़ेरा ताल के पानी निकासी हेतु नालों की खुदाई की जा रही है ? यदि हां, तो नालों की खुदाई का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, नाले की खुदाई प्रस्तावित है।

भूमि उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा एवं जून 1982 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

37–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[9वें बुधवार के लिये स्थगित]

सहायक जेलरों का स्थायीकरण तथा लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

38–श्री मित्रसेन–

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1968 से 34 लीव रिजर्व सहायक जेलर की भर्ती की गयी जिनसे वर्ष 1969-70 से सहायक जेलर के पद पर कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो उन्हें स्थायी न किये जाने का क्या कारण है? क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्ति का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है ?

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

वर्ष 1968 से 34 लीव रिजर्व सहायक जेलरों की भर्ती न होकर, 35 पेड अपरेन्टिस सहायक जेलर भर्ती किये गये थे। इनमें दो का निधन हो गया, एक स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो गये तथा एक का उप जेलर के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हो गया। शेष 31 सहायक जेलरों के अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं।स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है ।

जी नहीं। सहायक जेलर का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में है, परन्तु शासन की अधिसूचना संख्या 19/8/75(1)–का–1, दिनांक 14 मई, 1979 में निहित निर्देशों के अनुसार इन 31 सहायक जेलरों की नियुक्तियां 28 जनवरी, 1981 से विनियमित कर दी गयी हैं।

ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का नहर काटकर नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

39–श्री अकबर हुसैन–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-11-81 को ग्राम किशनी, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का नहर काटकर नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो उन अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच करने पर यह तथ्य पाया गया कि शिकायत निराधार है। उक्त स्थान पर किसी ने नहर नहीं काटी है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

40–श्री राम धनी तथा श्री राम करन–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

41–श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

42–श्री बलवीर सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

43–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

44–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के पदों पर नियुक्ति का आधार

45–श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के पदों पर नियुक्ति "कम्प्यूटर्स एण्ड ड्राफ्ट्समैन सर्विस रूल्स 1951" के आधार पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनर्ह ड्राफ्ट्समैनों (जो शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें नहीं रखते है) को अर्ह ड्राफ्ट्समैनों (जो शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखते है) की श्रेणी में लाने हेतु मुख्य अभियन्ता ने "कम्प्यूटर्स एवं ड्राफ्ट्समैन सर्विस रूल्स 1951" के आधार पर विभागीय परीक्षा हेतु 1959 में कमेटी नियुक्त की थी? यदि हां, तो उस पर कमेटी ने क्या निर्णय लिया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर एण्ड ड्राफ्ट्समैन सर्विस रूल्स 1951 नाम की कोई नियमावली नहीं है । अतः इस नियमावली के आधार पर ड्राफ्ट्समैन के पदों पर नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1959 में गठित कमेटी के सम्बन्ध में इस समय कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

46–श्री मुहम्मद आजम खां–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

अर्ह एवं अनर्ह ड्राफ्ट्समैनों की ज्येष्ठता सूची

47–श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनर्ह ड्राफ्ट्समैनों (जो शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें नहीं रखते है) एवं अर्ह ड्राफ्ट्समैनों (जो शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखते है) की नियुक्ति के दिनांक से एक ही ज्येष्ठता सूची में रखा गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

इनकी एक ही ज्येष्ठता सूची है क्योंकि इनकी कार्यशैली में कोई अन्तर नहीं है, केवल अर्हताओं के अनुसार अनुमन्य वेतनमान भिन्न है।

अनर्ह ड्राफ्ट्समैन को सीधे कम्प्यूटर्स पद पर पदोन्नति

48–श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

क्या अनर्ह ड्राफ्ट्समैनों (जो शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें नहीं रखते हैं) को सीधे कम्प्यूटर्स पद पर पदोन्नति "कम्प्यूटर्स एण्ड ड्राफ्ट्समैन सर्विस रूल्स 1951" के आधार पर पर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कम्प्यूटरर्स एण्ड ड्राफ्टमैन सर्विस रूल्स 1951 नाम की कोई नियमावली सिंचाई विभाग में लागू नहीं है। अतः उसके अनुसार पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्री हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ, उ0 प्र0, इलाहाबाद, जनपद देवरिया द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही

49–श्री सन्तबक्स रावत–

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्री हरिजन विद्यालय शिक्षक संघ, उ0 प्र0 इलाहाबाद शाखा, जनपद देवरिया का कोई प्रतिवेदन प्रशिक्षण एवं वेतन एवं भविष्य निधि के सम्बन्ध में दिनांक 18-12-81 को प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति एवं आवश्यक कार्यवाही की सूचना श्री रामगोकुल सिंह, पिटीशन आफिसर के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 287/चौंतीस–1982 भू0 प0 नि0 अभ्यर्थना अनुभाग–1 में दिनांक 15-1-1982 द्वारा प्रेषक को मिल चुकी है? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 17778/26–7/88–74 हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 4 अप्रैल, 1988 के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

50–श्री राधेश्याम पटेल–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय क्षेत्र के गिरि, पुरी बन भारती तथा नाथ पिछड़े वर्ग को प्राप्त सुविधायें

51–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के गिरिपुरी बन भारती तथा नाथ पिछड़े वर्ग के हैं? यदि हां, तो उक्त जातियों के व्यक्तियों को पिछड़ी जाति (वर्ग) का लाभ दिया जा रहा है ? यदि लाभ नहीं दिया गया है, तो क्यों?

श्री गुलाब सेह रा–

पर्वतीय क्षेत्र के पुरी बन भारती तथा नाथ शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है। अत: उन्हें पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को मिलने वाला लाभ अनुमन्य नहीं है। किन्तु कुमायूं डिवीजन में गिरि वर्ग को पिछड़े वर्ग की सुविधायें प्राप्त हैं।

भटियाली चौरासैंण पेयजल योजना द्वारा ग्रामों को पानी की उपलब्धि

52–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चौरासैंण पेयजल योजना, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली निर्मित हो गयी है, लेकिन जिन गांवों के लिए यह योजना है उनको अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी–

योजना का नाम भटियाली चौरासैंण पेयजल योजना है जिसे निर्मित किया जा चुका है । योजना में सम्मिलित ग्रामों को दो स्रोतों से पानी उपलब्ध कराया जाना था । एक स्रोत से मार्च 1975 में योजना में सम्मिलित ग्रामों को पानी उपलब्ध करा दिया गया है । दूसरा स्रोत, जो योजना का मुख्य स्रोत है, उसका कल्यानी के ग्रामवासियों ने उपयोग नहीं करने दिया । प्रथम स्रोत से पानी की मात्रा कम होने के कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

बस स्टेशन जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर पर यात्रियों के बैठने एवं पानी की टंकी तथा रोशनी की व्यवस्था

53–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर पर यात्रियों के बैठने के लिए वर्तमान समय में कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता है तथा पीने के पानी एवं प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यात्रियों के बैठने एवं पानी की टंकी तथा रोशनी की व्यवस्था करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस स्टेशन जगदीशपुर में 6 अदद सीमेन्ट की बेंचो का निर्माण पूरा कराया जा चुका है जिसके द्वारा लगभग 50 यात्रियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध है । इस बस स्टेशन पर 2 अदद हैन्ड पंप उपलब्ध हैं जिसके द्वारा यात्रियों को पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है । इस बस स्टेशन का विद्युतीकरण भी कराया जा चुका है । अत: रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था उपलब्ध है ।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सरैनी के अन्तर्गत नलकूपों से सिंचाई तथा अर्जित धन

54–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के विकास खण्ड सरैनी के अन्तर्गत राजकीय नलकूप रामगांव द्वितीय तथा तेज गांव प्रथम बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इन नलकूपों द्वारा गत वर्ष कितने भूमि की सिंचाई की गयी तथा धन अर्जित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सरैनी के अन्तर्गत राजकीय नलकूप तेज गांव प्रथम बन्द नहीं है, परन्तु रामगांव द्वितीय माह 10/80 से बालू देने के कारण बन्द है। 1-4-80 से 31-3-81 तक की अवधि में राजकीय नलकूप रामगांव द्वितीय पर 4 एकड़ तथा नलकूप तेजगांव प्रथम पर 15 एकड़ सिंचाई की गयी । नलकूप रामगांव द्वितीय से 204.00 रु0 तथा तेज गांव प्रथम से 389.00 रुपया अर्जित किया गया।

मन्त्रियों के विवेकाधीन कोष से व्यक्तियों को दी गयी आर्थिक सहायता

55–श्री राम कुमार भार्गव तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय आदेश संख्या54481/26-2-81/24–81, दिनांक 17 अगस्त, 1981 द्वारा जिन लोगों को मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता दी गयी थी उसमें कितने लोग थे तथा क्या-क्या सहायता दी गयी थी ? क्या उन सभी लोगों को सहायता प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा–

जी हां, शासनादेश संख्या 5448/26-2-81–243-81 दिनांक 17 अगस्त, 1981 के अन्तर्गत विवेकाधीन कोष से 11 व्यक्तियों को आर्थिक (नगद) सहायता तथा 9 व्यक्तियों को सिलाई की मशीनें स्वीकृत की गयी है। इनमें से 11 व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा संबंधित जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को भेज दी गयी है तथा इसके भुगतान की सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

जिन 9 व्यक्तियों को सिलाई की मशीनें स्वीकृत की गयी थी उन्हें अनुमोदित रेट कान्ट्रेक्ट के अभाव में अभी तक सिलाई की मशीनें खरीद कर नहीं दी जा सकी है, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

56–श्री जंग बहादुर तथा श्री सूर्यनाथ उपाध्याय–

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर, ग्राम मकुरा के कृषकों की ली गयी भूमि तथा मुआवजा

57–श्री जंग बहादुर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के जौनपुर तहसील के ग्राम मकुरा के दुक्खी पुत्र बिहारी हरिजन की भूमि नहर के लिए अध्याप्त की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी भूमि का मुआवजा किन कारणों से अब तक नहीं दिया गया है ? क्या शासन शीघ्र मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, जनपद जौनपुर के जौनपुर तहसील में ग्राम मकुरा के खेत संख्या 425 एवं 768 में शाहगंज ब्रांच एवम् मकुरा माइनर के लिये भूमि ली गयी है । अभिलेखों के अनुसार यह भूमि ग्राम समाज की है ।

बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला रामपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक श्री राम प्रताप प्रसाद की नियुक्ति के अनुमोदन एवं वेतन की व्यवस्था हेतु कृत कार्यवाही

58–श्री धूप राय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक श्री राम प्रताप प्रसाद के नियुक्ति के अनुमोदन एवं वेतन की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 मार्च, 1981 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री यदुनाथ सिंह, भू0 पू0 परिचालक को सेवा में लिये जाने के बारे में पत्र

59–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25/27-4-81 बाबत श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री यदुनाथ सिंह, भू0 पू0 परिचालक, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में वर्ष 76 में ही हो गयी थी, को शासनादेश के अनुसार सेवा में लिये जाने के बारे में प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप नं0 14 ग्राम उघई, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा का निर्माण

60–श्री राम स्वरूप निन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 14 ग्राम उघई, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा का निर्माण कब पूरा हुआ था अब तक कितनी सिंचाई की गयी है? क्या सरकार को ज्ञात है कि 8-11-81 से वह खराब पड़ा है और किसान की फसल नष्ट हो रही है? क्या उसे ठीक कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पुरवा ब्रांच में मिट्टी के स्पर तथा सिल्ट सफाई का कार्य तथा ठेकेदार का नाम एवं भुगतान की गई धनराशि

61–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव खण्ड के घष्टम उप खण्ड शारदा नहर उन्नाव द्वारा दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1980 तक 35 मील से 36 मील पुरवा ब्रांच में मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य तथा 33 मील से 33-4 मील तक पुरवा ब्रांच में मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य, बिहार माइनर 0 से 1 मील तक सफाई अथवा सिल्ट

सफाई तथा 35 से 36 के बीच ग्राम गौरा के पुल के 8 फाटक मिट्टी द्वारा बंद किये गये, कार्यों का कार्यादेश किन-किन ठेकेदारों के नाम जारी किया गया? कितना धन का भुगतान किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1980 के बीच प्रश्नगत कार्यों के लिए जो कार्यादेश किए गए उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

स्थल का नाम	लोकेशन	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान की गई रकम (रु0)
पुरवा ब्रान्च	मील 35 से 35-2 तथा 35-4 से 35-7	ठेके सफाई तथा मिट्टी का स्पर बनाना	श्री उदय बहादुर सिंह	3800.00
पुरवा ब्रान्च	मील 33-2 से 33-3-250	–तदैव–	श्री सीताराम	1536.00
पुरवा ब्रान्च	मील 33-3-250 से 33-70	–तदैव–	श्री उदय बहादुर सिंह	1732.00
बिहार माइनर	मील 0-0 से 1-5	सिल्ट सफाई		
पुरवा ब्रान्च	ग्राम गौरा के पास पुल	पुल की दरों को बन्द करने हेतु मिट्टी का कार्य	उक्त अवधि में कोई कार्यादेश निर्गत नहीं किए गए।	

उन्नाव खण्ड षष्ठम उप खण्ड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार श्री कालीशंकर पास को नहरों के कार्य हेतु भुगतान की गई धनराशि

62–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र 81 के 1ले बुधवार, दिनांक 16-9-81 के अता0 प्र0 सं0 170 के उत्तर के संलग्नक के क्रमांक 10, 11, 13 एवं 19 का कार्यादेश उक्त ठेकेदार को किस तिथि को किसके हस्ताक्षर से कितने धन का जारी किया गया? क्या उन कार्यादेशों की प्रति उस समय ठेकेदारों को दी गयी? यदि नहीं, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई ब्रांच में प्रस्तावित धर्मापुर नाम की छोटी नहर तथा खुदाई का कार्य

63–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धरमापुर, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई की शारदा कैनाल, हरदोई ब्रांच से छटी माइनर मंजूर है अभी तक उसकी खोदाई नहीं करायी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। हरदोई ब्रांच के दाहिनी पटरी के मील 76-0 568 पर धर्मापुर नाम से एक छोटी नहर प्रस्तावित है जो कि अभी तक स्वीकृत नहीं है। कृषकों के अनुरोध पर सर्वेक्षण कार्य व समरखेन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। माइनर निर्माण हेतु आवश्यक लम्बछिन्नक की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जायेगी। इसके उपरान्त ही माइनर की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव हो सकेगा।

राजबहा सिकंतरा (एटा) की पटरियों को बरवाना से इटरनी कोठी तक पक्का कराने की योजना

64–श्री राम सिंह रावल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजबहा सिंकतरा (एटा) की पटरियों को बरवाना से इटरनी कोठी तक पक्का कराने की योजना है? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया अतः परिणाम का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद एटा, ग्राम बेरी-कतौर के तालाब में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना-पत्र

65–श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड कासगंज के अन्तर्गत ग्राम बेरी-कतौर के तालाब के भयंकर जल भराव की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-2-81 तथा पुनः 15-7-81 को दिया गया था? क्या यह भी सही है कि उस पर मुख्य अभियन्ता को नाला (ड्रेन) बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था करने हेतु आदेश दिए गये थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु प्रस्तावित नाले का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

66–श्री कुबेर भण्डारी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

गजाई मांसी, रामगंगा घाटी सिंचाई योजना अल्मोड़ा का निर्माण कार्य तथा ठेकेदारों को भुगतान

67–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गजाई मांसी, रामगंगा घाटी सिंचाई योजना अल्मोड़ा का निर्माण कार्य सन् 1972-73 तथा 1973-74 का ठेकेदारों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो भुगतान क्यों नहीं किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। केवल तीन ठेकेदारों का अंतिम भुगतान शेष है। इन ठेकेदारों के अनुबंधों से संबंधित मूल अभिलेख माह अक्तूबर, 1975 से जुलाई, 1981 तक विभागीय जांच के सम्बन्ध में जांच अधिकारी के पास तथा एक कोर्ट केस एवं मध्यस्थता केस से सम्बद्ध रहे, जिसके कारण ठेकेदारों के खातों का निस्तारण नहीं किया जा सका। ठेकेदारों का भुगतान शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन की मरम्मत हेतु अविलम्ब कार्यवाही

68–श्री मोहन सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है? यदि हां, तो कैन्टीन भवन की मरम्मत के लिए अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एस0 एन0 बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र द्वारा विभागीय पदोन्नति वाले के विरुद्ध दिया गया प्रत्यावेदन

69–श्री मोहन सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 एन0 बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र ने विभागीय पदोन्नति पाने वाले के विरुद्ध प्रत्यावेदन 28-10-72 में दिया था। क्या यह सच है कि भू0पू0 परिवहन मंत्री श्री राजमंगल पाण्डेय द्वारा उन लोगों को रिवर्ट किया गया था और वे सेवा में पुनः आ गये, क्या यह सच है कि उससे रुष्ट होकर उक्त अधिकारीगण ने 25-3-74 को श्री बर्नवाल को निलंबित कराया था? तथा पुनः किसी सरकारी गवाह प्रस्तुत किए बिना उनकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट करा दी? क्या इस सम्बन्ध में बिना छानबीन किए ही श्री बर्नवाल की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार के आदेश प्रदान करने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कहना सम्भव नहीं है कि श्री बर्नवाल का प्रत्यावेदन दिनांक 28-10-1972 प्राप्त हुआ था या नहीं क्योंकि परिवहन निगम स्तर पर श्री बर्नवाल की पत्रावली नहीं मिल पाई। भूतपूर्व मंत्री जी के कार्यकाल में सर्वश्री राम बृक्ष गुप्ता, अवध नारायण दुबे व राम निवास सिंह को प्रत्यावर्तन के बाद पुनः सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर रहने दिया गया।

श्री बर्नवाल द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया लिये जाने के आरोप की छानबीन करने के बाद निरीक्षण स्थल पर यात्रियों के लिखित बयान पर उन्हें निलम्बित किया गया। अनुशासनिक कार्यवाही में मौके के गवाह बुलाने के बावजूद नहीं आये अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर श्री बर्नवाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी। यह सत्य नहीं है कि बिना छानबीन के श्री बर्नवाल की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई गई। अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर डिपों की बसों से प्रति बस आय में कमी

70–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 21, 22 और 23 अक्तूबर, 1981 में शाहजहांपुर डिपों की बसों का प्रति बस आय क्या रही, अन्य दिनों की आय तुलना में उक्त दिनों में कम आय के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शाहजहांपुर डिपो की बसों की प्रति बस आय दिनांक 21, 22 व 23 अक्तूबर, 1981 को क्रमशः 639-58, 733-48, 667-44 थी। अक्तूबर, 1981 में प्रति बस प्रतिदिन की औसत आय रु0 680-83 थी। औसत आय से कथित तिथियों की आय में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं रहा है।

जनपद जालौन के ग्राम चखीं के लिए रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन के स्वीकृत परमिट

71–श्री शंकर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम चखीं के लिए रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन के कितने परमिट स्वीकृत हैं, जो परमिट स्वीकृत हैं, उस मार्ग पर पक्की सड़क होते हुये भी बसें न चलाए जाने का क्या कारण है? यदि रोडवेज की बसें चलाने में विभाग को कठिनाई है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी के गठन के पूर्व सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कानपुर द्वारा उरई चखीं वाया जालौन मार्ग के लिए दो स्थायी परमिट उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर को स्वीकृत किये गये थे जोकि स्थानान्तरित होकर झांसी क्षेत्र को मिले। एक अप व एक डाउन बस सेवा उपरोक्त मार्ग पर चलती थी। माह सितम्बर, 1981 में इस मार्ग पर अराजकतत्वों द्वारा कुछ अप्रिय घटनायें की गयी जिसके कारण यात्रियों तथा बस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सेवा माह सितम्बर, 1981 से बन्द कर दी गयी। निजी वाहनों को भी नियमानुसार परमिट आवश्यकता के आधार पर दिया जा रहा है?

तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, अब सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा चलिये कहिये।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जो प्रश्न इस सदन के अन्दर किये जाते हैं उनका मान्यवर, बड़ा महत्व होता है। सदन की कार्यवाही जो चलती है उसमें प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती है। मान्यवर, आज राज्यपाल महोदय के संबंध में प्रश्न किया गया तो उस प्रश्न के प्रश्नकर्ता दो थे। एक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी और दूसरे श्री कुंवर सिंह नेगी। नरेन्द्र सिंह

भण्डारी उस पर सप्लीमेन्ट्री करने के लिये खड़े हुए, यह उनके क्षेत्र का मामला है और यह उनका प्रश्न भी था मान्यवर। इस सदन के अन्दर आपका सर्वोच्च स्थान है और किसी भी सदस्य के मन में आना भी नहीं चाहिए कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि उसके अधिकारों का हनन हो गया। जैसे ही नेगी जी ने प्रश्न किया, उनका प्रश्न समाप्त भी नहीं हुआ था, आपने परिवहन मंत्री को बुला लिया, ये अपने पुत्र को, अपने को, उस समय तत्कालीन नियुक्त हुए थे प्रशासक . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मुख्तार अनीस–

मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नरेन्द्र सिंह भण्डारी जी को आपकी पीठ से अवसर नहीं दिया गया अपनी बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष–

जहां तक प्रश्न पुछवाने की बात है, उसका भार आपने मुझे दे रखा है और न पुछवाने का जहां तक प्रश्न है तो कुंवर सिंह नेगी के चेहरे की चकाचौंध से मेरी आंख के सामने भण्डारी जी आ नहीं पाये और मेरा ख्याल है कि उनको इसकी कोई शिकायत भी नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दुबारा रखा जाय ताकि हम इसमें प्रश्न पूछ सकें।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, नियम 49 में दे देते हैं और इसमें आप आधे घण्टे की चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल को आपकी भावना से अवगत कराने के लिए कहा है और मैं समझता हूं कि उनको इसका अवसर दिया जाये।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि विधि विभाग से भी इसके बारे में पूर्णरूप से संस्तुति मिल गई थी। बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी कान्स्टीट्यूशन में साफ लिखा है कि वहां के प्रेसीडेन्ट को स्टेट गवर्नमेन्ट किसी समय भी बरखास्त कर सकती है। तो मेरा कहना है कि आप इस प्रश्न को हल करने के लिए, मेरी दरखास्त है कि अपने पास इस फाइल को मंगा लें और देख लें। यदि सचमुच में विधि विभाग से संस्तुति मिली है और आप सन्तुष्ट हों तो हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और यदि गुमराह करने के लिए कहा है, मेरी निजी जानकारी है कि किसी प्रकार की संस्तुति विधि विभाग ने नहीं की है, राज्यपाल स्वयं को अध्यक्ष बना लें, अपने दामाद को भी रख लें, तो नियम 49 में दे देते हैं, चर्चा हो जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

विधि के अनुसार इसकी सूचना दे दें, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

नियमों में यह व्यवस्था है कि महामहिम राज्यपाल के कण्डक्ट या उनके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी तो ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या ये नियमानुकूल हैं, यहां पर ये होनी चाहिएं, जो नियम हैं उनके अनुसार तो नहीं होनी चाहिए, इस पर मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह–

एक महत्वपूर्ण बात स्वयं उठा दी मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मा0 राज्यपाल के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, उनके श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से किए गए कृत्य पर है और यदि विधि के अन्तर्गत उनके उस कृत्य के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जायगा तो हम उन पर विचार करेंगे।

(डा0 शिवानन्द नौटियाल के पुनः खड़े होने पर)

आप केदारनाथ से आते हैं और केदारनाथ स्वयं साक्षात खड़े हैं, पहले उनको सुनने दीजिये।

श्री केदार नाथ सिंह–

श्री केदारनाथ बद्री नाथ समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या राज्यपाल महोदय के कार्यकलापों की आलोचना हो सकती है? इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

केदारनाथ के ऊपर कोई बात तो यहां चल नहीं रही थी। बद्रीनाथ की जो कमेटी है उसके विषय में बात चल रही थी। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन सकता है।

श्री केदार नाथ सिंह–

क्या राज्यपाल के कार्य-कलापों पर चर्चा हो सकती है या नहीं इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं वही सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उठाया और उस पर पहले ही मैंने व्यवस्था दे दिया है इसलिए अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जनपद में परियर बांध निर्माण योजना से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 25 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकार हुई, शेष नहीं स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री सन्त बक्स रावत की है।

*श्री सन्त बक्स रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं:–

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील उन्नाव में "परियर बांध" सिंचाई विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। इस बांध से लगभग 10,000 एकड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि योग्य अच्छी भूमि तथा 6 गांव कोलवा, बेनी पुरवा महानन्द खेड़ा, टपरा, रामबाग तथा मरौदा का कुछ भाग कल्याणी नदी की ओर पड़ रहे हैं। यही नहीं 11 गांवों की कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि पर लहलहाती हुई फसल व सैकड़ों की तादाद में आम तथा अमरूद के वृक्ष तथा उक्त छः गांवों को मिटते हुए देखकर हजारों की संख्या में निवास करने वाली हरिजन, पिछड़े तथा अन्य गरीब जनता से रहा नहीं जा रहा है। इंजीनियरों द्वारा पुलिस के बल पर बन्दूक की नोंक से उपरोक्त बांध में पड़ने वाली फसल को उजाड़कर बर्बाद किया जा रहा है। इसके कारण इंजीनियरों तथा जनता के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है।

यहां के निवासियों की मांग है कि जरो बांध बनाया जाय वह कल्याणी नदी की ओर हटाकर बांध रेखा व कल्याणी नदी के बीच जहां सबसे कम दूरी है, अन्य जगहों पर भी उसी दूरी से सामानान्तर बांध बनाया जाय जो तकनीकी आधार पर भी बांध मजबूत रहेगा तथा उपरोक्त प्रभावित 11 गांव तथा 10,000 एकड़ कृषि योग अच्छी भूमि उजड़ने से बच सकेगी । बांध समानान्तर इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ उच्चस्तरीय नेता तथा कुछ बड़े अधिकारी लाभान्वित होंगे इसलिए जन धन की हानि की परवाह किये बिना सड़क का सहारा लेकर बांध का निर्माण कराया जा रहा है । यदि इसे रोका न गया तो परिस्थिति गम्भीर हो जायेगी और वहां की हजारों की संख्या में निवास करने वाली जनता भुखमरी का शिकार बनेगी । अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए बन रहे परियर बांध को अविलम्ब रोका जाय तथा बांध रेखा को हटाकर कल्याणी नदी की ओर कल्याणी नदी से समानान्तर बांध बनाया जाय ताकि लगभग 10,000 एकड़ भूमि तथा उपरोक्त गांव बच सके ।

थाना सफदरगंज बाराबंकी की पुलिस द्वारा दो हरिजन सगे भाइयों की इन्काउण्टर के नाम पर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर–

मान्यवर, दो हरिजन सगे भाइयों को इनकाउन्टर के नाम पर थाना सफदर गंज, बाराबंकी की पुलिस द्वारा मौत के घाट उतार दिये जाने के संबंध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । दिनांक 27 फरवरी, 82 को सायंकाल 5 बजे थाना सफदरगंज, बाराबंकी के एक दरोगा तीन सिपाही के साथ ग्राम जिया का पुरवा थाना सफदरगंज बाराबंकी हरिजनों के यहां पहुंचे और वहां के श्री पृथीपाल व जगन प्रसाद हरिजन जो कि सगे भाई थे, से कहा कि मेरे साथ चलो थाने के बड़े दरोगा ने तुम्हें याद किया है। दोनों भाई पुलिस के विश्वास में आकर उनके साथ चले गये जिनको कि रात में पुलिस ने इनकाउण्टर का ढोंग रचकर मौत के घाट उतार दिया । यह हरिजन 50 बीघा के काश्तकार थे । इन हरिजनों का एक फौजदारी का मुकदमा थाना सफदरगंज, बाराबंकी की पुलिस से चल रहा था । पुलिस ने रंजिश एवं बदले की भावना से प्रेरित होकर हरिजनों की हत्या करके उनके परिवार को बरबाद किया है। फर्जी इनकाउण्टर के नाम पर हरिजनों के

[श्री राम सागर]

हत्याकान्ड का पर्दाफाश पूरे जनपद की जनता में हो गया है जिससे कि जनपद बाराबंकी के हरिजनों में भय, आतंक व रोष व्याप्त हो गया है। ऐसे लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर घटना की तुरन्त किसी उच्च अधिकारी से जांच कराकर पुलिस पर हत्या का मुकदमा चलाये जाने तथा हरिजनों की क्षतिपूर्ति करने तथा हरिजनों की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं।

(श्री पंचानन राय का नाम पुकारने पर।)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री पंचानन राय जी इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, सरस्वती विद्या-मंदिर के बच्चों को निकाल कर बाहर कर दिया गया और उनका सामान सारा फेंक दिया गया है, उस सिलसिले में वहां जाने पर पुलिस द्वारा उनको हिरासत में ले लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

इससे क्या मतलब? उन्होंने नोटिस दिया था और वे यहां नहीं हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

सदन की जानकारी के लिये मैंने यह बात बतला दी।

ग्राम बोहरे का नगला थाना नरहौली जिला मथुरा निवासी श्री मंगल पुत्र बने सिंह को थाना सेवर जिला भरतपुर राजस्थान की पुलिस द्वारा गोली मारकर अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्दन सिंह–

मान्यवर, लोक महत्व के प्रश्न को नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मथुरा जनपद के मंगल पुत्र बने सिंह निवासी जोहरे का नाला थाना नरहौली मथुरा की राजस्थान जिला भरतपुर के सेवर थाने के इंचार्ज व चौकी रारेह के इंचार्ज ए0 एस0 आई0 व पुलिस फोर्स के साथ दिनांक 23-2-82 को दिन के 12 बजे प्रतिष्ठित व्यक्ति मंगल को खेत से गोली मारकर बिना किसी वारंट के बिना कारण बताये जबरदस्ती जीप में रखकर ले गये। यह लोक महत्व का प्रश्न है और इससे मथुरा जनपद के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है एवं जनपद में ऐसी भयावह स्थिति व्याप्त हो गयी है कि राजस्थान की पुलिस किसी भी भले आदमी को किसी भी समय पकड़ कर ले जा सकती है। वह पहले से भी ऐसा करती रही है। अब मंगल का पता नहीं है कि मार दिया गया है या गायब कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में तार द्वारा भरतपुर एस0 पी0 व जिलाधिकारी भरतपुर व मथुरा को दिये जा चुके हैं। इसकी जांच प्रदेश सरकार स्वयं अपने स्तर से सी0 आई0 डी0 द्वारा करावे और भारत सरकार से सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराने हेतु लिखे। इसके साथ ही राजस्थान सरकार को भी उक्त प्रकरण की जांच के लिये लिखा जाय। किन्तु इसके पूर्व उक्त थाना इंचार्ज व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने हेतु मुकदमा कायम कर कानूनी कार्यवाही करके अपराधी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि निर्दोष मंगल उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा का निवासी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः सरकार का दायित्व है कि अपनी जनता की सुरक्षा करें। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। सदन में आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मथुरा जनपद की जनता में इस आक्रोश व भयावह स्थिति को सामान्य करने के लिए उक्त पुलिस कर्मियों को निर्देश दिये जायं कि वे भविष्य में बेगुनाह व्यक्तियों को फर्जी मुठ-भेड़ दिखा कर अमानुषिक प्रवृत्ति पर रोक लगायें। उपरोक्त आदेश अविलम्ब दिया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 34 मिनट]

श्री राम गोविन्द–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर।

(व्यवधान)

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय–**

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। और मैं तीन चार दिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं। . . .

श्री उपाध्यक्ष–

एक व्यवस्था का प्रश्न उठ गया है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरे क्षेत्र के थानाध्यक्ष ने एक हरिजन औरत के साथ बलात्कार किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा? जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि अध्यक्ष के पास चले जाइये तो आपका स्वीकार हो जायेगा। अगर ऐसी बात है तो कहिये, मैं भी रोज आपके यहां आ जाया करूं।

श्री उपाध्यक्ष–

सुन लें। अगर इस तरह का आरोप है कि जो मेरे पास आता है उसकी ही सूचना स्वीकार होती है और अगर यह आप सत्य कहते हैं तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि मुझे दुःख है कि आपने मुझे गलत समझा है। चीज के महत्व को देख कर, उसका काल और परिस्थिति को समझ कर, मौका दिया गया है। अगर हरिजन का प्रश्न था तो राम आसरे जी का प्रश्न दो दिन पहले का था और दो आदमी गोली से मारे गये, उसके मुकाबले इसको कैसे महत्व दें? यह तो मेरे विवेक पर है कि मैं देखूं कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले ले लिया जाय। जो उससे कम महत्व का है उसे बाद में ले लिया जायगा। जिस दिन अवसर आयेगा आपको भी अवसर मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा सदन में बैठे-बैठे एक कागज को पढ़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 36 मिनट]

श्री राम गोविन्द–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के तहत सदन की कार्यवाही चलती है । इस नियमावली में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम दिये हैं जिनमें पहले ही यह है कि ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसका सदन की कार्यवाही से संबंध न हो . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न है या औचित्य का . . .

श्री राम गोविन्द–

नियमावली के तहत आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह बजट सत्र चल रहा है । महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और यहां जो माननीय निर्दलीय नेता हैं, राम आसरे वर्मा जी, तब भी एक अनजान कागज को पढ़ रहे हैं । हम बार-बार मना कर रहे हैं कि सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें । आप इनको या तो पढ़ने से मना करें । नहीं तो कौन सा महत्वपूर्ण कागज यह पढ़ रहे हैं जो विधान सभा की कार्यवाही से भी महत्वपूर्ण इनके लिये हो गया है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, बैठें . . .

श्री राम आसरे वर्मा–

यह मुझ पर स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि सदन की नियमावली के खिलाफ . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे आरोप का जवाब देने के लिए कहूंगा, तब उठेंगे । बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरे आरोप का जवाब आप देंगे यह यूक्ति संगत नहीं है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

विराजें । आप उनके पीछे ही बैठे हुये हैं । देखा होगा क्या पढ़ रहे हैं ? मैं ऐसा समझता हूं यह बजट का सत्र चल रहा है कोई आवश्यक कागज पढ़ रहे होंगे । कोई आवश्यक नहीं समझता इसको सुनना ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मुझ पर आरोप लगाया गया है कि कार्य संचालन नियमावली . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको आरोप नहीं मानता । वैसे ही कह दिया होगा (हंसी)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(गृह मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन के माननीय सदस्य श्री पंचानन राय और (शोर) ओम प्रकाश शर्मा . . .

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को श्री प्यारे लाल निवासी ग्राम . . .

श्री मोती लाल दहेलवी–

व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

हजरतगंज थाने में बंद हैं । यहां पर सरस्वती विद्यालय . . (व्यवधान)

मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 39 मिनट]

श्री मोती लाल दहेलवी–

व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर . .

(इस बीच मा0 गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

इन्टर कालेज का पुलिस द्वारा तमाम फर्नीचर . .

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . मुझे अवसर दें कहने का . (व्यवधान) मा0 गृह मंत्री वक्तव्य पढ़ रही हैं इसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप अनुमति दें । मान्यवर, कल आपने कुछ निर्देश दिये हैं । इनका पालन नहीं किया जा रहा है। उसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम इस प्रकार से माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे । आप कोई निर्देश देते हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है । महत्वपूर्ण विषय है . .

श्री उपाध्यक्ष–

अगर व्यवस्था के नाम पर इतनी अव्यवस्था होगी तो व्यवस्था कैसे होगी? एक-एक बोलें । मा0 गृह मंत्री, आप बैठ जायं . . . . .

श्री मोती लाल दहेलवी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई दिन से यह प्रकरण चल रहा है और आपको भी निश्चित जानकारी है कि विरोध पक्ष के लोग माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य को तब तक नहीं सुनेंगे जब तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित न हों । मान्यवर, इसका कारण भी आप जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य कुछ गोल माल और असंगत होता है इसलिये हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया था । कई बार

[श्री मोती लाल दहेलवी]

आपकी पीठ से माननीय अध्यक्ष जी ने और स्वयं आपने यह निर्दिष्ट किया है कि जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री जी सदन में पढ़ें वह संगत हो और अनुपूरक प्रश्न जो पूछे जायं उनका उत्तर संगत हो। माननीय अध्यक्ष जी ने अनुभव किया और मान्यवर, आपने भी अनुभव किया कि माननीया गृह मंत्री के उत्तर संगत नहीं होते हैं और इसीलिये उसके औचित्य को स्वीकार करके कल आपने उस पीठ से निर्दिष्ट किया था कि जिस समय माननीय गृह मंत्री वक्तव्य पढ़ें उस समय माननीय मुख्य मंत्री सदन में उपस्थित रहें ।

मान्यवर, आपने उनको जो निर्देश दिया, जो व्यवस्था दी, उसके पालन कराने पर कुछ कहना हमारी अधिकार सीमा के बाहर है क्योंकि आप ही अपनी दी हुई व्यवस्था का आदर कराने में, पालन कराने में सक्षम हैं । विरोध पक्ष के लोग तो केवल आपसे संरक्षण चाहते हैं कि हमारी भावनाओं एवं अधिकारों का आदर हो, आपके निर्देश का पालन हो लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं हो रहा है । इसलिये आज भी हम लोग कटि-बद्ध हैं आपके निश्चय पर कि यदि माननीय गृह मंत्री यदि वक्तव्य पढ़ेंगी माननीय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में, तो आज भी हम लोग उसको नहीं सुनेंगे ।

कल सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने आपको सूचना दी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आते लेकिन उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ हो गये हैं । मान्यवर, आपने भी देखा और इस माननीय सदन के हर सदस्य ने देखा कि मुख्य मंत्री जी स्वस्थ हैं और स्वस्थ अवस्था में सदन में आये थे और सदन से उठकर चले गये । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को आपके निर्देश का आदर करना चाहिए था और सदन में बैठना चाहिए था ..... (इस बीच मुख्य मंत्री सदन में उपस्थित हो गये ।)

अब चूंकि मुख्य मंत्री आ गये हैं इसलिए हमे संतोष है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उपनेता विरोधी दल, आपने कुछ मुद्दे उठाये । यह बात सही है कि उन मुद्दों को उठाने के दौरान मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हो गये । आपकी बात से 3 मुद्दे बने । पहला गृह मंत्री का वक्तव्य, जहां वक्तव्य का प्रश्न आता है आप स्वयं विज्ञ हैं कि मंत्रियों के वक्तव्य आपकी प्रक्रिया नियमावली के दो नियमों में हुआ करते हैं–एक नियम 315 में और दूसरा नियम 51 में । जो वक्तव्य नियम 315 में होते हैं वे केवल वक्तव्य होते हैं और जो वक्तव्य नियम 51 में होते हैं उन वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । आपकी शिकायत थी कि आपकी सप्लिमेंटरी का युक्तियुक्त उत्तर नहीं आता है ।

श्री मोतीलाल दहेलवी–

लिखित उत्तर की भी शिकायत थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने पूरी बात सुनी नहीं, यह उत्तर नहीं है यह वक्तव्य है और वह वक्तव्य भी नियम 315 में है, नियम 51 में नहीं, इसलिए इसमें स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछने पर प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री मोहन सिंह–

व्याकरण संबंधी अशुद्धि हो तो उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे पता नहीं कि आप माननीय मुख्य मंत्री को व्याकरणाचार्य मानते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आ रहा हूं तो यह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, जब यह आते हैं तो जाते नजर आते हैं ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह मुख्य मंत्री जी को बुलाने जा रहे थे ।

जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस कर्मियों द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 46 मिनट]

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को श्री प्यारे लाल, निवासी ग्राम शाहपुर वमैटा, गाजियाबाद ने थाना कविनगर, गाजियाबाद पर श्री चमन प्रकाश निवासी ग्राम हरसाऊ के विरुद्ध चाकू से आक्रमण करने की रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर अ0 सं0 30 अन्तर्गत धारा 324 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । दिनांक 30-1-82 को ही एक उप निरीक्षक, तीन कान्सटेबलों सहित ग्राम हरसाऊ मजरा मड़ैया गये और शाम 7.20 बजे अभियुक्त चमन प्रकाश को गिरफ्तार किया । अभियुक्त द्वारा शोर मचाये जाने पर ग्राम के उसकी जाति के व्यक्ति तुरन्त एकत्रित हो गये तथा उप निरीक्षक तथा दो कान्सटेबलों को मारपीट कर अभियुक्त को बलपूर्वक छुड़ा लिया तथा पुलिसजनों की सरकारी पिस्तौल, घड़ियां व साईकिल छीन कर उन्हें बंद कर दिया । एक कान्सटेबल किसी तरह बचकर थाना कविनगर आया और घटना की सूचना थानाध्यक्ष को दी, जिसके आधार पर 20 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0 31 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/224/225/342/332 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृहमंत्री एक मिनट रुक जायं जिस समय कोई बयान चल रहा हो या सदन की कार्यवाही चल रही हो माननीय सदस्य आपस में बात न करें खासतौर से उनके और मंत्रियों के बीच बात नहीं ही होनी चाहिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

11 नामजद अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया तथा उप निरीक्षक तथा दो कान्सटेबलों को एक अभियुक्त के मकान से मुक्त कराया गया। दिनांक 31-1-82 को विवेचना से प्रकाश में आये 2 और अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, जिनके पास से लूटी हुई घड़ी व साईकिल बरामद हुई । 9 नामजद अभियुक्त अभी फरार हैं । 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । शेष के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस डकैती डालने के उद्देश्य से ग्राम हरसाऊ गयी थी । यह कहना भी सही नहीं है कि 50/60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये क्योंकि केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिन्होंने गिरफ्तार अभियुक्तों को छुड़ाने के लिये पुलिस के साथ मारपीट की थी । अभियुक्तों से अमानवीय व्यवहार करने आदि के आरोप निराधार है । इस ग्राम में स्थिति सामान्य है और कोई भी व्यक्ति भय के कारण गांव छोड़कर नहीं गया है ।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके का स्वयं निरीक्षण भी कर चुके है ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

315 में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, यह वक्तव्य बिलकुल असत्य है । जो दारोगा ने दे दिया वही यहां पढ़ दिया (व्यवधान)

श्री मोतीलाल दहेलवी–

मान्यवर, इसमें माननीय गृह मंत्री ने अपना कोई विवेक प्रयोग नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपके द्वारा बनाये गये नियमों की रक्षा करने के लिए हूं उनको तोड़ने के लिए नहीं ।

श्री मोहन सिंह–

लेकिन परम्पराएं है। इसी सत्र में और इसी सदन में इस तरह के वक्तव्यों पर कई बार स्पष्टीकरणों की अनुमति आपकी पीठ से आवश्यकता होने पर, आवश्यकता समझने पर, दी गई है। ऐसे अवसर श्रीमन्, दिए गये है तो आप कृपा पूर्वक...

श्री उपाध्यक्ष–

कई आदमी एक साथ बोलेंगे तो हम क्या सुन पायेंगे?

श्री मोहन सिंह–

आप अपनी परम्परा को देखें। नियम और परम्परा दोनों से हमारी प्रक्रिया बनी हुई है । परम्परा यह है कि जिन चीजों की आप विशेष आवश्यकता समझते है, एसे वक्तव्यों पर दो-तीन स्पष्टीकरण विशेष परिस्थितियों में पूछने की इजाजत आप दे चुके है। उसी परम्परा को मैं आज पुनः आपसे निभाने का आग्रह कर रहा हूं कि आप दो-तीन स्पष्टीकरण का हमें अवसर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने विशेष शब्द का प्रयोग किया । इसका मतलब यह है कि नियम नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इजाजत दी जा सकती है। मैं आपके 'विशेष' शब्द की इज्जत करता हूं, इसलिए आप एक स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री मोहन सिंह–

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब साढ़े सात बजे शाम को उस गांव में अभियुक्त को गिरफ्तार करने की सूचना पुलिस थाने को मिली थी, तो उसके बाद कविनगर थाने में कुछ लोग आये होंगे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची होगी, तो दुबारा जो वहां पुलिस फोर्स पहुंचा है उसका समय क्या है?

(उत्तर देने में समय लगने पर) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कम से कम आप प्रिप्रेशन से तो खुश हुए, तैयारी की जा रही है।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह जब उनको खबर मिली, उसके एक्जेक्ट टाईम की इस समय सूचना हमारे पास नहीं है। जैसे ही उनको खबर मिली, पुलिस वहां पर पहुंची। तीन पुलिस कर्मियों को उन्होंने एक कमरे में बन्द कर दिया था और उसमें से एक पुलिस कर्मी हरपाल सिंह वहां से किसी तरह भागा और भागकर जब उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई है तो उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची है।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के पुनः स्पष्टीकरण पूछने हेतु खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

एक ही के लिए मैंने कहा था, अब नहीं।

श्री हुकम सिंह

मेरा विशेष आग्रह है, अति विशेष आग्रह है, एक प्रश्न और कर लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

हुकम सिंह जी, अब नहीं, अब आप विराजें।

श्री हुकम सिंह

अति विशेष परिस्थिति में एक स्पष्टीकरण की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने एक स्पष्टीकरण के लिए कहा था, उसके लिए केवल अवसर दिया था, अब नहीं।

श्री हुकम सिंह

लेकिन श्रीमन्, यहां तो पहले वाले का भी उत्तर नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि मेरे अति विशेष आग्रह पर आप मुझे एक मौका दे दें–एक बात और पूछ लूं।

एक सदस्य–

मोहन सिंह जी से यह पूछा जाए कि वह आज हाउस कितने बजे आए, तो वह स्वयं इसे नहीं बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

हुकम सिंह जी, आप बैठें। मोहन सिंह आप प्रश्न फिर से दोहरा दें।

*श्री मोहन सिंह–

मैंने आपसे आग्रह यह किया था कि जिन लोगों के नाम से सूचनाएं हैं, यदि एक-एक स्पष्टीकरण उनको मिल सके तो शायद सफाई हो जाएगी... (व्यवधान) आरोप यह है कि उस गांव में पुलिस वालों ने जाकर डाका डाला, मारा पीटा, और लूटमार की। गृह मंत्री ने एक व्यक्ति के खिलाफ चाकू मिलने का मुकदमा कायम होने की बात बताती हैं, लेकिन न पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई और पुलिस तुरन्त बिना तफतीश किये 7.20 पर वहां पहुंच गई और वहां पहुंचकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री का कहना है कि उसको गिरफ्तार किया गया तो उसकी बिरादरी के गांव के लोग जमा हो गये और उन्होंने तीन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया और एक भागा, तो यदि गांव वाले इतने सबल थे तो एक को छोड़ कैसे दिया? इस बात का तो इस समय, समय है नहीं। तो मेरा तो स्पष्टीकरण सिर्फ इस बात पर है कि जब वह भागा तो उसे गांव से भागने में समय लगा होगा, वहां कविनगर में रिपोर्ट लिखाया होगा कि पुलिस कर्मी गिरफ्तार हैं, फिर वहां से पुलिस रवाना हुई होगी। इस सब में समय लगा होगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने बजे दुबारा वहां पुलिस पहुंची? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस 12 बजे रात को वहां पहुंची और गांव वालों को लूटने लगी और सब सामान लूट लिया, तो दुबारा पुलिस के गांव में पहुंचने का मैं समय जानना चाहता हूं?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

यह जो सूचना मोहन सिंह जी ने मांगी है, यह सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन यदि मैं ही आपसे पूछूं कि कितने बजे आप सदन में आए...

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

यह सवाल नहीं है, इस तरह से नहीं, उसमें सब लिखा पढ़ी होती है। माननीय मुख्य मंत्री की हमेशा यह आदत है–प्रश्न दीगर उत्तर दीगर। जो इल्जाम इन पर लगते हैं, उसका उत्तर न देकर यह दूसरा उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गृह मंत्री जी, जो स्पष्टीकरण आपसे चाहा गया है, अगर वह अभी आपके पास उपलब्ध न हो तो उसको माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगी, दिलवा देंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आपकी आज्ञानुसार यह सूचना प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री हुकम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उन लोगों के हाथ तोड़ दिये गये, उसकी फोटोस्टेट कापी उस दिन मैंने आपको दिखायी थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके शरीर पर कहां-कहां कितनी चोटें आयीं? और उनके हाथ तोड़े गये या नहीं?

(व्यवधान)

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982†

[12 बजकर 58 मिनट]

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

*श्री हुकम सिंह–

श्रीमन्, इस पर मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, लिखकर भी दिया है। यह उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982, जिसको पुरःस्थापित करने हेतु गृह मंत्री जी सदन से अनुज्ञा चाह रही हैं, उसके सम्बन्ध में मैं तीन चीजें चाहता हूं, आपकी 3 व्यवस्थायें चाहता हूं यानी इस पर मेरी तीन आपत्तियां हैं। तीन व्यवस्थाओं के बिन्दु इस समय हमारे मस्तिष्क में हैं, पहला यह कि इस माननीय सदन को इस विधेयक की अनुज्ञा देने का अधिकार नहीं है। यह हमारे विधायी क्षेत्र में नहीं आता। दूसरे यह कि जो धारायें इनमें हैं वह संविधान के अनुच्छेदों के प्रतिकूल हैं। और तीसरा जो भेदभाव किया गया है, इस प्रदेश में ऐसा लगता है कि भौगोलिक विभाजन की बात तो नहीं होगी लेकिन इस विधेयक को लाकर ये प्रदेश को कई खंडों में विभक्त करने जा रहे हैं। एक हिस्से में दूसरा कानून होगा और दूसरे में दूसरा कानून होगा।

माननीय, आप देखें इसके अनुसार 3 बार यह अध्यादेश की शक्ल में पुरः-स्थापित करने के पूर्व आया। 2 बार 1981 में और एक बार विधान परिषद् के सत्रावसान हो जाने के बाद 20 या 21 तारीख में किया गया। इसमें जो धारायें दी हुई हैं और उनका जो असर होने वाला है उससे ऐसा लगता है अगर यह विधेयक पारित हो गया तो कुछ जिलों में जिनके बारे में पुलिस रिपोर्ट होगी कि ये-ये डकैतों से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर दूसरे कानून होंगे और दूसरे जिलों से वे भिन्न होंगे क्योंकि दण्ड प्रक्रिया का धाराओं में भी कुछ संशोधन करना होगा। चूंकि वह केन्द्र का क़ानून है इसलिए जब तक उनमें संशोधन करने का प्रदेशीय सरकार को अधिकार नहीं होगा तो महामहिम राज्यपाल इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो जब तक सदन के सामने जाब्ता फौजदारी में माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संशोधन प्रस्तुत न किए जायं, हम इन संशोधनों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 19 व 20 की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक द्वारा यह भी अधिकार चाहते हैं कि किसी भी अभियुक्त को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता न रहे। हमारे संविधान की धारा 22 में यह प्राविधान है कि कभी कोई अभियुक्त गिरफ्तार होगा तो उसको मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा लेकिन इसके द्वारा ये अधिकार ले रहे हैं कि वे किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें या न करें। इस नकाब के बीच में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं संविधान के अन्दर उनको भी साफ

---

†दिनांक 6 मार्च, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]
किया जा रहा है। अतः मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व इसके कि आप इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की इजाजत दें जो तीन बातें मैंने उठायी हैं और यह भी जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 11 जिलों में कुछ कानून बनेगा और दूसरे जिलों के लिए कुछ और कानून बनेगा और यह उनके विवेक पर छोड़ दिया जायगा कि किस जिले में कौन सा कानून लागू हो, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री रियासत हुसैन–

जो माननीय हुकम सिंह जी ने आपत्तियां उठायी हैं, उनमें हमारे संविधान का प्रौविजन निहित है और कान्सटीट्युशनली जो पूरे देश के नागरिकों को राइट्स मिले हैं आर्टिकिल 14 में, इक्वेलिटी बिफोर ला, जिसमें सारे नागरिकों का इस विधेयक के जरिए 2 जगहों पर विभाजन हो रहा है। ला एंड आर्डर की दृष्टि में 12 जिलों को अलग कर रहे हैं जो डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र घोषित करेंगे, उसका मूल आधार जो होगा वह पुलिस की रिपोर्ट होगी तो इसके मायने यह हुए कि पुलिस का प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और सी0 आर0 पी0 सी0 के जो एग्जिस्टिंग लाज हैं, जितने समय में उनके अनुसार लोगों को जमानत मिल जानी चाहिए, और उसको कोर्ट के सामने पुट अप कर देंगे, इस अधिनियम के मातहत एक अनिश्चित समय के अन्दर उसकी जमानत भी न हो पायेगी। इन चीजों को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि यह संविधान विरोधी है। इसलिये माननीय हुकम सिंह जी ने जो आपत्ति उठायी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री फखरे आलम–

मान्यवर, जैसा कि माननीय हुकम सिंह जी ने और माननीय रियासत हुसैन ने कहा है यह संविधान के विरुद्ध है। संविधान के आर्टिकिल 14 में न सिर्फ इक्वालिटी बिफोर ला है, बल्कि प्रोटेक्शन बिफोर ला भी है। उत्तर प्रदेश को अगर दो जोन्स में तकसीम कर दिया जायेगा तो जहां लोगों को इक्वालिटी बिफोर ला नहीं होगी और प्रोटेक्शन बिफोर ला नहीं रहेगा, वहां वह चीज संविधान के विरुद्ध हो जायेगी। संविधान ने हमें इस बात की गारन्टी दी है कि कानून के सामने हमें बराबरी का हक होगा, हमें प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अब इस विधेयक को पास कराके आप एक व्यक्ति को अदालत में जाने से रोक देंगे। उसकी जमानत भी नहीं हो पायेगी। उसको यह भी नहीं मालूम होगा कि उसको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक तो 24 घंटे के अन्दर अदालत के सामने जुर्म करने वाले को पेश करना होता है, अब यह प्रतिबन्ध हट जायेगा, तो यह संविधान के विरुद्ध होगा। यह अनकान्सी-ट्युशनल होगा, यह रद्द हो जायेगा। आपकी पीठ से इसे पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह संविधान के विरुद्ध है, मान्यवर, यह गलत है। संविधान में ही यह लिखा हुआ है कि अगर आवश्यक परिस्थितियां एसी आ जायें कि राज्य को किसी भी स्थिति से निपटने के लिये किसी विशेष कानून की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता है, तो राज्य सरकार उसे बना सकती है। (व्यवधान) इसमें जमानत का भी प्राविधान रखा गया है और कोई चीज असंवैधानिक नहीं है। क्या यह माननीय सदस्य जरूरी नहीं समझते कि डाकूग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर कि गवाह नहीं मिलते, वहां डाकुओं से निपटने के लिये इस प्रकार का विधेयक लाया जाये। सरकार अगर ईमानदारी भरा कोई ऐसा कदम इसके लिये उठाती है तो उसका तो विरोध पक्ष को समर्थन करना चाहिये, आप इसलिये विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आंचल में ऐसे लोगों को छिपाना चाहते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, दस्यु समस्या से निपटने के लिये ही इसे लाया गया है। इसमें केवल उन लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की जा रही है जो कानून को तोड़ते हैं। विरोध पक्ष को तो इसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिये। (व्यवधान)

(गृह मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी दे दें। जो प्रश्न माननीय हुकम सिंह जी ने उठाया है उस पर आपने अपनी व्यवस्था दिये बिना ही माननीया गृह मंत्री को बुला लिया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो संविधान के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। संविधान का आर्टिकिल 246 जो है, जो स्टेट लिस्ट है, इसमें सबसे पहला जो प्वाइंट है, वह है पब्लिक आर्डर और जहां तक पब्लिक आर्डर का सम्बन्ध है, स्टेट की एक सबसे पवित्र जिम्मेदारी है कि वह अपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करे, और ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने में अगर किसी प्रकार का हम नियम बनाते हैं या कोई व्यवस्था करते हैं तो वह संविधान के अन्तर्गत है। उसके प्रतिकूल नहीं है। मान्यवर .....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

आपको बधाई है गृह मंत्री जी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, दूसरा प्वाइंट जो इन्होंने रेज किया है कि हम इस प्रदेश का विभाजन करना चाहते हैं, तो मान्यवर, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो गंगा और जमुना की पवित्र धारा और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी से यह उत्तर प्रदेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, मान्यवर, किसी पर्वतीय क्षेत्र में, या किसी बैकवर्ड क्षेत्र में, ला एण्ड आर्डर के दृष्टिकोण से एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से बैकवर्ड एरियाज को आगे उठाने के लिए उनको सुधारने के लिये हम लोग इस प्रकार की योजना बनाते हैं। जैसे एक ही शहर में एक जगह 144 है, एक जगह नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

है। तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम उस शहर को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री बोल रही हैं और अम्मार रिजवी साहब उनको बताते जा रहे हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो कुछ जिलों में डाकुओं से लोग त्रस्त हैं, वहां की जनता इतनी परेशान है, जैसे एक मां अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, तो इसके माने यह नहीं है कि वह अन्य बच्चों को कम प्यार करती है। तो मान्यवर, डाकुओं से उस क्षेत्र में राहत देने के लिए हमने यह कदम उठाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस विधेयक पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अपना समर्थन देंगे ताकि डाकुओं का उन्मूलन हो और अपने प्रदेश को डाकुओं से राहत मिले और जब टाइम आयेगा तब आप लोग समर्थन करेंगे और जब यह बिल पेश होगा तो उस वक्त हम लोग अपने विचार का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, संवैधानिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये यहां पर अनुज्ञा दी जाती है, तो संवैधानिक अधिकारों का खुला हनन होगा और जहां पर खुला हनन होगा, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की निरंकुशता के लिए एक दरवाजा भी खुल जायगा। आज एक विधेयक लाये हैं, तो कल दूसरा विधेयक लायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जनरल नहीं बोलते, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, संविधान के कौन से अंश का हनन हो रहा है, जरा सा उसका भी उल्लेख कर दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

ऐसी स्थिति में कानून के समक्ष समता का अधिकार जो मिला हुआ है, उसका हनन हो रहा है और इस बात से प्रदेश की अखंडता का नारा लगाने वाले शासक दल के लोग जो संविधान की मूल भावना की बात है, प्रदेश को टुकड़े-टुकड़े करने में लगे हैं। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि संविधान की रक्षा के लिये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत करने की सदन में अनुज्ञा न दी जाय।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय फखरे आलम बोल चुके हैं। एक विषय पर दो बार नहीं बोल सकते।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत–

मान्यवर, पिछले कुछ समय से हम यह अनुभव कर रहे हैं कि संविधान के तोड़मरोड़ के बहुत ऐसे काम किये जा रहे हैं जिसकी कल्पना संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं की थी।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जनरल नहीं, संविधान के कौन से हिस्से का तोड़मरोड़ किया जा रहा है?

श्री थम्मन सिंह गहलोत–

मान्यवर, मैं थोड़े से वाक्य पढ़ रहा हूं । जो ईक्वल राइट्स के सम्बन्ध में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे वाक्य से मतलब नहीं है। संविधान की बात कहें।

श्री थम्मन सिंह गहलोत–

मैं अपने संविधान की कमैंटरी पर जींस का उद्धरण पृष्ठ 261 पर पढ़ना चाहता हूं–

"दि राइट टू सू एण्ड बी सूड टू प्रोसीक्यूट एण्ड बी प्रोसीक्यूटेड फार दि सेम काइन्ड आफ एक्शन सुड बी दि सेम फार आल सिटिजेन्स आफ फुल एज एण्ड अन्डर स्टैन्डिंग एण्ड विदाउट डिस्टिंक्शन आफ रेस, रिलीजन, वैल्थ, सोशल स्टेटस और पोलिटिकल इनफ्लून्स।"

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें ला एण्ड आर्डर कहां आया?

*श्री थम्मन सिंह गहलौत–

इससे भंग होता है। इससे पुलिस राज्य स्थापित हो जायेगा ।

(श्री सूबेदार सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं खड़ा हो गया। मुनासिब यह होता कि आप न खड़े होते लेकिन आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं बैठ जाता हूं।

*श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, कानून के समक्ष समानता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। डकैती प्रभावित क्षेत्रों में इस विधेयक को लाकर विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा की जा रही है। अगर मैनपुरी और फर्रुखाबाद को देखें तो स्थिति यह है कि उस क्षेत्र में डकैतों का सामना करने में तो यह सरकार अक्षम है लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूबेदार सिंह]

कर जेल में भेज रही है इतना ही नहीं उनके लाइसेंस जब्त किये जा रहे हैं और उनको बिल्कुल इस अवस्था में छोड़ रहे हैं कि असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

संविधानिक दौर का कोई बचा हो तो बोल ले।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी वाक्यपटुता को सुना। वह हुकम सिंह की किसी बात से पृथक नहीं थी।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, इससे . . .

श्री उपाध्यक्ष–

वाजपेयी जी जब आप ही रूलिंग देने लगेंगे तो हमको जाना होगा। हुकम सिंह ने जो बात कही उसमें तीन मुद्दे हैं । आपने एक व्यवस्था मुझसे यह चाही कि यह विधेयक सदन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, दूसरी मुझे इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। नम्बर तीन, यह विषय राज्य शासन से संबंधित है या केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है और यह विषय यदि राज्य शासन से ही आता है तो उसको रोकने की या उसको अप्रभावी करने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? इस प्रकार तीन मुद्दे बनते हैं।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सवाल है कि यह स्टेट सबजेक्ट है या यूनियन सबजेक्ट को लाने से रोकने के लिये, सूक्ष्म में उत्तर है, नहीं । अध्यक्ष पीठ से ऐसे विधेयकों का लाना रोका नहीं जा सकता है। इस पर मेरे पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय जाहिर कर दिया था, स्व0 मा0 मदन मोहन वर्मा की रूलिंग आप देखें जो उ0 प्र0 विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन (चतुर्थ संस्करण) के पेज 421 पर छपी है:–

श्री अध्यक्ष ने कहा–

"जहां तक कांस्टीट्यूशनल प्रश्नों को तय करने का प्रश्न है उन्हें सदन तय करेगा और उनको मैं नहीं तय करूंगा। अगर अवैध है तो सदन इसे तय करेगा और अगर वैध है तो इसे सदन तय करेगा। और अगर यह स्वीकृत हो गया और यह विधेयक एक्ट बन गया तो इसे अदालत तय करेगी, मैं नहीं।"

यह रूलिंग अध्यक्ष ने 1962 में दिया था। इसका मतलब पहले मुद्दे का उत्तर हो गया।

जहां तक मुद्दे का सवाल है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है या कांकरेन्ट सब्जेक्ट है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, पुराने कंवेन्शन को छोड़कर कुछ नई परम्परा और नई व्यवस्था दें।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, कुछ नई परम्परा डालें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने नई परम्परा डालने के लिए श्री यदुनाथ सिंह को तो पैदा ही कर दिया है।

तो दूसरा मुद्दा है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है या कांकरेन्ट सब्जेक्ट है तो मा0 गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 246 से उद्धरण देकर तथा राज्य सूची की प्रविष्टि का उल्लेख कर सिद्ध कर दिया कि यह स्टेट सब्जेक्ट है।

अब तीसरा मुद्दा सामने आता है कि उसके होने से प्रदेश के बंटवारे का अंदेशा है। क्या न्याय होने जा रहा है या नहीं। तो उसका उत्तर स्व0 मा0 मदन मोहन वर्मा दे चुके हैं। जब यह सदन में आवेगा तो सदन सक्षम है कि वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। और अगर उसके बाद भी यह मसला अस्वीकृत या स्वीकृत रहता है या अनिश्चय की स्थिति में रहता है तो उसका निश्चय अदालतें कर सकती हैं, न कि पीठासीन अधिकारी कर सकता है। इसलिये इन विषयों को देखते हुए मैं आपत्ति को निरस्त करता हूं और माननीया गृह मंत्री को अपने विधेयक को पेश करने की आज्ञा देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह–

आपने जो व्यवस्था स्थापित की है मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, यह जा रहे हैं इनको शरबत पिलवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करती हूं।

विधान भवन के गेट नं0 3 पर विधान सभा सचिवालय के एक कर्मचारी को पी0ए0सी0 के एक सिपाही द्वारा पीटे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

[12 बजकर 25 मिनट]

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें। मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

मान्यवर, कल दुर्भाग्य से विधान सभा के गेट नं0 3 पर एक घटना हो गयी। वहां पर तैनात एक पी0ए0सी0 के सिपाही ने विधान सभा में, लाइब्रेरी में काम करने वाले एक कर्मचारी श्री ओम प्रकाश को उस सिपाही ने गेट में प्रवेश करते समय

[श्री मोतीलाल देहलवी]

मारा पीटा और साइकिल छीन ली। तो मान्यवर, यहां जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको बड़ी वेदना हो रही है, बड़ा असंतोष हो रहा है और वह एक ही प्रश्न पूछते हैं कि अगर इस तरह से कर्मचारियों के साथ पुलिस के लोग मारपीट करेंगे तो यहां आकर उनको काम करने में बाधा पड़ेगी, कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिये मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आप देखें। मैं समझता हूं कि अधिकारियों के पास यह बात पहुंची होगी और उन्होंने कोई छानबीन की होगी तो मान्यवर, अगर छानबीन की गयी है तो हम अवगत होना चाहेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ताकि कर्मचारियों को कुछ संतोष हो जाय और भविष्य में ऐसी घटना न हो।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उप नेता विरोधी दल आपने जो प्रश्न उठाया है उसके विषय में, उसकी गम्भीरता को मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन हम अपने नियमों से नियमित हैं, यह सदन में उठ नहीं सकता। जहां तक जांच का सवाल है, जांच चल रही है और उसके एक हद पर पहुंचने के बाद सबको इसकी जानकारी दी जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, मैंने आपको दे रखा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री रामगोविन्द द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न को लेने की मांग

[1 बजकर 30 मिनट]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। 1 मार्च, 1982 को राज्य सूचना मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

क्या यह वही सूचना है जो आपने मुझको दी है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

जी हां

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो औचित्य के प्रश्न में आती नहीं, इसका प्रश्न नहीं है।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष–

जी हां, आपने भी एक प्रश्न दिया था, कल भी दिया था, लेकिन यह भी नियमों के अन्दर नहीं आ रहा है। अब मद संख्या 9 लेते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैं यह सूचना देता हूं कि राज्य सूचना मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस दे रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 31 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सभी अस्वीकार की गयीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री फखरे आलम, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री रियासत हुसैन जी की सूचना प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में थी।

दूसरी सूचना मा0 श्री मुख्तार अनीस, श्री अकबाल हुसैन, श्री हुकम सिंह की भी प्रदेश के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में थी। ये दोनों सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मसरूर जाफरी, श्री खैरुल बशर तथा श्री परमाई लाल की सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा 40 लाख रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में थी। इसे भी अस्वीकार किया गया।

चौथी सूचना श्रीमती गौरी देवी की है जो कि उपरोक्त के समान ही है, वह भी अस्वीकार हुई।

पांचवीं तथा छठी सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री कुबेर भंडारी तथा रुद्रप्रताप सिंह की एच0बी0टी0आई0 के एक छात्र की मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में थी, उसे भी अस्वीकार किया गया। नियम 301 में यह आ चुकी है, अतः इसमें उसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

सातवीं सूचना श्री राम सागर, श्री माता प्रसाद पाण्डे तथा श्री जमुना प्रसाद की बाराबंकी की पुलिस द्वारा दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिये जाने के सम्बन्ध में रही। आज इसे नियम 301 में स्वीकार किया जा चुका है और वह इस पर अपना वक्तव्य पढ़ चुके हैं। इसलिये इसे अस्वीकार किया गया।

आठवीं सूचना श्री मोहन सिंह तथा श्री सरदार सिंह द्वारा प्रदेश में ट्रक आपरेटरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में रही। इसमें मैं पहले ही कह चुका हूं कि मा0 परिवहन मंत्री अपना वक्तव्य देंगे और 6-3-82 को उनके वक्तव्य का समय निर्धारित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

(श्री मसरूर जाफरी, श्रीमती गौरी देवी तथा श्री खैरुल बशर खड़े हो गये तथा श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा कथित 40 लाख रु0 के घोटाले के सम्बन्ध में छपे हुये पोस्टर दिखाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह के पोस्टरों का प्रदर्शन नियमानुकूल नहीं है। आप लोग बैठ जाइए।

(घोर व्यवधान)

(श्री मसरूर जाफरी, श्री जसवंत सिंह विष्ट तथा अन्य कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(व्यवधान)

जो लोग बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, उनका नोट नहीं किया जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह 40 लाख के घोटाले वाली बात आप सुन लें।

(श्री खैरुल बशर, श्रीमती गौरी देवी, श्री मसरूर जाफरी खड़े होकर जोर-जोर से कुछ बोलते रहे जो कि बेहद शोर के कारण सुनाई नहीं पड़ रहा था।) (तत्पश्चात् श्री मसरूर जाफरी सदन में पोस्टर लेकर बीचों बीच खाली स्थान पर आ गये और श्री हुकम सिंह के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये) (इसके बाद श्रीमती गौरी देवी ने अपनी सीट से उठ कर पोस्टर को फ्लोर पर फेंक कर चली गयीं, श्री खैरुल बशर ने अपनी सीट से उठ कर, बाहर आ कर सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह की सीट के सामने पोस्टर छोड़ कर अपनी सीट पर चले गये।) (व्यवधान के मध्य उद्योग मंत्री अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ पढ़ते रहे, जो अत्यधिक व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री राज कुमार राय–

[* * *]

राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना [1 बजकर 34 मिनट पर]

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें। सारे विपक्ष ने राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करूंगा कि पी0डब्लू0डी0 विभाग जो है इस में जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी हैं श्री पी0 एन0 मिश्रा, उन के खिलाफ चीजों की खरीद इत्यादि में घोटाले की बात कही गयी है, मान्यवर, यह बहुत जरूरी है, इसको आप ले लीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप विपक्ष की भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्टेट डिपार्टमेन्ट में कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ है और आप उसे सुनने को तैयार नहीं हैं, इस तरह से मान्यवर, सदन नहीं चलेगा।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति अधिकारी कितना घोटाला कर रहे हैं मान्यवर, इसको आप ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उद्योग मंत्री, आप अपना आसन ग्रहण करें।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, जब जिस दिन यहां पर राज्य सम्पत्ति विभाग का, पी0डब्लू0डी0 की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

माननीय सदन में मंत्री जी ने अपनी अनुदान रखी थीं उसमें राज्य सम्पत्ति विभाग के लिये इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले दोनों ओर के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपने विचार व्यक्त करने की बात की थी। और आशा यह थी कि इन 2-4 दिनों में उनके बारे में कोई न कोई एक्शन माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की तरफ से लिया जायेगा और राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए आदेश हो गया होगा। उनके संबंध में और ये जो केयर-टेकर आदि हैं, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसकी वजह से सारे विरोधी दल के नेताओं ने कार्य-स्थगन के रूप में केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा था और हमें आशा है कि चीज को देखते हुए, चाहे आप डिस्कशन करायें, न करायें, मंत्री जी मौजूद हैं, सदन की भावनाओं को देखते हुए कोई कदम आज तक उठाया है या नहीं, पूरे माननीय सदन की मांग है, उत्तर दे दें।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जिस समय बजट प्रस्तुत हो रहा था और चर्चा चल रही थी उस समय बहुत सी बातें उठायी गयी थी और उसमें राज्य सम्पत्ति विभाग के सम्बन्ध में भी सम्मानित सदन में कुछ कहा गया था और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रियासत साहब को, मैंने कहा था कि मैं सदस्यों की एक कमेटी बनाने जा रहा हूं, उसे बना दूंगा और उसके बाद सारी चीजें, क्या-क्या प्राब्लम्स हैं, समस्यायें हैं, उनको वह देखेगी, उन पर अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर कार्यवाही की जायेगी। तो यह प्रक्रिया चल रही है। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं मान्यवर, हमेशा मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों के आदेश मानता रहा हूं, मैं फिर आप द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके प्रति शासन पूरी तरह से जागरूक है, अवश्य कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भय्या–

एक औचित्य का सवाल है, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी–

जिस दिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर, अनुदान पर, चर्चा हुई उसी दिन विपक्ष के लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य सम्पत्ति विभाग की आलोचना तो कम की मान्यवर, सबसे ज्यादा आलोचना सत्तापक्ष के विधायकों ने की थी और जो दलीय अनुशासन के डर से थे जुबान से नहीं कह सकते उन्होंने मेजें थपथपा कर विरोध पक्ष से आन्तरिक सहमति प्रकट की थी। जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया था कि स्टेट आफिसर के मामले में भी कुछ रोशनी डालें, आप भूल गये हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि उस पर कार्यवाही होगी। यह विचार इस सदन में प्रकट हुआ कि इस सरकार में हिम्मत ही नहीं है कि वह स्टेट आफिसर के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, क्योंकि मुख्य मंत्री के बंगले पर एक लाख खर्च किया गया है। आज भी आप देख रहे हैं, उसी भावना का यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री मोतीलाल दहेलवी]

परिचायक हैं कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि हम एक कमेटी बना देंगे। कमेटी उस पर विचार करेगी, जब रिपोर्ट आयेगी तो उसके आधार पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। तो मान्यवर, यह तो बिल्कुल गोलमाल जवाब है। यह विधायकों की समस्याओं की उपेक्षा है। हम माननीय मंत्री जी से यह आशा नहीं करते थे कि मा0 मंत्री जी इतनी हमदर्दी स्टेट अफसर से दिखायेंगे। मान्यवर, हम आज स्पष्ट आश्वासन चाहेंगे मा0 मंत्री जी से चाहा कि उस दिन मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मा0 मंत्री जी एक कमेटी बनायेंगे कमेटी छानबीन करे, वह होती रहे लेकिन विपक्ष की अनुरोध-पूर्वक यह मांग है कि आप राज्य सम्पत्ति अधिकारी को यहां से हटा दें। मान्यवर, अगर हटायेंगे नहीं तो इस तरह से असंतोष बना रहेगा और वह माननीय मंत्री जी के लिए अशुभ है।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, पी0 ए0 सी0 की रिपोर्ट आ गई कांग्रेस पार्टी के एक विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी, पी0 एन0 मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्ट रुप से ढाई घंटे तक कहा तो मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या वे इस बारे में कोई जांच करवायेंगे ? दूसरी बात यह है कि दारुलशफा में ए ब्लाक, बी ब्लाक और रायल होटल में उन सब तमाम जगहों के अन्दर माननीय विधायकों की क्या हालत है, उसकी आप जांच करवायें। वहां गन्दगी है, खाने का कोई इन्तजाम नहीं है। इन सब चीजों की आप जांच करवायें। आप 11 लाख रुपये मुख्य मंत्री के बंगले के ऊपर लगा चुके हैं और उसमें अभी और कितना पैसा लगाया जायेगा ? आपके राज्य अतिथि गृह में विरोध पक्ष के किसी सम्मानित सदस्य को जगह नहीं मिलती है और यूथ कांग्रेस के ऐसे तमाम लोग, जो न तो सदन के सदस्य हैं और न प्रतिष्ठित लोग हैं, वह लोग जबरदस्ती विधायकों के नाम पर वहां रहते हैं। दिल्ली में श्रीमती कुमार को आपने संचालन दे रखा है उसके श्री श्याम लाल बाजपेयी गवाह हैं कि उसने कमरा देने से इन्कार कर दिया। आपने यू0पी0 भवन बनाया है उसमें सत्ता पक्ष के सत्तारुढ़ सदस्यों के परिवार के लोग, उनके दोस्तों की बारात रुकती है लेकिन विरोध पक्ष के लोगों को कमरा नहीं मिलता है। इस तरह से विरोध पक्ष के लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है, इसके लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्री क्या कार्यवाही करेंगे ? यह बड़ा गम्भीर मामला है। विधायकों का मामला है। इसको आप देखें। विधायक निवासों में जो खाना मिलता है उसको आप खा नहीं सकते हैं, जहर है वह, इतना खराब खाना वहां मिल रहा है इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। इन सब चीजों को आप देखें और इसकी जांच करवायें।

श्री गौरी शंकर भय्या–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायकों की सुविधा के लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। इसी संबंध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक कमेटी है जिसके आप अध्यक्ष हैं उसका नाम है किचेन और आवास मंत्रणा समिति श्रीमन्, यह मामला जब आप उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे तो आपके सामने आया था और आपको याद होगा कि आपने कहा था कि एक ही चीज की व्यवस्था करने के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

दो कमेटी कैसे बनेगी जब कि एक कमेटी माननीय अध्यक्ष की इजाजत से आपकी अध्यक्षता में रन कर रही है तो यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार को अपनी तरफ से दूसरी कमेटी गठित करने का क्या औचित्य है। दूसरी बात मुझे आपको याद दिलानी है और मेरा ख्याल है आपको याद भी हो कि जब यह मामला कमेटी में उठा था, मैं भी उसका मेम्बर हूं उसके अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्षता कर रहे थे तो मैंने कहा था कि विधायकों की सुविधा के लिये जब विधान सभा की कमेटी बनी हुई है तो पी0 डब्लू0 डी0 अपनी तरफ से इस तरह से दूसरी कमेटी की व्यवस्था कैसे कर रहा है ? आपने मीटिंग को इसलिए स्थगित कर दिया कि पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर से जानकारी करके विचार करूंगा। और तब से किचन एवं आवास मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो पायी है। आज तक उस कमेटी की बैठक नहीं हो पायी। इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया जाय कि वहां भी आप संयोग से अध्यक्ष हैं और इस वक्त यहां भी अध्यक्षता कर रहे हैं तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है कि जब यह प्रश्न हाउस की कमेटी के अन्दर लम्बित था और अभी तक यह मामला उसके विचाराधीन है, और पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग आज तक आपको सन्तुष्ट नहीं कर पाया तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी कमेटी बनाने का क्या औचित्य है।

*श्री अकबाल हुसैन–

उपाध्यक्ष जी, राज्य सम्पत्ति विभाग के ऊपर जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है उस पर मेरा भी दस्तखत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दारुलशफा ए0 ब्लाक का 70 नं0 का कमरा मुझे रहने के लिये मिला है। 6-7 महीने पहले मैंने एक दरख्वास्त दी, एक लेटर लिखा राज्य सम्पत्ति अधिकारी को कि मेरे ऊपर का जो कमरा है उसके शौचालय का पानी मेरे कमरे में टपकता है लेकिन आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। जब मैंने पूछा, अभी कल ही इस सम्बन्ध में जानकारी की तो राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने बतलाया कि चूंकि समिति की बैठक अभी तक नहीं हो पायी है इसलिए उस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया जा सका है। श्री भीम सिंह और धरम सिंह भी उसके सदस्य हैं लेकिन चूंकि विभाग की तरफ से बैठक का कोई आमंत्रण नहीं मिला इसलिये बैठक नहीं हुई। ये ऐसी समस्यायें हैं जिनसे विधायकों को तकलीफ होती है। इन सब बातों के लिये आपसे मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी कम से कम राज्य सम्पत्ति अधिकारी से इन सब चीजों का निवारण तो करा दें।

श्री फखरे आलम–

मेरा भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष–

अलग से कोई बात कहेंगे या उसी को दोहरायेंगे ?

*श्री फखरे आलम–

दोहरायेंगे भी। मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो हमने दिया है वह इस वजह से दिया है कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने राज्य सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझ लिया है। बार बार उनके बारे में कहा गया है, यहां तक कि माननीय सदस्य श्री श्याम लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखर आलम]

बाजपेयी ने इस हाउस में खड़े होकर एलान किया कि श्री पी0एन0 मिश्र भ्रष्ट हैं। उनका विभाग कोई काम नहीं कर रहा है, विधायकों के सुविधा के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ इन्तजामात ऐसे किये गए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने श्री पी0 एन0 मिश्र को हटा दिया है और उनकी जगह किसी वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 आफिसर को स्टेट आफिसर बना दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें पूरा मौका दिया जाय कि हम पी0 एन0 मिश्रा के बारे में सब बातें यहां कह सकें। कार्य स्थगन का प्रस्ताव हमने इसलिये दिया है कि जो हमारे हकूक हैं उनका हनन किया जा रहा है और हम लोगों के रहने का इन्तजाम ठोक से नहीं किया गया है। इसका कोई इन्तजाम नहीं है कि हम वहां अपनी फेमिली को रख सकें और उनकी देखभाल कर सकें। अगर हम यहां व्यस्त रहें तो वहां का इन्तजाम देखे या यहां का देखें। मान्यवर, बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ है स्टेट आफिस में। स्टेट आफिसर ने घोटाला किया है और विधायकों के लिए वहां कोई इन्तजाम नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

रहने के अलावा आप और क्या-क्या इन्तजाम वहां चाहते हैं, बतला तो दें।

श्री फखर आलम–

वह इन्तजाम अपने लिए नहीं चाहता जोऔरों के लिए स्टेट आफिसर द्वारा किया जाता है, या माननीय मंत्री जी के लिये किया जाता है। औरों के लिये जो इन्तजाम ये करते रहे हैं वह इन्तजाम मुझे अपने लिये नहीं चाहिये।

*श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, सबसे पहले औचित्य के प्रश्न पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस दिया था। उसके नीचे अगर आप नियम 58 (2) को देखें तो उसमें है एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। और (5) में है प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। सबसे पहले औचित्य के प्रश्न पर मुझे यह कहना है कि चूंकि औचित्य के बारे में बातें कही गयीं हैं लिहाजा मेरा कर्तव्य है कि इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहूं। जहां तक कि इस प्रश्न का इस में उठाने का सवाल है, इस में किसी तरह से आप देखेंगे औचित्य का प्रश्न नहीं बनता और कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं बनता।

जहां तक समस्याओं की समस्या और जो माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत सी बातें कहीं हैं अपनी समस्याओं के बारे में और जनरल बात की है, तो कुछ इतना बड़ा सैट अप है इस के अंदर ये समस्यायें रोज-ब-रोज सामने आती हैं इससे इन्कार नहीं है। लेकिन इस के ऊपर तुरन्त कोई चीज करना किसी तरह से बगैर पूरी जांच किये हुये, सब तथ्यों के जांच किये हुए, यह उचित नहीं होगा. . .

(शोर) . . . . . .

श्री मुख्तार अनीस–

पी0ए0सी0 की रिपोर्ट आ गई है। श्री प्रिय दर्शी जेतली बैठे हुये हैं। ढाई घंटे तक गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इस की क्या जांच करायेंगे। कोई दूसरी अधिकारी को नियुक्त कराइये, इनको सस्पेन्ड कीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

आप से निवेदन करना है कि कुछ ला, इक्वेलिटी, जस्टिस, की बात की जाती है। किसी अधिकारी के खिलाफ कोई चीज पाई जाती है तो उस के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है। ट्रान्सफर कोई रेमिडी नहीं होती। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जो तथ्य बताये गये हैं। अभी पिछले दिनों इस पर चर्चा हुई थी 25 तारीख को जब बजट पेश हुआ था। 28 दिन का महीना था। तीन दिन और तीन तारीख आज हैं, 6 दिन हुये हैं और आप ने कहा कि अभी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही अवश्य होगी। लेकिन सब चीजों की छानबीन कर के कार्यवाही की जायगी।

जो दो कमेटीज के बारे में बात की गई है, वह एक कमेटी का सुझाव था हमारा क्योंकि मान्यवर, अधिकारियों की कमेटी बनायी जाय तो यह कहने को होगा कि यह सरकार अधिकारियों की कमेटी बना कर एम0एल0एज0 की बातों की जांच करना चाहती है। इस वजह से इस विषय के ऊपर कि यह जो निवासों का मामला है इनके अन्दर किसी तरह से हालत दुरुस्त की जाय, जो समस्या है उसकी किसी प्रकार से समाधान किया जाय एक छोटी कमेटी बना कर जो समय के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर माननीय सदस्य गौरी भैय्या को उस पर एतराज है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और समाधान के लिए सम्मानित सदस्यों की कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है बल्कि अधिकारियों द्वारा किसी कमेटी या कोई ऐसी इनक्वायरी करायी जाय तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

कमेटी पहले से है।

*श्री मोहन सिंह–

इसकी ग्राह्यता और औचित्य पर मुझे नहीं कहना है क्योंकि आपने स्वविवेक से इसको अग्राह्य कर दिया है। केवल हम लोगों की भावना को देखते हुये आप ने हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है विशेष स्थिति में और नियमों में ढील देते हुये।

जब राज्य सम्पत्ति विभाग का बजट आया था उस समय यह आदरणीय सदन एक ही बात पर सर्वसम्मत था। कोई सुझाव पर यह सदन कभी-कभी सर्वसम्मत होता है। पिछले वर्ष का मेरा निजी अनुभव है। राज्य सम्पत्ति अधिकारो के बारे में इस आदरणीय सदन के माननीय विधायक चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों उनके हटाये जाने और निलम्बन के बारे में सर्व सम्मत हैं। दो चार लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन सर्व-सम्मति का आदर करने का ढंग इनको है नहीं। माननीय मंत्री जी इस विषय में एक शब्द भी कहने को तैयार हैं? पी0सी0एस0 आरगेनाइजेशन ने भी उनके कदाचार पर दु:खी होकर उनको अपने मंत्री पद से हटा दिया है लेकिन राज्य सम्पत्ति मंत्री जी उनको अपने विभाग से हटाने के लिए तैयार नहीं है। आप से क्या मुहब्बत हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो इसी आदरणीय सदन की एक सम्मानित समिति है, आरोपों की छानबीन करने के बाद अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया तब भी राज्य सम्पत्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करना मैं समझता हूं यह शासन की अक्षमता और माननीय मंत्री जी का उनके प्रति एक विशेष प्रेम का द्योतक है।

हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमारी समस्याओं के बारे में किसी समिति का गठन कर देंगे। हम अपनी समस्याओं के बारे में किसी समिति के गठन के पक्ष में नहीं है। आपने एक समिति का गठन किया था। जिसमें मैं भी था। मेरी तो यह राय है कि हमारी समिति ने जो संस्तुतियां की हैं राज्य सम्पत्ति विभाग ने उसके एक शब्द का भी कार्यान्वयन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या राज्य सम्पत्ति अधिकारी है और इस समस्या के निदान के लिये माननीय मंत्री जी कोई ठोस सुझाव नहीं दे रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अब हम राज्य सम्पत्ति अधिकारी के निष्कासन की मांग नहीं करेंगे माननीय मंत्री जी के निष्कासन की मांग करेंगे जिन्हें कि न मालूम क्या रुचि है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ यहां पर बार-बार चर्चा होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफर तक करने के लिये तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आरोप सिद्ध हो गये हैं, पी0 ए0 सी0 की रिपोर्ट आ चुकी है और सारे विपक्ष ने एक साथ हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ आपको लिखकर दिया है जबकि कभी आप कहते हैं कि विपक्ष किसी विषय पर एक साथ सहमत नहीं होता, सारे नियमों में ढील देते हुए माननीय मंत्री जी को उसे अस्वीकार करने में न मालूम क्या खुशी होती है, उनकी क्या रुचि है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस कदाचारी व्यक्ति के विरुद्ध उन्हें तत्काल निलम्बित करके, उनकी जांच के लिये सदन की कोई कमेटी मुकर्रर करेंगे ?

श्री मुईद अहमद–

श्रीमन्, राज्य सम्पत्ति अधिकारी के बारे में माननीय सदन में सदस्यों की भावना आ गई है। उनको तीन साल पहले ही हट जाना चाहिए था।

श्री मुख्तार अनीस–

अपनी पार्टी के लोगों से पूछिये।

एक सदस्य–

मंत्री जी उनकी पैरवी न करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। माननीय मोहन सिंह जी गुस्से में आ गये। उनका क्या है? उनकी कई ऐसी चीजें हम लोग कलेजे से लगाये हुए हैं और उन्हीं से ये सब चीजें हम तक पहुंची हैं। जहां तक मौजूदा सरकार का

सवाल है, जो प्रश्न उन्होंने किया और प्रश्न उठाया कि क्या इसकी जांच करायेंगे तो इसका उत्तर हां में है, वह अवश्य करायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस–

जो आप जांच कराने के लिये कह रहे हैं तो जब तक आप उन्हें हटायेंगे नहीं, तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उन पर पर्दापोशी होगी जो परदे और फर्नीचर खरीदने में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यदि वे अपने पद पर बने रहे या यहीं पर रहे तो वे इससे बचने की कोशिश करेंगे। इसलिये आप इस समय सदन को आश्वासन दें कि जांच के पूर्व इनको आप हटा देंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

इस सम्बन्ध में जो भी अपेक्षित और उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

(उद्योग मंत्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है दो मिनट सुन लें। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। एक इंटर कालेज नरही में है...

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। ....(व्यवधान)।

श्री राम आसरे वर्मा–

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध 40 लाख रुपये के घोटाले का इल्जाम है। यह आपके सामने पेपर पड़ा है। इसमें मंत्री जी के भ्रष्टाचार की कहानी लिखी हुई है..... (व्यवधान) कांग्रेस कार्यकर्ता आमरण अनशन कर रहे हैं...(व्यवधान)।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और कुछ सुनाई नहीं दिया।)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, ये जो कुछ कह रहे हैं सब गलत है। इन्होंने इसको एक धन्धा बना लिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। नियम देखिये उसके बाद आरोप लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय उद्योग मंत्री, आप अनुदान पेश करें।

(व्यवधान)

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण), अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा अनुदान संख्या 39– मुस्लिम वक्फ विभाग

[2 बजकर 5 मिनट]

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

[* *]

श्री राजकुमार राय–

[* *]

श्री मसरूर जाफरी–

[* *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो लोग बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय खैरुल बशर बैठें (व्यवधान) आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री नियाज हसन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,46,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,34,69,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत कीजाय ।

नोट [**]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,57,08,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपा करके बैठें। मार्शल यह जो पोस्टर पड़े हैं इनको हटा दें।

(पोस्टर हटवाये गये)

श्री नियाज हसन खां–

महोदय, किसी प्रान्त का विकास तभी हो सकता है जब कि उसका औद्योगीकरण हो। दुनिया में छोटे-छोटे मुल्क जर्मनी और जापान आदि अपनी तरक्की और विकास तभी कर सके जबकि उनका औद्योगीकरण किया गया। आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश इसमें पीछे रहा है और उस पीछेपन को दूर करने के लिए माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने कुछ मौलिक कदम उठाये हैं, अहम कदम उठाए हैं। उसमें सबसे पहला कदम यह था, जो उद्यमी पहले उद्योग लगाने के लिए विभिन्न विभागों में दौड़ते थे–कहीं दरख्वास्त देने, कहीं स्वीकृत कराने, एक बड़ी भाग-दौड़ रहती थी, जिससे हताश होकर वह उद्योग लगाने का इरादा छोड़ बैठते थे और लोग उद्योग लगाने में पड़ना नहीं चाहते थे। उसे दूर करने के लिए सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि 'उद्योग बन्धु' को स्थापित किया गया है, जहां पर हर विषय की सूचनाएं, सब किस्म के फार्म, सभी सुविधाएं, जो उसको मिल जाएंगी–सब एक स्थान पर रखी गयी हैं। इससे उसका वक्त जो पहले इधर उधर की भाग दौड़ में बेकार चला जाता था वह बच जाएगा। उसकी तमाम किस्म की परेशानी खत्म हो जाएगी।

[श्री नियाज हसन खां]

दूसरा कदम यह है, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जो मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उद्योग बन्धुओं की बैठक करती है, उसमें जितनी समस्याएं उद्यमियों की होती हैं, उद्योग से ताल्लुक रखती हैं, उन सबका एक ही जगह पर उनकी अध्यक्षता में समाधान किया जाता है। उस हाई पावर कमेटी में चाहे पी0 सी0 एफ0 का लोन हो, वित्त निगम का हो या पिकअप का या दूसरा लोन हो या फिर सेल्स टैक्स का फार्म लेना हो इस सब पर निर्णय लिया गया है। चूंकि देखा यह गया है कि उनको यहां वहां से ऋण मिलने में काफी समय लगता था और परेशानी होती थी और जो उसका प्रोसीजर है, उसमें काफी समय लगता है। तो हाई पावर कमेटी ने यह तय किया है कि चाहे पी0सी0एफ0 का ऋण हो, या पिकअप का या फिर वित्त निगम का इसके बारे में 3-4 महीने में निर्णय ले लिया जाना चाहिए, मिल सकता है तो 'हां', नहीं तो 'नहीं'। यह तो मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए बना हुआ है। अब लघु उद्योग के लिए भी एक ऐसी ही कमेटी आवश्यक समझी गयी तो वह भी किया गया और उसकी बैठक हर माह में होती है। इसकी मंडलीय स्तर पर हर माह एक बैठक होती है, जिस तरह से मंत्रिमंडल की होती है। वहां सब उद्यमी मौजूद रहते हैं, वे अपनी समस्याएं रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती है और विभिन्न विभागीय अफसर भी वहां मौजूद रहते हैं। यही नहीं कि केवल उद्योग विभाग के रहते हों, सेल्स टैक्स, वन, एक्साईज सभी विभागों के वहां अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो उनकी समस्याएं वहां सुनी जाती हैं और कोशिश यह की जाती है कि उसी बैठक में उनकी समस्याओं को हल किया जाए उसके फलस्वरूप एक वातावरण बना है बावजूद संसाधनों की और बिजली की कमी के एक अच्छा वातावरण बना है। उसका नतीजा क्या हुआ, उद्योग विभाग, उद्योग बन्धुओं की कमेटी बनाने के बाद कलकत्ता और दिल्ली तथा अन्य शहरों को गया है वहां के उद्यमियों से सम्पर्क स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यह आपकी दिक्कतें हैं और दौड़-धूप कर यह समाधान किया गया। उससे प्रदेश में एक वातावरण बना है और उसका नतीजा यह है कि जहां महीने में उद्योगों के लिए 4-5 प्रार्थना-पत्र आते थे आज 20-25 प्रति माह आने लगे हैं। तो इस प्रकार से एक वातावरण बना है और उसका ही यह नतीजा हुआ है।

कच्चे माल की जहां तक कमी का मामला है उद्योग विभाग में पिग आयरन, रेशम, मोम और कोयले की दौड़ धूप कर व्यवस्था की है। हम लोगों ने 10 हजार टन पिग आयरन बाहर से मंगायी है और इसी प्रकार से अन्य कच्चे माल का प्रबन्ध किया है ताकि जो उद्योग लगे हैं या लगने वाले हैं उनकी दिक्कतें दूर हों। उसके अलावा इसी वर्ष 248 बड़े और मध्यम वर्ग के यूनिट्स हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में कराया है और जिनकी लागत 656 करोड़ है। इसी प्रकार से 36 लेटर आफ इन्डेन्ट प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 112 करोड़ हैं, को इम्पलीमेंट किया गया। पिछली बार जब मैंने बजट पेश किया था तो इस बात पर जोर दिया था कि छोटे और कुटीर उद्योग ब्लाक स्तर पर भी लगाये जायं ताकि बेरोजगारी दूर हो। पूरे प्रदेश में पिछले साल 8546 लघु उद्योग लगाये गये, उसमें पहले 4921 लगे थे। इसमें हमारे 50,000 आदमी खप गये।

इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने का मतलब यह है कि आप प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं चाहते हैं। तो हमारे यहां पर इस समय 885 ब्लाक हैं जिसमें फी ब्लाक का एवरेज अगर करें तो हर ब्लाक में 10 के करीब आते हैं।

(व्यवधान)

हमारी जो पिकअप है उस संस्था ने पिछले 2 सालों में लेटर आफ इन्डेन्ट प्राप्त किये थे जबकि हमने 1981-82 में 10 लेटर आफ इन्डेन्ट हासिल किए हैं ।

जहां तक ब*ास वेयर कारपोरेशन का सम्बन्ध है हमारे यहां पर 29 कारखानें लगे हुए हैं, मैं आपको सूची दे दूंगा, आप जाकर देख लें ।

रियासत हुसैन साहब के शहर में एक कारखाना लग रहा है। (व्यवधान)

एक सदस्य—

देवरिया में बतला दीजिये।

श्री नियाज हसन खां—

पहले इनके शहर में कच्चा माल बाहर से आता था। ब्रास और सिलवर निकिल अब इस कारखाने में यहीं पैदा होगा और यह कारखाना सन् 1983 तक उत्पादन भी शुरू कर देगा। इस क्षेत्र के कच्चे माल की पूर्ति यह कारखाना कर सकेगा।

(व्यवधान)

आप कृपया सुनें। एक वातावरण हमने तैयार किया है कि उद्योग हमारे यहां लगें। केन्द्र से भी हमें चार चीजों के कारखाने मिले हैं। फर्टीलाइजर के 4 कारखाने हैं, एक सेल का है, एक एच0 ए0 एल0 का है और एक एरोनाटिक काम्पलेक्स है। यह उत्तर प्रदेश में ही लगने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शान्त रहें।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, कारखाने लगाने के जरिये होने चाहिये कि किस तरह से वे लगेंगे। एक तो इनको केन्द्रीय सरकार लगाती है। दूसरे निजी क्षेत्र में भी लगते हैं। ज्वाइन्ट सेक्टर में होते हैं। प्रान्त की सरकार भी लगाती है। यही तरीका है उद्योग लगाने का। हमारे कुछ साथी अक्सर पूंजीपतियों का जिक्र करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की यह सरकार किसी पूंजीपति के पीछे नहीं दौड़ती है, यह सरकार अगर दौड़ती है तो उद्योगों के पीछे दौड़ती है। अगर कोई पूंजीपति केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र आदि में कारखाना लगाता है तो वहां की सरकार उनके आगे लाल कालीन बिछाती है, मगर हमारे यहां अगर कोई पूंजीपति कारखाना लगाना चाहता है तो उसके खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाती

[श्री नियाज हसन खां]

हैं । मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमने अपने यहां उद्योगों के लिए एक वातावरण तैयार किया है हम चाहते हैं कि हमारे यहां उद्योग पनपे और जब उद्योग पनपेंगे तो प्रदेश का विकास होगा। हम तो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, मगर उत्तर प्रदेश में लगाया गया उद्योग हमेशा रहेगा। कोई भी सरकार टिक नहीं सकती बिना औद्योगीकरण किये हुए ।

पूंजीपतियों का भी एक योगदान है और इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पूंजीपतियों ने अपने यहां ही नहीं, बाहर भी कारखाने लगाये हैं। ऐसी जगह भी लगाये हैं जहां पर कि महात्मा गांधी रहा करते थे और जहां उनकी हत्या कर दी गयी। (व्यवधान) हमारे यहां इसके लिए एक वातावरण बना है, सरकार उसमें जुटी है, केन्द्र भी जुटा है और जो भी साधन हम जुटा सकते हैं वह जुटा रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे यहां कारखाने लगें ।

अब जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके संबंध में मैं चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यगिक विकास निगम हमारा मुख्य निगम है। इसका कार्य भूमि और भवन की सुविधा देना है और अगर कोई उद्यमी उनसे मिल कर कारखाना लगाना चाहे, तो लगा सकते हैं। वर्ष 1980-81 में इस निगम ने 594 प्लाट आवंटित किये। 1981-82 में 750 आवंटित किये। 5 नये कारखाने लगाने का प्लाट बना कर दिया है। ये कारखाने सूरजपुर, गाजियाबाद, कोसी (मथुरा), खलीलाबाद (बस्ती), बछरावां, गजरौला (रायबरेली) में लगायेंगे। एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि अक्सर यह जिक्र किया जाता है कि जितने प्रदेश के निगम हैं, घाटे पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उद्योग विभाग के नीचे कोई भी निगम आज घाटे पर नहीं चल रहा है। यह सुन कर आपको खुशी होगी कि सीमेन्ट का निगम जो पिछले साल 1 करोड़, 94 लाख रुपये के घाटे में था, वह इस साल 10 करोड़ लाभ पर है।

श्री धरम पाल–

कितना प्रोडक्शन किया और दाम कितना बढ़ाया ?

श्री कैलाश टण्डन–

पहले जब घाटा हुआ, उस समय के उत्पादन और इस समय के सीमेंट के उत्पादन को देखा जाय, तब साफ होगा। मैं आंकड़ों को बहुत जानता हूं।

श्री नियाज हसन खां–

सीमेन्ट का उत्पादन बाद में सुन लीजिएगा ।

इसी तरह से हमने एक कारखाना जैसा कि आपको मालूम है ट्रैक्टर बना रहा है प्रतापगढ़ में . .

एक सदस्य–

इसको आपने लगाया है?

श्री नियाज हसन खां–

इसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता हूं। यह तो मुझसे पहले ट्रैक्टर फैक्ट्री लग चुकी थी। लिहाजा मैं उसका कोई क्रैडिट नहीं ले रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि जितने कम वक्त में प्रोडक्शन, पैदावार शुरू कर दी है, उसकी कोई मिसाल नहीं

है। अब तक 124 ट्रैक्टर बन चुके हैं, 74 बिक चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि साल में इनको 500 ट्रैक्टर बनाना है। छठी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक 6000 ट्रैक्टर बन कर मारकेट में ले आना है, जिसकी कीमत 62 हजार 900 रुपया होगी और जैसा कि आपको मालूम है ब्रिटिश लीलैंड के कोलाबरेशन से ये ट्रैक्टर बन रहे हैं। तीसरी हमारी संस्था न्वाइडा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप वहां पर जाकर देखें, तो मालूम होता है कि युद्ध हो रहा है, या ट्रैक्टर चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं कारखाने बन रहे हैं, कहीं आवास रहने के लिए बन रहा है। मेरी उद्योग विभाग की किताब खुली हुई है, जो भी फैक्ट्री आप देखना चाहें, जहां भी जाना चाहें, अवश्य जायं, सारी सुविधायें आपको मिलेंगी। 1980-81 में 650 शेड्स बनें। 1981-82 में 800 शेड्स बनें। 1982-83 में 1000 शेड्स बनाये जायेंगे। 1980-81 में 250, 1981-82 में 450 इकाइयों ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1982-83 में 1000 इकाइयों के शुरू करने का अनुमान है।

वर्ष 80-81 में 10 हजार लोगों को रोजगार मिला और 81-82 में 15 हजार लोगों को मिला। तीसरी संस्था राज्य वस्त्र निगम। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल का इस समय रिसेशन है। कपड़ों की खरीद कम हो रही। उसकी वजह से तमाम हिन्दुस्तान में रिसेशन आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे निगम ने 2 करोड़ का कैश लाभ बनाया है और उसने उत्पादन में बढ़ोत्तरी की है। मान्यवर, 12 नई स्पिनिंग मिल लगाने की योजना है 7 स्टेट सेक्टर में और 5 कोआपरेटिव सेक्टर में लगेंगी। यह सभी मिलें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू हो जायेंगी। मौजूद 8 स्पिनिंग मिलों के 25 हजार को बढ़ाकर 50 हजार किया जा रहा है। पांचवीं संस्था पिकअप है। 72 से 80 तक 8 सालों में 7 करोड़ 58 लाख रुपया बतौर ऋण बांटा गया था जबकि सिर्फ 80-82 जनवरी 82 तक 15 करोड़ 13 लाख 76 हजार रुपया ऋण बतौर बांटा गया है। पिछले 8 साल में 2 लेटर आफ इन्डेन्ट मिले थे। अब एक साल में 10 मिले हैं।

लखनऊ में जर्मन के कोलोबोरेशन से पिकअप एक टूल रूम की स्थापना करने जा रहा है। मान्यवर, वित्त निगम छठी संस्था है। जैसा मैंने कहा था कि ऋण मिलने में काफी देर होती है। उद्योग बन्धु कमेटी ने अब फैसला किया है कि 3-4 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिये। 80-81 में 2 हजार 400 इकाईयों को मदद की गई। वर्ष 81-82 में 25 करोड़ रुपया बतौर ऋण बांटा जायेगा। 81-82 में 3 हजार इकाईयों को मदद दी गई। 81-82 में 30 करोड़ रुपया बांटने का अनुमान है। श्रीमन्, अक्सर यह शिकायत की गई कि बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 अफसरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।

अब मान्यवर, सीमेन्ट निगम है। सीमेन्ट का उत्पादन सुन लें। वर्ष 80-81 में चूर्क में 5.16 लाख टन उत्पादन किया गया और डाला में

[श्री नियाज हसन खां]

7-10 लाख टन का उत्पादन किया गया। तीसरा जो कजराहट है उसका वर्ष 1982-83 में 15 लाख टन का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में 1,94,00,000 रुपये का घाटा हुआ लेकिन 1981-82 में 10 लाख रुपये के लाभ होने की उम्मीद है। यदि यही रफ्तार रही और शानपूर्वक काम चलता रहा तो वर्ष 1982-83 में 8 करोड़ रुपये के लाभ होने की उम्मीद है। मान्यवर, कजराहट सीमेंट फैक्टरी में एक प्रि-कैल्सीनेटर लगाये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ताकि फ्यूल में कमी हो और उत्पादन बढ़े। यह 10 करोड़ रुपये की लागत से इस वर्ष लगेगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन देश की मानी हुई संस्था है। वर्ष 1981-82 के अन्त तक इस निगम ने 22 करोड़ रुपये की बिक्री किया है और 1982-83 में अनुमान है कि 35 करोड़ रुपये की बिक्री करेगा और जैसा कि अखबारों में देखा होगा कि जर्मनी और इंगलैण्ड के कोलोबरेशन से 1-2 फैक्टरी हम और लगाने जा रहे हैं।

मान्यवर, यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन में वर्ष 1980-81 में 2,86,000 टन उत्पादन हुआ, 1981-82 में 2,61,000 टन और 1982-83 में 5,75,000 टन उत्पादन होने का अनुमान है। यह निगम राक फास्फेट, ललितपुर में, सिंथेटिक इमरी प्लांट बांदा में, लैम्भीधर लाइम स्टोन माइनिंग देहरादून में, कैल्सियम कारबाइड फैक्टरी देहरादून में पैदावार में लगे हुये हैं।

मान्यवर, यू0 पी0 ब्रासवेयर कारपोरेशन, ने दो चीजें किया है, एक तो कच्चे माल के कारखाने स्थापित किये ताकि कच्चा माल बाहर से न मंगाना पड़े और दूसरे जो छोटे उद्यमी काम कर रहे हैं, भट्ठियां छोटी-छोटी गलियों में हैं उनको निकालकर पीतल नगरी बसायी जायेगी मुरादाबाद में। इसके अलावा मुरादाबाद में रोलिंग मिल की स्थापना की गयी है जो सितम्बर, 1982 तक चालू हो जायेगी और इस प्रोजेक्ट की लागत 3.30 करोड़ रुपये है। यह पीतल की सिल्वर शीटें बनायेगी। इसकी क्षमता 800 मीट्रिक टन पर एनम है। इस तरीके से मुरादाबाद पीतल बस्ती की स्थापना की लागत 6.74 करोड़ रु0 है। वर्ष 1980-81 में इस निगम ने एक्सपोर्ट किया 6,60,389 रु0 का, 81-82 में 9,50,000 रु0 का 82-83 में 50,00,000 रु0 का एक्सपोर्ट होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ने वर्ष 81-82 में 3,21,00,000 रु0 का एक्सपोर्ट किया और हिन्दुस्तान में जो माल बेचा उसको मिलाकर 9 करोड़ रु0 की बिक्री की।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि छोटे उद्यमियों को, बुनकरों को और बिनने वालों को सहूलियत देता है। वर्ष 1980-81 में इसका उत्पादन 38,64,00,000 मीटर का मात्र था, 81-82 में 51 करोड़ मीटर तथा वर्ष 82-83 में 54 करोड़ मीटर अनुमानित है। यह निगम रेशम भी पैदा करता है। वर्ष 80-81 में 12,700 कि0 ग्राम और वर्ष 81-82 में 17,500 कि0 ग्राम रेशम इसने पैदा किया।

इस निगम ने जनता कपड़ा वर्ष 1980-81 में 25 करोड़ का उत्पादन किया; 81-82 में 28 करोड़ तथा वर्ष 82-83 में 32 करोड़ का अनुमानित है। इसकी बिक्री वर्ष 1980-81 में 40 करोड़ 72 लाख रही, 81-82 में 48 करोड़ तथा 82-83 में अनुमान किया जाता है कि यह 50 करोड़ की होगी।

इसी के साथ-साथ एक छोटी संस्था भी है–"यूपिका"। इसने वर्ष 80-81 में 7.50 करोड़ की बिक्री की, वर्ष 81-82 में 8 करोड़ की अनुमानित तथा 82-83 में 10 करोड़ की अनुमानित है। इसको नैट प्रोफिट वर्ष 80-81 में 12 लाख 80 हजार का हुआ, 81-82 में 14 लाख होने की उम्मीद है।

श्री कैलाश टण्डन–

यह "रेशम" का आपने क्या बताया, फिर से बता दीजिये।

श्री नियाज हसन खां–

रेशम के विषय में मैंने बताया था कि वर्ष 80-81 में 12,700 कि0 ग्राम और 81-82 में 17,500 कि0 ग्राम रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम ने किया।

इसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसका मुख्य काम कच्चा माल पहुंचाना है। इसका टर्नओवर वर्ष 80-81 में 23 करोड़ 64 लाख, 81-82 में 40 करोड़ 30 लाख अनुमानित है। इसको वर्ष 80-81 में 45 लाख 40 हजार का लाभ हुआ। इस निगम के बहुत से काम हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो आइरन की कमी थी, 10 हजार टन बाहर से मंगाया गया।

छोटी सी संस्था है, आपकी सेवा में लगी रहती है, अगर यह न हो आपको न इसकी हजरतगंज में खुल गयी है। तो इन सबको आपके सामने प्रस्तुत करते हुए लेह तीनथे इलाहाबाद, रामपुर और वाराणसी में। इसके अलावा अब एक नई शाखा छोटा सा अनुदान उद्योग का पेश किया है।

श्री धरमपाल–

इसमें बड़े घपले हैं।

श्री नियाज हसन खां–

जी हां, इन्हीं घपलों को खत्म करने के लिये ही मैं इसे पेश कर रहा हूं (इसके बाद मंत्री जी ने अपना चश्मा बदला)।

श्री मोहन सिंह–

लीजिये अब उन्होंने दूसरा चश्मा लगा लिया है।

श्री नियाज हसन खां–

जैसे-जैसे घपले होते हैं उसी तरह का चश्मा भी बदलना पड़ता है।

[श्री नियाज हसन खां]

तो श्रीमन्, उसे तबाही से रोकने के लिये एक छोटा सा संशोधन हम लाये हैं और आपने बड़ी कृपा की थी और उसको मन्जूर कर लिया था मगर वह काउन्सिल में जब गया तो पहिले दिन आप लोगों ने हुल्लड़ मचा कर के कुछ ऐसा किया कि काउन्सिल एडजर्न हो गयी ।

श्री मोहन सिंह–

ऐसा न कहें नहीं तो विशेषाधिकार हो जायेगा ।

श्री नियाज हसन खां–

मैं क्षमा मांगता हूं इसके लिये । दूसरी बार कुछ टेक्नीकल ग्राउण्ड पर मैंने जो संशोधन दिया था एजेन्डे में, कुछ कमी हो गयी और वह रह गया, रोक दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, काउन्सिल के बारे में या उसकी कार्यवाही के बारे में यहां कुछ न कहें, आगे बढ़ें ।

श्री नियाज हसन खां–

क्षमा कीजियेगा । फिर मुझे इसके लिये अध्यादेश लाना पड़ा । जब हमारा अध्यादेश आया तो आप नाराज हो कर चले गये थे कि क्या यह सरकार अध्यादेश के बल पर चल रही है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग क्या करें ? अध्यादेश न लायें तो क्या करें । आया जो बेचारे कब्र में लेटे हुए हैं उनको तबाही और बरबादी से बचायेंगे नहीं, लिहाजा यह करना पड़ा । मैं आशा करता हूं कि हमने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं, आप इसे जरूर से कि प्रदेश में औद्योगीकरण करना है, हमारा समर्थन करेंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना ।)

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ––

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बलबीर सिंह जी, अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय आप प्रत्येक अनुदान को पढ़िये ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी–

मान्यवर, ये दिल से कटौती का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहे हैं ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27– निर्यात–प्रोत्साहन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–मुस्लिम वक्फ विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है–कच्चा माल, फाइनेंस, ऊर्जा, वर्कमैनशिप यानी श्रम और इसके साथ-साथ रिस्क उठाने की शक्ति । इन सब से मिल कर उद्योग का विकास होता है । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में ऊर्जा की कमी के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है तथा उद्योगपति और उद्यमी हताश हैं । बिजली की कमी, कोयले की कमी के कारण भी उद्योगपति तथा उद्यमी हताश हो रहे हैं जिससे उद्योग लगाने का धंधा नहीं कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में निगमों में बड़ा भ्रष्टाचार है, उसकी कहानी मंत्री जी ने स्वतः कह दी कि भ्रष्टाचार है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के उद्योग-पति और उद्यमी बाहर के प्रदेशों में जा कर अपना उद्योग की स्थापना कर रहे हैं ।

सबसे पहले मैं खनिज तथा खानों के बारे में बहुमूल्य सुझाव दूंगा । मैं चाहूंगा कि उसकी व्याख्या मंत्री जी अपने अन्तिम भाषण में करें। पहाड़ों पर अल्मोड़ा, गढ़वाल, कुमायूं के क्षेत्रों में खनिज और खानें हैं तथा आगरा, मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड में भी हैं । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके उत्पादन को इस्तेमाल करने के लिए जो कारखाने लगाये गये हैं वह रायबरेली में । क्या ही अच्छा होता कि जहां पर उत्पादन होता है, वहीं पर कारखानों की स्थापना की जाय क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोजगारी है । पहाड़ के लोग नीचे नौकरियां करने आते हैं, धरों में बर्तन साफ करने आते हैं, उनको ऐसे उद्योग चलाने के लिए सुविधा देनी चाहिए । जहां पर

[श्री बलवीर सिंह]

उत्पादन होता है वहीं पर कारखाना लगाना चाहिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि रायबरेली में लगाया जा रहा है तो वह गलत है । अब मैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की 14 करोड़ रुपया की योजना थी जिसमें से 8 करोड़ की योजना को स्वीकार किया गया और 8 करोड़ की योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष यहां का खादी उद्योग केवल एक करोड़ 20 लाख ही प्राप्त कर सका जिसमें 90 लाख रुपया केवल तनख्वाहों में बांट दिया गया जिसे कि खादी उद्योग बोर्ड के विस्तार के ऊपर खर्च होना चाहिए था । केवल 20 लाख की धन उपलब्धि पर खादी बोर्ड की क्या हालत होगी, यह विचारणीय है ।

अब मैं खादी ग्रामोद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बताऊंगा। वहां पर श्रीकृष्ण बाजपेई, एम0 एल0 सी0 भी हैं और इस बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं । उनको दोनों जगह से वेतन मिल रहा है । वह दोनों कारें निजी प्रयोग में ले जाते हैं । बोर्ड का मुख्यालय कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किया गया और वहां से इस आदेश के मद्देनजर सभी कर्मचारी यहां पर आ गये लेकिन 47 कर्मचारी वहां पर ही रह गए जिन्होंने कुछ काम नहीं किया और तनख्वाह के लिए कोर्ट में जाना पड़ा । उनकी रिट भी निरस्त हो गयी लेकिन उसके बाद उपाध्यक्ष ने 6 लाख रु0 शासन से लेकर उनको तनख्वाह बांट दिया। मैं चाहूंगा कि इसकी वसूली उपाध्यक्ष से कराई जाय और इसका पता लगाया जाय कि यह पैसा उनको कैसे मिला। कानपुर के कार्यालय का 12 हजार रुपया महीने का किराया आज भी दिया जा रहा है जबकि मुख्यालय लखनऊ में पहुंच गया है और यहां उसका अपना भवन है इसके उपरान्त भी उपाध्यक्ष महोदय इस जिद्द पर अड़े हुए हैं कि मैं सर्वेसर्वा हूं । मेरे ऊपर शासन के आदेश का कोई असर नहीं है । मैं जो चाहूंगा, वह करूंगा इसलिए मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इसकी जांच करें । शासन से कई बार ऐसे आदेश हुए कि वहां का अवशेष सामान यहां ले आया जाय और न बिल्डिंग खुले लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसके साथ ही साथ वहां पर 12 हजार रुपये की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई वास्तव में वह इम्बेजलमेंट था । इसके साथ ही साथ 24 गांठें कम्बल 26 हजार रु0 का गायब हो गया उसकी कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं कराई गई । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करवायें । बोर्ड मुख्यालय के स्थानान्तरण के समय जिन कर्मचारी और अधिकारी ने शासन के आदेशों को मानकर अनुशासित ढंग से कार्य किया उनमें से 18 कर्मचारियों और अधिकारियों को बोर्ड के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा उत्पीड़ित करना प्रारम्भ कर दिया गया तथा शासन के निदेशों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण भावना से उनका स्थानान्तरण कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी शासन ने उनका स्थानान्तरण रद्द कर दिया, उनका निलंबन रद्द कर दिया लेकिन उनको तन्ख्वाह नहीं मिली ।

मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने बोर्ड के स्थानान्तरण करने में मदद की उनको तनख्वाह दी जाय । मान्यवर, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय ने एक और करिश्मा किया कि अपने आप ही चयन समिति का गठन कर दिया जबकि उनको अधिकार नहीं है । यह अधिकार केवल बोर्ड के अध्यक्ष को है और बोर्ड का अध्यक्ष इस चयन समिति को बनाकर

शासन की स्वीकृति लेता है तो मैं चाहूंगा कि यह जो चयन समिति बनाई गई है उसको भंग किया जाय और दूसरी समिति अध्यक्ष द्वारा शासन से स्वीकृति लेकर गठित की जाय। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय ने 37 नियुक्तियां बोर्ड में कीं जिसमें से 20 नियुक्तियां केवल कानपुर से की गयीं जो कि नान टेक्निकल थे । उसके साथ ही साथ उसमें अनुसूचित जाति के 6 लोग होने चाहिए लेकिन केवल दो ही लोग लिए गए इसलिए इस तरह से अनुसूचित जाति की आलोचना की गयी ।

मान्यवर, यह खादी ग्रामोद्योग की कहानी मैंने आपके सम्मुख रखी। मैं चाहूंगा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को अगर चलाना है तो उपाध्यक्ष और सचिव को हटाना होगा। मान्यवर, यह भ्रष्टाचार की कहानी है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी विजिलेंस से जांच करवायें ताकि यह पूरी तरह से सामने आये । एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें सिफारिश की गयी थी कि इनको हटा दिया जाय परन्तु आज तक कुछ नहीं किया गया और इसको नजरन्दाज किया गया । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर तुरन्त कार्यवाही करें । इसके बाद लघु उद्योग की बात आती है । आज स्वर्गीय महात्मा गांधी की आत्मा इनको धिक्कार रही है लघु और कुटीर उद्योगों के लिए । आज आजादी के 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी लघु और कुटीर उद्योगों की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है और लोग शहरों में आते हैं, रोजगार की तलाश में । महात्मा गांधी ने कहा था कि हर गांव में कुटीर उद्योग होगा, हर न्याय पंचायत स्तर पर लघु उद्योग होगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया । जैसा कि मैंने पहले कहा कि उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा, फाइनेंस, श्रम और अन्य चीजों की जरूरत होती है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में आज तक ऊर्जा की उपलब्धि नहीं करायी गयी ।

मान्यवर, आज गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, गांवों में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है तो कहां से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगेंगे । जो आज लघु और कुटीर उद्योग लगे हुए हैं उनको भी हताश किया जा रहा है । मान्यवर, जैसे कि बनारस में साड़ियों की कढ़ाई का काम होता है लेकिन उनको तागे की उपलब्धि नहीं करायी जाती है । जैसे कि आगरे में चमड़े का उद्योग है लेकिन उनको कच्चे माल की उपलब्धि नहीं कराई जाती है । वह बेचारा गरीब रोज सामान खरीदता है और बेचता है तो कैसे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग फैलेगा । इसी प्रकार से आज दूसरे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में न लग करके शहरों में ही लग रहे हैं क्योंकि शहरों में ही ऊर्जा की उपलब्धि करायी जा रही है ।

[3 बजकर 5 मिनट]

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यू0 पी0 एफ0 सी और पिकअप के सम्बन्ध में बतलाया कि सदस्यों की कमेटी बनी हुई है जो हर क्षेत्र के लिए ऋण देने की व्यवस्था करती है । ऋण देने के बाद कमीशन तय होता है, परसेंटेज तय होता है । मैं यह चाहता हूं कि विधायकों की तथा टेक्निकल लोगों की कमेटी बना देनी चाहिए ताकि उसके

[श्री बलवीर सिंह]

ऊपर अंकुश रखा जा सके । यू0पी0एफ0सी0 जब लोन देता है तो उद्योगपति के पास जो पैसा होता है उसे वह पहले ही लगवा लेता है और जब डिस्बर्समेंट का वक्त आता है तो फिर उससे सौदेबाजी तय करता है कि अब आप क्या देंगे । इससे जो उद्योग-पति होता है उसका कचूमर निकल जाता है । मेरे रामपुर क्षेत्र के मसवासी गांव के ही एक आदमी ने यू0पी0एफ0सी0 से लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन उसके लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था नहीं की गयी । आज से पांच वर्ष पूर्व स्टेट बैंक कानपुर में एग्रीमेंट पड़ा हुआ है लेकिन लीगल विभाग में आज तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो सका क्योंकि स्टेट बैंक खिलाफ है यू0पी0एफ0सी0 के । वह जिसको लोन देता है, स्टेट बैंक उसको लोन नहीं देता है ।

मैं चाहता हूं कि यू0पी0एफ0सी0 जहां लोन दे वहां वर्किंग कैपिटल की सुविधा दी जाय । जहां तक बिजली कनेक्शन देने का सवाल है, 10 हार्स पावर से 25 हार्स पावर तक कनेक्शन देने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनायी जाय ताकि औद्योगिक नीति के विरुद्ध कोई कार्य न हो । छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए वर्किंग कैपि-टल व कच्चा माल उपलब्ध कराने में कोई तालमेल नहीं हो पाया है । जिला बहराइच के नानपारा में 36 उद्योग बनकर तैयार खड़े हैं लेकिन उनको बिजली नहीं दी उनको वर्किंग कैपिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी । आज उद्योग पैसे के लिए चरमरा रहा है । मेरे क्षेत्र का एक आदमी 10 बैंकों के पास गया, आप जांच करा लें, मैं गांव का पता और उसका नाम बतला दूंगा, अगर झूठ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । मेरे यहां सुषमा नाम का बढ़ई स्टेट बैंक के पास गया, ब्लाक में गया, जिला अधिकारी के पास गया, जिला विकास अधिकारी के पास गया, लेकिन आज तक उसे धन उपलब्ध नहीं हो पाया और न उसको वर्किंग कैपिटल की सुविधा ही उपलब्ध हो पायी । यह हस रहा है और आप कहते हैं कि उद्योग का विकास कर रहे हैं । उद्योग का विकास तो तभी होगा जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दें । अगर विकास देखना ही है तो पंजाब चले जाइये, हरियाणा चले जाइये । वहां के बने कृषि उपकरण हमारे प्रदेश में आते हैं । क्या कारण है कि हमारे उद्यमियों को कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जाता, बिजली नहीं दी जाती और पैसा उपलब्ध नहीं कराया जाता । क्या कारण है कि हमारे यहां कृषि के उपकरण हरियाणा और पंजाब से आते हैं ? उसका कारण यही है कि हम अच्छे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देते । हरियाणा कल का प्रदेश है । फरीदाबाद में उसने इण्डस्ट्रियल स्टेट कायम करके नाम पैदा कर लिया है हिन्दुस्तान में ही नहीं पर पूरी दुनिया में। हमारे यहां पीतल का सामान फगवाड़ा से आता है, इंजन के पुर्जे राजकोट से आते हैं। हमारे यहां गाजियाबाद की फैक्ट्री है, उद्योग विभाग ने फैसला कर लिया है कि उस को कच्चा माल उपलब्ध नहीं करा सकते । यह है आप के उद्योग विभाग की कहानी।

मान्यवर, यहां पर किसी उद्योगपति को सुविधा नहीं मिलती न पैसे की सुविधा है, न बिजली की और न ही विभाग के अधिकारी कोई सुविधा उसको कच्चा माल उपलब्ध कराने में देते हैं । उद्योग बढ़ेंगे कैसे । विकास होगा कैसे । केवल आंकड़े पढ़ने से उद्योगों का विकास हो जायगा । हरगिज नहीं हो सकता । उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना होगा .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपके दो-तीन मिनट रह गये हैं . . .

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

अभी कहां हुये, मान्यवर ।

मान्यवर, टैक्सटाइल की बात की गई । पंजाब हम से आगे, हरियाणा हम से आगे । हमारा प्रदेश पूरे भारत का 1/5 है । कोई ला एण्ड आर्डर नहीं रह गया है । माननीय मंत्री जी की बात नहीं मानी जाती । उद्योगपतियों की कुड़की आदि कर दी जाती है बजाय इसके कि अगर वह समय से पैसा नहीं दे पाता तो उसे रिइन-वेस्ट कर देना चाहिए। उसको दुबारा कर्ज की सुविधा दी जानी चाहिए । यह है । परन्तु इनके भ्रष्ट अधिकारी और अफसरशाही इनको दुबारा कर्ज नहीं देती । नतीजा यह होता है कि उनकी जो इकाई होती है वह नीलामी पर चढ़ जाती है । मान्यवर, जिस प्रदेश में उद्यमियों को, उद्योगपतियों को ऊर्जा की पूर्ति, पैसे की पूर्ति, कच्चे माल की पूर्ति न की जाय वह प्रदेश पीछे रहेगा, उस प्रदेश में औद्योगिक विकास होना असंभव है ।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपनी नीति की स्पष्ट यहां पर व्याख्या करें कि किस तरह से न्याय पंचायत स्तर पर वह औद्योगीकरण को फैलायेंगे जब कि वहां बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पैसा देने की कोई व्यवस्था नहीं है । महात्मा गांधी जी की आत्मा की आवाज के अनुसार कैसे कुटीर उद्योग को बढ़ायेंगे । इन्होंने कोई उद्योग नीति की व्याख्या नहीं की है, कोई नीति निर्धारण नहीं की है कि हम सरकारीकरण करेंगे, सहकारी क्षेत्र में उद्योग लगायेंगे, निजी क्षेत्र में लगायेंगे । स्पष्ट नीति की घोषणा होनी चाहिए । क्या कारण है कि आज हमारे उद्योगपति, उद्यमी बाहर के प्रदेशों गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने भाषण में व्याख्या करें कि कैसे विकास होगा। आंकड़ों के पढ़ने से विकास नहीं हो सकता है । मान्यवर, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में 80 प्रतिशत उद्योगी लोग हैं और 20 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं । हमारे यहां 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं और 20 प्रतिशत लोग बाकी कार्य करते हैं । इससे उद्योगों के विकास होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे ऊर्जा की पूर्ति कैसे करेंगे, कोयले की पूर्ति कैसे करेंगे, डीजल की पूर्ति कैसे करेंगे, वर्कशाप की सुविधा उद्यमियों को कैसे करायेंगे और कैसे कच्चे माल की व्यवस्था करायेंगे ।

मान्यवर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि 90 हजार वैगन 1981 में उत्तर प्रदेश को आवंटित हुआ था, कान खोल कर सुनिये, उसमें से केवल

[श्री बलवीर सिंह]

17 हजार वैगन कोयले की ही केवल पूर्ति की गई । कैसे उद्योगों का विकास होगा । इसके साथ ही हार्ड कोक 8040 वैगन आवंटित हुआ था जिसमें केवल 361 वैगन्स की ही पूर्ति हुई । ब्रिक्स कोक 3440 वैगन आवंटित हुआ था केवल 2126 वैगन्स की ही पूर्ति की गई । इसी तरह से स्लैक कोक 16,400 वैगन्स में से केवल 1800 वैगन्स की ही पूर्ति की गई । ये आंकड़े हैं । यदि जो आंकड़े आपने दिये हैं उनको 1/6 से भाग कर दिया जाय तो विकास का उल्टा हो जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इन सब बातों पर प्रकाश डाल दें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग की बजट मांगों पर बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, जहां आपने मुझे मौका दिया है, मैं यह भी चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय बढ़ाकर भी दे देंगे जिसके लिये मैं आपको पेशगी में धन्यवाद दिये देता हूं । मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि अगर इस देश और प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं हुआ और जो आज देश और प्रदेश की स्थिति है जिसकी कि एग्रिकल्चरल बेस्ड इकानोमी रही है, उसको अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखें तो यह बात अपने आप साफ हो जाती है कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए हमको देश का औद्योगीकरण करना पड़ेगा और इसका औद्योगीकरण करने में हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार और सरकार के संबंधित मंत्री बड़ी मेहनत और दिलचस्पी से इस प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं । लेकिन मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस औद्योगीकरण के कदम में सही पकड़ नहीं रखी और चीजों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे इरादे, हमारा सारा परिश्रम निरर्थक हो जायेगा । मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने उद्योग मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश स्थापित निगमों के कार्यकलापों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। निगम यानी जिनको कोई गम न हो उन्हें निगम समझता हूं । तो जरा गौर करें आपकी यू0पी0एफ0सी0आई0, उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा ऋणों की उगाही को देखें, रिकवरी जो है उसको सही तरीके से देखें तो आपको मालूम होगा कि यह निगम पूर्णत: सारी इकाइयां बीमार होने के बाद भी रिजल्ट अच्छा न होने के बाद भी पैसा नहीं ले रहा है । जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश और देश के उत्थान के लिए वह नहीं कर पा रहे हैं ।

मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कितनी बोगस इकाइयां ऐसी हैं जिनको आपने कंट्रोल्ड रा-मैटीरियल दिया है और वह धरती पर नहीं हैं । केवल अधिकारियों की मेहरबानी पर बड़े-बड़े महाजनों के कर्मों पर जिंदा हैं, अधिकारियों की जेब में पैसा चला जाता है । तो इस तरह की बीसियों रोलिंग मिल कानपुर में आपको मिलेंगी अगर आप इसकी जांच करायें तो आपके सामने बात आ जायेगी ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पब्लिक रिलेशन तथा इंटरटेनमेंट जो आपका निगम है तथा दूसरे जो निगम हैं वे बिलकुल बोगस हैं। उनको कोई चिंता नहीं है। इतना पैसा छोटी-छोटी मीटिंग्स में व्यय किया जा रहा है कि कोई हिसाब नहीं। यह निगम छोटी-छोटी मीटिंग बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में करते हैं और हजारों रुपयों का बिल डिनर में निकाल देते हैं। यह बड़ी गंभीर बात है कि जनता के रुपये का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। यह लोग शासन के सारे इरादों को, शासन के अच्छे विचारों को समाप्त कर देना चाहते हैं। हमारे ऊपर प्रदेश और देश की जनता ने विश्वास किया है और देश और प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी हमारे हाथों में सौंपी है। देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार निश्चित रूप से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहती है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर इन चीजों को हमने देखा नहीं तो निःसंदेह वह सारे इरादे फेल हो जायेंगे और आने वाला जमाना हमें माफ नहीं करेगा।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 है इसके द्वारा बहुत से इंडस्ट्रियल इस्टेट बने हुए हैं। कितने ही इस्टेट ऐसे हैं जहां पर भवन खड़े हैं, टिन शेड खड़े हैं, रुपया लगा हुआ है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्या इस बात की जानकारी करायेंगे और इस बात को देखेंगे कि जो रुपया जनता का लगा हुआ है उससे जो इंस्डस्ट्रियल इस्टेट कायम हुए हैं उनका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इनमें यूनिट्स क्यों नहीं स्थापित हो रहे हैं ?

इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा एस0 आई0 एल0 स्कूटर इंडिया लि0 है। तो इसकी कैपेसिटी पर जरा गौर कीजिए। (उद्योग मंत्री के खड़े होने पर) पहले मेरी बात तो सुन लीजिये मैं उसी पर आ रहा हूं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं अभी इस पिछले माह में पब्लिक सेक्टर की भर्त्सना की है इस देश में खुले आम और कहा है कि जो इनसे लाभ होना चाहिए, नहीं हुआ है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं आपके उत्तर प्रदेश में, उनकी क्रेडिट स्क्वीज कर दी गयी है और दक्षिण भारत में क्रेडिट स्क्वीज दी जा रही है, जो जनता को लगाने को दी जा रही है। तो दोनों में कितना फर्क है ? यह फर्क क्यों है ? यह फर्क अनुचित है यह नहीं होना चाहिए। क्रेडिट स्क्वीज के मामले में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में काफी फर्क है, तो इस पाबन्दी को उत्तर भारत में भी नहीं होना चाहिए। यह जिम्मेदारी हम पर है कि यह चीज इस प्रकार की रोक उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है?

मान्यवर, कभी-कभी हम लोग जनहित में प्रश्न करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हमारी किसी से नाराजगी है, इसलिए करते हैं कि हमारे प्रश्नों के द्वारा बहुत

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

सी चीजें शासन की जानकारी में आ जायेंगी और शासन उसमें सुधार कर सकता है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे थोड़ा समय चाहिए मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था। इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यहां पर मरेला मिल गोलीकांड के बारे में माननीय बनारसीदास का बयान है, जो आपके सामने 24 मई, 79 को 14 अप्रैल, 79 की गोलीकांड की घटना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य में दिया गया था। उसमें जो उन्होंने बयान दिया था, उसको आप देखें, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि गोली चली, अधिकारी बाद में आए, मैजिस्ट्रेट बाद में आया। उसके बाद इसी संबंध में 17 मई, 79 को श्री राम नरेश यादव ने जो बयान दिया था, वह उस पहले वाले से बिलकुल भिन्न है और आपका पत्र जो मेरे पास आया है उसको देखने के बाद एक तीसरी बात समझ में आती है कि यह बात कुछ और है। इसी घटना के बारे में आप जिलाधीश की इन्फार्मेशन देखें तो वह दूसरी बात कहते हैं और स्पिनिंग मिल के एक्जीक्यूटिव ने अपने विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें दूसरी बात कही गयी है। प्रश्न इसलिए किया जाता है कि सत्यता शासन के सामने आवे, लेकिन कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आ पाती है।

पब्लिक सेक्टर्स में जिस तरह से शोषण हो रहा है, नियुक्तियां कोई नियमित नहीं हैं, तमाम भ्रष्टाचार के केसेज हैं वह पूरे प्रदेश के लिए एक बड़े चिन्ता का विषय है। 14 अप्रैल, 79 की घटना में वही लोग जो जेल गये थे एम्प्लाईज की तरफ से, उनको टी0 ए0, डी0 ए0 आदि सब आपके अधिकारियों ने दिया है, जो फैजाबाद जेल में हमारे साथ रहे हैं। इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है? यदि शासन ने इन निगमों पर कन्ट्रोल नहीं रखा और इनके भ्रष्ट कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखा तो मैं कहना चाहता हूं आपका कोई भी इरादा पूरा नहीं होगा, विकास का कोई काम नहीं हो पायेगा और पैसा भी सब बर्बाद हो जाएगा। अब यू0पी0 स्पिनिंग मिल कारपोरेशन की बात देखिए, आपका एक कारपोरेशन बना हुआ है और भारत सरकार का भी कारपोरेशन बना हुआ है। आपका यह कारपोरेशन कोई भी रुई उनसे नहीं खरीदता है। वह रुई खरीदता है बाजार में जाकर। नम्बर दो की रुई नम्बर एक में खरीदी जाती है। पिछली बार सरकार ने इन लोगों पर विजीलेंस बिठाला था और उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आई होगी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है।

इसी तरह से आपके सामने हैण्डलूम कारपोरेशन का मसला है। मान्यवर, इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है कि इनके डिपो से बिकने वाला सूत, बाजार में बिकने वाले सूत से दो रुपये ज्यादा में बिक रहा है। इसकी जानकारी आप करें कि जो सूत आप कार्पोरेशन द्वारा बिकवा रहे हैं वह प्राइवेट सेक्टर से 2 रुपया ज्यादा है, ऐसा क्यों है? मान्यवर, इतना ही नहीं मैंने इस संबंध में एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर को आप देखें तो पता चलेगा कि आपके अधिकारी किस प्रकार से आपको गुमराह कर रहे हैं?

हम और आप पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हमारा एक इरादा है, एक मिशन है। हम दल में आते हैं अपने विचारों के अनुरूप इस देश को ढालने के लिए, लेकिन ये जो सरकारी तंत्र हैं इनका न तो कोई इरादा है, न कोई विचार

है और न इनका कोई कमिटमेंट है । हमारा दुर्भाग्य यह है कि जब हम सत्ता में बैठते हैं तो आप इन सरकारी तंत्र की गड़बड़ियों के लिए हम को कोसते हैं और जब हम विरोध पक्ष में बैठते हैं और आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो हम यह करते हैं । अगर इन इरादों से सरकारी तंत्र की कोई पकड़ नहीं तो हमारे सारे इरादे केवल कोरी कल्पना मात्र रह जायेंगे और जो विश्वास जनता ने हमारा किया वह विश्वास, वह पर्वत रेत की दीवार के समान ढह जायेगा। तो इन चीजों को पकड़ने और शासन की कमियों को दूर करने में हमें योगदान दें ?

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

हमारी प्रधान मंत्री और हमारे उद्योग मंत्री ने घोषणा की है कि इस वर्ष को वे औद्योगिक विकास के रूप में मनाने जा रहे हैं । उद्योगों का विकास करेंगे और मैं भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक औद्योगिक विकास हो क्योंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और जब तक कृषि पर आदमियों का बोझ बढ़ता जायेगा तब तक गरीबों का उद्धार नहीं होगा । उस बढ़ते हुए बोझ को छोटे मोटे उद्योगों पर लाना पड़ेगा जिससे हमारी जनसंख्या, जो गरीबी की रेखा से नीचे स्तर पर जीवन बिता रहा है, उसको हम ऊपर उठा सकें । मूल प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे वे निजी कारखाने हों चाहे सरकारी उद्योग लगाना चाहती हो, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन पूरा करने जा रहा है ?

उद्योगों के लिये पहली आवश्यकता बिजली की है, जिसके बारे में हमारे विद्युत परिषद् के अध्यक्ष ने कह दिया कि बिजली की 30 प्रतिशत की कमी हमारे प्रदेश में वर्ष 1984 तक बनी रहेगी। उद्योग के ऊपर आप बिजली की 50 प्रतिशत कटौती कर रहे हैं, नतीजा यह है कि जो हमारे इन्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं वे सब के सब बीमार हो गये हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। उद्योगों के लिए बैंक से ऋण, सीमेन्ट और कोयले वगैरह की जरूरत होती है लेकिन आप कोई भी चीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग के मामले में आपके अधिकारी और कर्मचारी जो सूट पहन कर यहां विराजमान हैं, वे इस बात को जानते हैं कि किस फाइल को रोककर कमीशन खाया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

हमारे प्रदेश में सीमेंट की 2 बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, एक चूर्क में और एक डाला में। उनमें उत्पादन क्या हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। वर्ष 1978-79 में चूर्क में सीमेन्ट उत्पादन हुआ 3,36,314 मै0 टन और डाला में हुआ 2,47,000 मै0 टन। और 1980-81 में (नवम्बर, 81 तक) चूर्क में उत्पादन हुआ है 2,16,000 मै0 टन तथा डाला में हुआ है केवल 80,179 मै0 टन। जबकि इनकी उत्पादन क्षमता 5 लाख मै0 टन की है। इस प्रकार आप देखें कि उत्पादन क्षमता में कहीं कम उत्पादन इन फैक्ट्रीज का रहा है। बिना सीमेन्ट के, श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे कारखाने भी नहीं बनाये जा सकते। सीमेन्ट का उत्पादन बराबर घटता जा रहा है।

अब मान्यवर, यह सरकार बिजली की जगह कोयला देती है, मगर कोयले की भी हालत देखिये। वर्ष 1981 के लिये हमें 1,40,000 वैगन स्टीम कोल की जरूरत थी और हमें मिले केवल 17,702 वैगन ही। हार्ड कोक की हमें 16,500 वैगनों की जरूरत थी और हमें मिले केवल 361 वैगन। ब्रीज कोक की हमें 20,000 वैगनों की आवश्यकता थी और मिले 2,126 वैगन। स्लेक कोल की हमें 30,0000 वैगनों की जरूरत थी और मिले हमें 1862 वैगन। अब तक किस आधार पर उद्योग बन्धुओं को अपने यहां उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आवाहन कर रहे हैं?

मान्यवर, उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार भी बहुत है। इनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि अपट्रान को पब्लिक सेक्टर में नहीं रहने देंगे और उसके 51 फीसदी शेयर्स बेंचे जा रहे हैं। अब इन शेयर्स को कौन खरीदेगा? जो बड़े-बड़े व्यापारी होंगे, बड़े-बड़े पैसे वाले होंगे, वही तो खरीदेंगे। इस तरह से यह निजी क्षेत्र में चला जायेगा। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने सारे नियमों को तोड़कर अपने पुत्र को इसमें नियुक्त कर लिया। आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

आपकी यू0 पी0 टैक्सटाइल कारपोरेशन सूत देती है। छोटे-छोटे उद्योगों को यह सूत देने का काम करती है। करीब 30 करोड़ रुपये का इसका सालाना टर्न ओवर है। केन्द्रीय सरकार ने एक सूत कमेटी बना रखी है जो इसके खरीद का काम करती है। उस सूत खरीद कमेटी के तहत इनको सूत खरीदना चाहिये। मगर आज तक इन्होंने उस कमेटी से कभी सम्पर्क स्थापित नहीं किया। मनमाने ढंग से खराब सूत खरीद लिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, और खराब सूत खरीद कर बुनकरों को दिया जाता है। इसकी जांच होना चाहिए।

इसी प्रकार आपकी यूपिका है, लघु उद्योग निगम है, यह फाइनेन्स करता है, मगर यह ऐसी यूनिटों को पैसा देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ज्वाइन्ट सेक्टर में, कानपुर में एक ऐसी रोलिंग मिल को पैसा दे दिया गया जो केवल कागज पर तो है, पर वास्तव में वह कहीं नहीं है। यह हालत है इस विभाग की। तो पिकअप और अपट्रान के बारे में सरकार को चाहिए कि वह ठोस नीति अपनाये और उत्तर प्रदेश में उद्योगों को चलाने के लिये आपको कुशलता के साथ यह देखना पड़ेगा कि हम इस विभाग को किस तरह से ठीक करें। मान्यवर, हमको प्राथमिकता के आधार पर यह देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से उद्योग उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता

के आधार पर लगाये जायं। आपने प्रतापगढ़ के ट्रैक्टर की बात की, लेकिन आज हालत क्या है, जो बड़े काश्तकार है, आज वही ट्रैक्टर रख सकते हैं जो 10--15 एकड़ के काश्तकार हैं। जो मध्यम श्रेणी के काश्तकार हैं, वे ट्रैक्टर नहीं रख सकते हैं। उनके लिए आप क्या योजना बना रहें हैं? इस दिशा में आपको कोई ठोस प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको सुगमता के साथ में सरकारी लोन मिल जाय। इसके बारे में आपको नीति बनानी पड़ेगी। अगर कोई छोटा-मोटा आदमी टमाटर की चटनी बनाने के लिए या अचार बनाने के लिए या इसी तरह की और कोई छोटी औद्योगिक इकाई लगाना चाहता है, तो उसको आसानी के साथ लोन ही नहीं मिलता है, यद्यपि डी0 एम0 को अधिकार है कि एक हजार रुपये तक का वह लोन दे सकता है। लेकिन उसको आज लोन नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर आपको बड़े-बड़े उद्योग लगाने हैं। छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने के बारे में आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है। इसलिए आपका जो पूरा उद्योग विभाग का बजट है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिये मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, इन्होंने बताया कि आज कल जो उद्योग के अधिकारी आते हैं, वह सूट और टाई लगा कर आते हैं। मान्यवर, जब ये मंत्री थे, तो जो उनके अधिकारी आते थे, तो वह क्या जांघिया पहन कर आते थे?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं बनारस से चुन कर आता हूं और बनारस जो सिल्क कपड़े और हैंडलूम के कपड़ों के लिए मशहूर है, जो हमारे दिमाग में था, सोचा कि हाउस में रख दूंगा। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ-साथ सर्वप्रथम मैं उद्योग मंत्री माननीय नियाज हसन साहब को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि 1981 जो उद्योग का वर्ष मान कर चला गया है, उस सिलसिले में जो कदम उन्होंने उठाया है, जो नयी योजना लागू की है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि जो उद्योग बन्धुओं के नाम से उद्योग बन्धु सेल कायम किये हैं, उसका उद्देश्य उद्योग विभाग, विभिन्न शासकीय विभागों एवं निगमों के द्वारा एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और किया जा रहा है।

मैं यह बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, चाहे वह उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम हो या राज्य उद्योग निगम हो, वित्तीय निगम की जो उपलब्धियां हैं, आप देखेंगे

[श्री मोहम्मद सफी उर्रहमान अंसारी]

1980-81 में जो दरख्वास्त इनके पास आयी थीं, उसका 94 प्रतिशत निस्तारण किया गया। उससे पूर्व 1978-79 में यह प्रतिशत उससे कम रहा है। राज्य उद्योग निगम के मातहत हमारे जगदीशपुर में बहुत बड़ा कारखाना लगने जा रहा है। इसके लिए शासन मुबारकबाद की पात्र है। बाम्बे हाई व साउट वसीन से प्राकृतिक गैस उत्तर प्रदेश में पाइप द्वारा लाने के लिये 4 उर्वरक कारखानें लगाने का प्रस्ताव है। एक कारखाने पर 400 करोड़ रुपया खर्च होगा। इससे हमारे प्रदेश को लाभ पहुंचेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। कजरहट सीमेंट फैक्ट्री ने माल की पैदावार शुरू कर दिया है और अपने पहले टर्न में 1000--1200 मीट्रिक टन सीमेन्ट प्रति दिन उत्पादन कर रही है। यह सारी चीजें ऐसी हैं, जिसकी तारीफ किये बगैर नहीं रहा जा सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार इस प्रदेश में उद्योग को वास्तव में विकसित रूप में लाना चाहती है। उसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हथकरघा सहकारी समितियों के संबंध जो उदासीनता त्रिभाग बरत रहा है वह ना काबिले माफी है।

मान्यवर, 80-81 में रिजर्व ने 75 करोड़ रुपया दिया और उत्तर प्रदेश 4-13 प्वाइन्ट सम करोड़ रुपया दिला पाया। यह शर्म की बात है। तामिलनाडु एक छोटा सा प्रदेश 45 करोड़ रुपया अपने लिए लिया। और इतना बड़ा प्रदेश केवल 4-13 कुछ ले सका। इससे पता चलता है कि हमारा ध्यान कितना इनकी तरफ है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक कहता है कि आप ले जाइये लेकिन हमारे पास फुरसत नहीं है कि हम उसको हासिल कर सकें ।

श्रीमन्, जहां तक जनता धोती की बात कही गई वर्ष 1980-81 में 48 लाख मीटर कपड़ा बनाने का लक्ष्य था लेकिन आपके आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60 लाख मीटर कपड़ा का इजाफा हो गया। मान्यवर, लक्ष्य सेन्ट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करता है और सबसिडी देता है। श्रीमन्, हैन्डलूम को सबसिडी डेढ़ रुपया के हिसाब से दी जाती है और एन0 टी0 सी0 जो कपड़ा तैयार करता है उसको 2 रुपया सबसिडी दी जाती है। अभी मान्यवर, आल इन्डिया हैन्डलूम ने निर्णय किया है कि उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम जितना वस्त्र बना रहा है उसका एन0 टी0 सी0 कोटा हैन्डलूम सेक्टर में लायें और एन0 टी0 सी0 बड़ा उद्योग है यह अच्छे कपड़े बना सकता है।

मान्यवर, हथकरघा निगम ने 7 करोड़ का माल बेचा है जिसमें 75 लाख का माल प्रदर्शनियों में जाकर बेचा है। श्रीमन्, तामिलनाडु जैसा छोटा राज्य एक करोड़ 75 लाख की निकासी करता है। तामिलनाडु एक छोटी सी स्टेट है और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है। क्या तरक्की हुई? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन तमाम किताबों को देखने के बाद यह मुझे एहसास हुआ कि इस उत्तर प्रदेश की सर जमीन पर बनारस है ही नहीं। सारी बातें कही गईं लेकिन बनारस के सिल्क उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो उदासीनता बनारस के सिल्क उद्योग के साथ बरती जा रही है उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है।

मान्यवर, सिल्क का भाव शुरू में 5 सौ रुपया था, अब 9 सौ रुपया हो गया।

हम चिल्लाते रहे हमको आश्वासन दिया जाता रहा अभी दिल्ली में श्री प्रणव मुखर्जी के साथ पंडित जी के निवास पर हमारी मीटिंग हुई। श्रीमन्, डेढ़ लाख रेशम दिया गया है। हमारे यहां 5 हजार किलो रेशम की प्रतिदिन खपत है। उत्तर प्रदेश में 70 लाख मैट्रिक टन आया है। उसमें से 9 हजार रेशम बनारस को दिया जायेगा। 36 हजार मुबारकपुर को और बनारस को प्रति करघा डेढ़ सौ ग्राम भी नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, पतझड़ में कोई पेड़ सूख जाय तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन बसन्त के बहार में बसन्त के मौसम में कोई पेड़ सूखता है तो तकलीफ होती है। मान्यवर, जनता पार्टी का समय सूखे का मौसम था मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बनारस का बुनकर खुश नहीं है।

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सन् 72—74 में कर्ज दिया गया। कर्ज क्या दी गई भीख दी गई। बाढ़ आयी, सूखा आया कर्ज लदा हुआ है। बिहार सरकार ने पहले अपने बुनकरों का कर्ज पर जो सूद था उसको माफ किया और और अब मूलधन भी माफ करने जा रही है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी आश्वासन दें कि वह बुनकरों के घरों की कुर्की जिनकी की जा रही है, जो भागे हैं, उसको रोकें और वसूली की कार्यवाही तुरन्त रोकी जाय।

मान्यवर, हमारे बनारस में जरी के धागे का प्लांट लगने वाला है यह जानकारी राज्य मंत्री ने दिया जो अखबार में आया है लेकिन इस चीज की जानकारी अखबार के अलावा और कहीं मुझे नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि बनारस में जरी के धागे का प्लांट लगाया जाय। मान्यवर, जहां तक 10 करोड़ के निर्यात की बात जो बतायी गयी है उसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन सा माल, कितनी क्वांटिटी में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया, विशेषकर बनारसी सिल्क वस्त्र का कितने रुपये का निर्यात किया गया, इसलिये इस चीज को मंत्री जी बतायेंगे?

मान्यवर, बनारस में एक बुनकर कालोनी नाटोइमली है जो 20 सालों से बनी है लेकिन आज तक उसका फी क्वार्टर दाम निश्चित नहीं किया गया, इसलिये बुनकर परेशान हैं कि कब उनको निकाल न दिया जाय। वह कालोनी नगर पालिका को भी हैन्डओवर नहीं की गई है जिससे कि वहां सफाई और रोशनी की व्यवस्था की जा सके। इसलिए जो मंत्री जी नई-नई घोषणायें और बयान एवं आश्वासन पर आश्वासन दिये जा रहे हैं उसके संबंध में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं:—

तमन्नाओं में उलझाया गया हूं,
खिलौने दे के बहलाया गया हूं।

इन शब्दों के साथ बजट का मैं समर्थन करता हूं और मान्यवर आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री कन्हैया लाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मान्यवर, मंत्री जी ने जिस समय अपना बजट प्रस्तुत किया तो उस समय सबसे पहले अपनी तुलना जापान, अमेरिका और जर्मनी का हवाला देकर किया। मंत्री जी ने जापान, अमेरिका और जर्मनी से तुलना कर दिया लेकिन जरा अपना चेहरा शीशे में देखें और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से अपना मुकाबला करें। यह तीनों प्रदेश हमारे प्रदेश से जुड़े हैं। 10-15 साल पहले बिलकुल पिछड़े थे लेकिन आज कल वह हमसे आगे हैं, इसका क्या कारण है? हम क्यों उनसे पिछड़ गये हैं, हमारी गिनती कहीं नहीं है। इसलिये अमेरिका, जर्मनी और जापान से बाद में तुलना करें पहले अपने देश के अन्य प्रदेशों से तुलना अपनी करें। हमारे जो उद्यमी हैं वह राजस्थान जा रहा है, वहां धन और दिमाग जा रहा है, योग्यता जो है वह हरियाणा जा रही है। हमारा उद्यमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इसलिये जा रहा है कि वहां उनको सुविधायें मिल रही है और यहां वह सुविधायें नहीं दी जा रही हैं।

आपने मान्यवर, नवादा का जिक्र किया। आप कह रहे हैं कि वहां युद्धस्तर पर काम हो रहा है लेकिन उद्यमों में आप सुविधा देते तो वहां उद्यमी भागते और राजस्थान एवं पंजाब की तरफ न जाते। मान्यवर, मथुरा जिले के सैकड़ों उद्यमी सवाई माधोपुर और भरतपुर (राजस्थान) एवं फरीदाबाद (हरियाणा) में अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं क्योंकि वहां कच्चे माल की, सेल्स टैक्स की और रजिस्ट्रेशन की सुविधायें मिलती हैं, वहां अधिकारी लोग उद्यमियों की मदद करते हैं जबकि यहां अधिकारी लोग सोचते हैं कि उनको कैसे परेशान किया जाय और अनेकों बाधायें उत्पन्न करते हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि अमेरिका, जापान और जर्मनी जाने से पहले आप हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को देखें।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उत्पादन वर्ष इसका नाम रखा है। लेकिन उद्यमों को बिजली नहीं मिलती है और उनको कच्चा माल नहीं मिलता है। आप कह रहे हैं कि उद्योग लगायें लेकिन कोयला और बिजली देते नहीं हैं तो कैसे उत्पादन वर्ष आप मनायेंगे और कैसे आप उत्पादन बढ़ायेंगे। इस तरह से उत्पादन बढ़ाना असंभव है। पहले आप सामंजस्य करें बिजली मंत्री के साथ कि उन्होंने क्यों रोक लगा दी ? मेरे पास उदाहरण है कि जहां उद्योग विभाग से कंसल्ट करके बिजली विभाग ने लोड सेंक्शन कर दिया, बिल्डिंग बन गयी लेकिन बिजली न मिलने के कारण उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। उद्योग को बिजली सैंक्शन है लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों पता चला कि विद्युत मंत्री जी ने कुछ उद्योगों के लिये बिजली खोल दी है जिसमें टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल का बड़ा काम है अगर आप उनको बिजली नहीं देंगे तो वह अपनी बिजली जनरेट कर सकते हैं। आपको बिजली छोटे उद्योगों को देनी चाहिये।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, यह छोटे उद्योगों को ऋण देता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो छोटे-छोटे काम करने वाले आदमी हैं उनको मदद दी जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है वह उत्पादन कर सकते हैं लेकिन हम अनुभव करते हैं कि खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष और उद्योग मंत्री जी के बीच में खींचतान चल रही है। जो वह कहते हैं उसको उद्योग मंत्री काट देते हैं और जिसको आप कहते हैं उसको खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष काट देते हैं। तो इसको बंद करके आप कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, वह रुके पड़े हैं। खादी बोर्ड के संबंध में जो विवरण छपा है उसमें हरिजनों के विकास के बारे में रखा गया है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में क्या आप बतायेंगे कि कितने जिलों में हरिजन जनरल मैनेजर हैं? हर जनरल मैनेजर के नीचे 4 या 5 मैनेजर्स हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मैनेजर्स हरिजन हैं। । हरिजनों के संबंध में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कुछ चर्म कला की टैनरीज थीं वह आपने खादी ग्रामोद्योग को दे दीं। मथुरा के बारे में मेरी जानकारी है और ऐसा ही अन्य जगहों पर होगा। मथुरा में छाता और एक अन्य जगह चर्मकला की संस्था थी। दोनों संस्थाओं को वहां के अधिकारियों ने तालमेल करके हरिजनों से छीन लिया और दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया। उनके मेम्बर खत्म कर दिये और दूसरे बना लिये।

इस तरह से हरिजनों का कार्य छूट करके दूसरों के हाथों में आ गया और वह चल नहीं रही है। तो यह हरिजनों के नाम पर एक्सप्लाइटेशन कब तक होगा ? आप देखें कि क्या यह बात आपके विभाग में है ? इसको दूर करें। मथुरा में रिफाइनरी बनी है। और जगहों जैसे बड़ौदा में भी रिफाइनरी है और हर रिफाइनरी के साथ पेट्रो केमिकल्स के दो-चार कारखाने हर स्टेट में लगाये गए हैं तो उसके मुताबिक मथुरा में पेट्रो केमिकल्स कारखाने लगाने चाहिए। मथुरा में तेल शोधक कारखाने के पास अभी तक ऐसा कोई कारखाना नहीं है अगर हो तो आप बतायें अगर नहीं तो इस पर आप ध्यान दें।

मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति करके नवयुवकों को संगठित करके उद्योगों में लगा दिया जाय तो डाकू और गुण्डों की जो समस्या है वह हल हो जायगी। बदमाशी और गुण्डई की बात तब होती है जब लोग बेरोजगार होते हैं। तो गुण्डई और डाकू समस्या को खत्म करने का आपके पास उद्योग का हथियार है इसका प्रयोग करें।

एक बात और निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कन्हैया लाल—

मथुरा की एक समस्या है इण्डस्ट्रियल इस्टेट है, कोसी में है, मथुरा में है,

[श्री कन्हैयालाल]

एक रिफाइनरी के पास भी बनाई है, लेकिन वे प्लाट्स ठीक नहीं हैं। आप वहां के जनरल मैनेजर को लिखें कि इस्टेट क्यों ठीक नहीं है? बिल्डिंग मैटेरियल पड़ा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं लाखों रुपये की, बिजली कट गयी है, बैंकों ने पैसा रोक लिया है। इसको आप देखें। इन्हीं बातों की वजह से कटौती प्रस्ताव रखा है। इन परिस्थितियों में अगर इस विभाग को एक पैसा भी न दिया जाय तो हित ही होगा, अहित नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने वाले बहुत हैं, इसलिए मा0 सदस्यों से प्रार्थना है कि 5 मिनट से अधिक न बोलें।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बजट प्रस्तुत किया है मंत्री जी के सूझ बूझ का बजट है, जो कि उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की घोषणा के बाद हमारा प्रदेश यह उत्पादन वर्ष मना रहा है और यह उत्पादन वर्ष न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी लागू होगा और इसका परिणाम भी हमारे समक्ष आया है कि पिछले वर्ष 8546 लघु उद्योगों की स्थापना हुई और गत वर्ष की अपेक्षा 1981-82 में वहां पिछले वर्ष 10 हजार लोगों को रोजगार मिला था, 81-82 तक उन्हें 15 हजार बेरोजगारों को रोजगार और मिला है। मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारा प्रदेश ग्राम्य बाहुल्य प्रदेश है और ग्रामों में कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को विशेष महत्व दिया जाय। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ओर जहां हमारा विपक्ष उत्पात वर्ष मना रहा है, दूसरी ओर हम उत्पादन वर्ष मनाने में लगे हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होगी।

मैं गोण्डा जनपद से चुनकर आया हूं। गोण्डा जनपद में आज तक भट्ठे की चिमनियों के अलावा किसी भी उद्योग की चिमनी नहीं बनती है, कोई भी फक्ट्री, कोई भी उद्योग अभी तक नहीं लगा है। घाघरा पुल के शिलान्यास के समय यह घोषणा की थी कि 4 फर्टीलाइजर के कारखानों में से एक कारखाना गोण्डा को दिया जायगा। जब भी कोई घोषणा आती है तो या तो वह पश्चिम चली जाती है या पूरब, लेकिन गोण्डा और बहराइच की स्थिति त्रिशंकु सी बनी हुई है। एक बात और अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां भी लघु उद्योगों की स्थापना होनी हो, केवल प्रभावशाली नेता या किसी प्रभाव में आकर स्थापना न की जाय, बल्कि वहां की जरूरत, कच्चे माल की उपलब्धता, बेरोजगारी और सुविधाओं को देखते हुए लघु उद्योग या ऐसे उद्योग देने की व्यवस्था की जाय।

[4 बजकर 5 मिनट]

मान्यवर, हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि प्रत्येक जनपद में लघु उद्योगों की स्थापना की जायेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकरूपता के साथ, समता के साथ इस बात का कार्यान्वयन किया जाय और प्रत्येक जनपद को लघु उद्योग दिये जायं।

अन्त में दो बातें कह कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि एक तो प्रत्येक जनपद में एक इण्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना होनी चाहिए जिससे कोई भी लघु उद्योग की या किसी उद्योग की स्थापना हो, तो उस इण्डस्ट्रियल स्टेट के माध्यम से उसके लिये जगह और कच्चे माल की उपलब्धतता की व्यवस्था कराई जाय। दूसरे, प्रत्येक जनपद में एक कमेटी गठित की जाय और उस कमेटी में विधान सभा के उस क्षेत्र के, उस जनपद के विधायकों को कमेटी में सदस्य के रूप में रखा जाय जो कि यह देखे कि जो व्यक्ति उद्योग लगाने जा रहा है वह पात्र व्यक्ति है या अपात्र व्यक्ति है।

माननीय मंत्री जी ने जो उद्योगों की स्थापना की है उससे उद्यमियों को सहायता मिलेगी क्योंकि मैं उद्योगीकरण पर पूरी आस्था रखता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे हमारे प्रदेश के उद्योगों में प्रगति होगी और साथ ही अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष को उत्पादन वर्ष मनाने में वे अपना योगदान दें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, उद्योग विभाग निश्चित ही देश और प्रदेश के लिये महत्वपूर्ण विभाग है और इससे देश की बेकारी की समस्या को हल किया जा सकता है, उद्योग से देश की गरीबी को भी दूर किया जा सकता है, उद्योग से देश और प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है, परन्तु इन तमाम बातों को देखते हुए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इससे आगे भी उद्योग विभाग के द्वारा इन बातों पर कोई विचार किया जा रहा है।

श्रीमन्, उद्योग की अपनी-अपनी जगह कठिनाई होती है। बिजली की कठिनाई है, लाने और ले जाने की कठिनाई है। इसके बावजूद भी जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है श्रीमन्, अगर देश और प्रदेश की सरकार ने देश और प्रदेश की जनता के चन्द हितों को ध्यान में रखा होता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद ऐसा न होता जहां एक या दो उद्योगों की स्थापना न हुई होती।

[श्री राम गोविन्द]

श्रीमन्, जनता पार्टी की सरकार ने यह दावा किया था और कहा भी था कि हम उद्योग विभाग के माध्यम से देश में 10 वर्ष के अन्दर देश की बेरोजगारी को समाप्त करेंगे और कैसे करेंगे इसका भी उदाहरण उसने दिया था। जनता पार्टी की सरकार में कहा गया था कि अगर देश का विकास करना चाहते हैं, जनता की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, रोजगार की समस्या का हल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लघु उद्योग और ग्रामीण लघु उद्योगों के माध्यम से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। हमारी सरकार ने किया भी और गांवों में उद्योग लगाने का काम भी किया था और लघु उद्योगों के माध्यम से बेकारी को दूर करने का भी काम किया था। परन्तु इसमें कठिनाइयां हैं, हमारे जमाने में भी थीं और आज भी हैं। सरकार का कहना है कि बेरोजगारों को उद्योग और ग्रामीण लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण मिलेगा लेकिन जब वह ऋण लेने जाते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, फार्म दिया जाता है तो लोन देने वाले अधिकारी, बैंक के अधिकारी उसको दौड़ाते-दौड़ाते इतना परेशान कर देते हैं जितनी उनको डिग्री हासिल करने में नहीं होती है। और इस तरह से वह लोन लेने की कार्यवाही छोड़ देता है और बेरोजगार का बेरोजगार बना ही रहता है। अगर किसी ने किसी प्रकार से उद्योग लगा भी लिया तो बिजली विभाग बिना रिश्वत के, बिना घूसखोरी के बिजली देने को तैयार नहीं हैं..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम गोविन्द–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद से मैं आता हूं और बलिया ने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका अदा किया, देश, प्रदेश के नेता बलिया की जनता को यह कह कर बहकाते रहे कि बलिया तो क्रान्तिकारी, बहादुर लोगों की धरती है और इसी ने आज तक बलिया में कोई भी उद्योग लगाने का काम नहीं करने दिया। एक भोजपुरी में कहावत है मान्यवर, धन बाधे कठवा, इसका मतलब है कि एक चीनी मिल टूटी-फूटी अवस्था में चल रही है। एक सूती मिल की घोषणा की गई है, 300 एकड़ जमीन ले गई है, वहां सूती मिल लगाने का काम करें। बलिया की गौरवमयी परम्परा को देखते हुए, 4 फर्टीलाइजर के कारखाने खुलने वाले हैं, उसमें से एक कारखाना बलिया में लगाने का काम करें तब तो मैं जानूंगा कि हमारे पड़ोस में बैठे हैं, मंत्री जी तो पड़ोस का ही कुछ फायदा दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठें।

*श्री कैलाश टण्डन–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। समय बहुत कम है। बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, नये उद्योग बैठायें हैं, उत्पादन बढ़ाया है। हमारे काशी में प्रधान और कुटीर उद्योग हैं वहां बनारसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साड़ी, अंग्रेजी काल से पीतल का काम, लकड़ी का काम, हाथी दांत का काम और मान्यवर, फर्टीलाइजर, माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी की बड़ी कृपा है काशी के अन्दर, जब वह उत्तर प्रदेश में थे, केन्द्र सरकार से यह कारखाना ले आये थे। मैं मान्यवर, मुख्य रूप से आपका ध्यान बनारस में कुटीर-उद्योग धन्धों की ओर दिलाना चाहता हूं। अब तक निर्यात से 40 लाख रुपये की कालीन बिक जाती थी लेकिन आज उसका कोई खरीदार आदमी नहीं मिल रहा है। जो हजार हजार रुपये, आठ-आठ हजार रुपये की कालीन बिकती थी उसे आपके विभाग वाले चार-चार सौ और आठ-आठ सौ रुपये में खरीद कर होटल वालों को दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग में निर्यात के लिए रेशम जरूरी है लेकिन उसे आप नहीं दे सके जो कालीनों विदेशों को जाती थीं, उसको उत्तर प्रदेश शासन अपने डिपार्टमेन्ट के हाथ कालीनें बेच रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह से बाजार को खराब नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक बार हम लोग पूज्य पंडित जी से मिले थे और पंडित जी ने एक डेट फिक्सड की थी।

जहां तक मुझे याद है 25 अक्तूबर को हम लोग फिर मिले, बनारस का रेशम उद्योग मुख्य उद्योग है। आपकी तरफ से कहा गया कि राशन कार्ड बनवायेंगे और उसके आधार पर रेशम बांटा जायेगा। आपने 33-34 हजार राशन कार्ड्स बनवाये हैं जबकि व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है कि बुनकरों की संख्या 50 हजार से ज्यादा है। आपके विभाग की तरफ से जो यह पुस्तिका बंटी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें रेशम उद्योग के सम्बन्ध में आपके अधिकारियों की तरफ से जो कुछ कहा गया है वह गलत फहमी पर आधारित है। इसमें लिखा है कि पावर लूम्स आजमगढ़ में हैं, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद में है जब कि बनारस में 90 प्रतिशत पावर लूम्स हैं भदोही में पीली कोठी है जहां पूज्य पंडित जी भी गये हैं, इंदिरा जी भी गयी हैं और उन्होंने देखा है कि वहां की सही स्थिति क्या है? बनारस की बनारसी साड़ी सभी खरीदते हैं लेकिन उसके लिये विशेष ध्यान नहीं है।

मुरादाबाद में पीतल नगरी बसायी गयी है लेकिन बनारस का भी पीतल उद्योग बहुत पुराना है। मुझे याद है और पूज्य पंडित जी भी जानते हैं कि जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी यहां के मुख्य मंत्री थे तो एक बार हम लोग दिल्ली गये थे। हमारे प्रदेश का पीतल के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं लेकिन जब तक सरकार का ध्यान उधर नहीं होगा, पीतल उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कैलाश टण्डन–

सिर्फ एक बात मैं रेशम उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। आपकी इस किताब में रेशम उद्योग के उत्पादन के बारे में आंकड़ों का जाल है, इसमें कहा गया है कि साढ़े 3 हजार मिट्रिक टन रेशम का उत्पादन हुआ और उससे 200 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ और रेशम के कोओं की बिक्री बनारस में होती है। मान लिया जाय कि रेशम की जगह कोआ छप गया है लेकिन आप यह कहते हैं कि साल में रेशम का उत्पादन साढ़े 3 हजार मीट्रिक टन 81 में हुआ जबकि 17 हजार की मांग थी। बाबतपुर, राम नगर जो खासतौर से रेशम उत्पादन के केन्द्र हैं वहां रेशम 400 रुपये किलो आया देहरादून से और वह भदोही और पीली कोठी तक नहीं पहुंच सका।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त। मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

श्री कैलाश टण्डन–

एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। बनारस में कुछ लोग माल बनाते हैं। माल बना कर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली के एक्सपोर्ट्स को दे देते हैं. . .

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हुआ माननीय धनी राम वर्मा. . .

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, साथ ही साथ . . .

श्री कैलाश टण्डन–

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। बनारस में कुटीर उद्योग में लगे लोगों के बारे में कुछ कह सका।

*श्री धनी राम वर्मा–

कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मैं चन्द सुझाव देश और प्रदेश की जनता के हित में देना चाहूंगा।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश की 85 प्रतिशत जनसंख्या देहात में रहती है। उस देहात के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देहाती क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जाय। जो शहरों में उद्योगों का केन्द्रीकरण हो गया है उसका विकेन्द्रीकरण किया जाय और उस केन्द्रीकरण को देहात में विकेन्द्रीकरण के रूप में लाया जाय।

मान्यवर, देहात में बहुत से ऐसे उद्योग हो सकते हैं। देहात में जो काश्तकार हैं, मजदूर हैं, जिनका काम सिर्फ खेती करना और खेतों में मजदूरी करना है, जो 6 महीने बेकार रहते हैं, उनको औद्योगीकरण के फलस्वरूप रोजी रोटी मिल सकती है। मैं चाहूंगा कि देहाती क्षेत्र में रेशम का उद्योग, नीम की निगोली से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण), अनुभाग संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग

तेल बनाने का उद्योग, जो धान की भूसी है उससे तेल का उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग, लगाये जा सकते हैं। हमारे इटावा जनपद में, जहां से मैं चुन कर आता हूं, जो डाकू प्रभावित क्षेत्र हैं, रेशम का उद्योग बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। छोटी-छोटी इकईयां रेशम की इस वक्त इटावा जनपद में चल रही हैं। बहुत छोटे ढंग पर उत्पादन कर रही हैं। मान्यवर, वह बीहड़ क्षेत्र है यमुना और चम्बल का। वहां डाकू लोग पनपते और पलते हैं। वहां पर अंडी उगाई जा सकती है। उससे रेशम तैयार किया जा सकता है। वहां के बेरोजगार लोगों को रोजी और रोटी दी जा सकती है और डाकू समस्या का निदान किया जा सकता है।

मान्यवर, हमारे जनपद में ऊसर की समस्या है। ऊसर भूमि में कारखाने लगा कर उस क्षेत्र की जनता को रोजी और रोटी देने की व्यवस्था की जा सकती है। उस ऊसर भूमि का छोटे-छोटे कारखाने लगा कर सदुपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं हमारे निर्वाचन क्षेत्र औरैया तहसील विधूना में धान की पैदावार बहुत होती है। धान से जो पयाल पैदा होता है और जब वह सड़ जाता है तो उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उसका सदुपयोग करने से करोड़ों रुपये का कागज का गत्ता बनाया जा सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये यदि आप ऐसा कोई उद्योग स्थापित कर दें तो करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इतना ही नहीं हमारे कन्नौज में इक्वलिप्टस से तेल निकालने का प्रयोग किया जा रहा है। इस तेल की विदेशों में बहुत बड़ी मांग है। इसलिये यहां पर इसके कारखाने लगाये जाने चाहिए और वे जनपद इटावा में खोले जा सकते हैं। इससे जो कागज पैदा किया जायेगा वह उससे अच्छे किस्म का कागज होगा जो कि विदेशों में मंगाया जाता है और वह उससे किसी भी हालत में घटिया नहीं हो सकता है। इससे करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है।

मान्यवर, इटावा जनपद में हैण्डलूम के छोटे-छोटे कारखाने हैं, घरों में लोगों ने कुटीर उद्योग धन्धे लगाये हैं, जैसे हैण्डलूम के परदे हैं जो कि अमेरिका, एस और ब्रिटेन में जाते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय, उनके जुलाहों को प्रोत्साहन दिया जाय जिससे करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। हमारे जनपद में एक सूती मिल है। उसके अन्दर फैले भ्रष्टाचार की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उस मिल ने सन् 78-79 और 80 में लगभग 80 लाख रुपये का फायदा उठाया जब कि यह मिल जुलाई, 81 से लेकर जनवरी, 82 तक 32 लाख रुपये का घाटा उठा चुकी है। अधिकारियों की जेब में ढाई लाख रुपये ओवर ड्राफ्ट के जा चुके हैं और लगभग ढाई लाख रुपया टी0 ए0, डी0 ए0 में खर्च हो चुका है। इस मिल के अन्दर 1200 मजदूर काम करते हैं। इस तरह से इस मिल में लगे लोग बेकार हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन

[श्री धनीराम वर्मा]

करता हूं और मांग करता हूं कि जनता का एक भी पैसा इस विभाग को खर्च के लिये न दिया जाय ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, पहाड़ वालों को भी मौका दें ।

श्री अनवार खां–

मोहतरम्, आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। माननीय मंत्री जी ने जिस अन्दाज का बजट पेश किया है उसके अन्दर जो बातें दी गई हैं और कहा गया है कि एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है, एक उद्योग बन्धु कमेटी बनाई है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसको देखकर और सुनकर ऐसा अन्दाज होता है कि वह सिर्फ एक खोखला नारा है जो सदन में दिया गया है–

वज्म की खास खबर आम हुई जाती है
खामशी बायसे इलजाम हुई जाती है
लाश परवाने की आगे से हटा दे कोई
शमां मासूम बदनाम हुई जाती है।

मोहतरम्, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं लेकिन उसके साथ ही साथ 2/3 सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

मैं डैण्डलूम कारपोरेशन के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हैण्डलूम का सामान जो उत्तर प्रदेश में बनता है उस माल को बम्बई के सेठ खरीदते हैं और फिर उसका एक्सपोर्ट करके लाखों रुपया कमाते हैं । तो मैं उद्योग मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि यू0 पी0 में एक हैण्डलूम एक्सपोर्ट हाउस खोला जाय और जो यहां के बुनकर हैं उनको इसमें मौका दिया जाय ताकि वह पैसा जो सेठ कमाते हैं इन लोगों को मिल सके।

मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं यू0 पी0 एफ0 सी0 में एक श्री डी0 बी0 प्रसाद हैं जो चीफ टैक्निकल मैनेजर पद पर रहे हैं वह इस कारपोरेशन को लूट रहे थे, उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, तमाम रुपया वह अपनी जेबों में भरते थे। यह काबिले-तारीफ बात है कि मेरी एक कम्प्लेंट पर जो सीरियस थी मंत्री जी ने उसे सस्पेंड किया। बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूं जैसे सुमन कुमार माडवेल, बी0 सहाय, हेमन्त कुमार साहब जिन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उस बेइमान और करप्ट आफिसर को जिसने कारपोरेशन में अपना खूनी पंजा जमा रखा था सस्पेंड किया। वह अधिकारी अब भी दौड़ रहा है और चाहता है कि जिस तरह से उसका पर्दाफाश हुआ है और फिर वह कहीं तिकड़म लगा कर न आ जाय।

गुलों को पंजये खूनी से जिस दिन मैं छुड़ा लूंगा,
तो फिर जाने चमन जाने बहारां करके छोड़ूंगा।

मान्यवर, यह मैंने माननीय मंत्री जी की तरफ से कहा है।

एक और बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह हमारे जो ग्रोथ सेंटर्स हैं उनमें जो इकाइयां लगी हुई हैं उनको पावर, रा-मैटीरियल और बैंक लोन की सुविधायें अच्छी तरह से उपलब्ध हो वहां पर और अधिक इनके विकास के लिए पावर और रा-मैटीरियल की सुविधायें दी जायं। मैं एक तहसील से चुनाव जीत कर आया हूं अतरौली जो बहुत बैकवर्ड है वहां पर बुनकरों की तादात बहुत ज्यादा है, मजदूरों की तादात बहुत ज्यादा है। वहां के लिए आप मुझे कोई कारखाना दे दें या स्पिनिंग मिल का कारखाना दे दें उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत होगी मैं फ्री उपलब्ध कराऊंगा।

मान्यवर, उन्नाव सहजनी में जो टेनरी लगी हुई है उनका गंदा पानी जो है वह प्राबलम बना हुआ है उसकी निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां से जो आदमी गुजरता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी जानकारी है कि जिलाधीश, उन्नाव ने मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसके पानी की निकासी का इन्तजाम किया जाय। मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्नाव की इस समस्या को हल करने के लिए विशेष ध्यान दें।

तूने ऐ शेख मेरी बादा परस्ती देखी,
मुहं से पीते हुए आंखों से बरस्ती देखी,
तूने जब देखा मुझे पीते पिलाते देखा,
मैंने जब देखा तेरी रूह बरस्ती देखी।

मान्यवर, जिस अन्दाज से यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री धरमपाल–

माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां के प्रत्येक व्यक्ति को किसान का बेटा बनने का शौक पैदा हो गया है चाहे वह मंत्री का पुत्र हो चाहे किसी उद्योगपति का पुत्र हो या कोई और हो वह उद्योगपति का बेटा बनने के लिए तैयार नहीं है और न उद्योगपति बनने के लिए तैयार है। मान्यवर, सोचा था कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बड़े सोच विचार के बाद एक उद्योगपति को प्रदेश में उद्योग मंत्री के रूप में दिया है और आशा थी कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना होगी, प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा, और प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का उद्योग मंत्री चाहे उद्योगपति हो, किसान नेता हो या नश्तर साहब जैसा विद्वान हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरम पाल]

पर यहां उद्योग के विकास की गति वही रहेगी, जो वर्षों से अपने प्रदेश में चली आ रही है।

हमारे मंत्री जी अभी विदेशों से तुलना कर रहे थे, तो हमारे मित्रों ने कहा था कि तुम विदेशों से क्यों, अपने उद्योगों की तुलना पहले देश के ही अन्य प्रान्तों हरियाणा व पंजाब आदि से करनी चाहिए। तो उसी सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जाने कितने उद्योगपति जाकर बस गये हैं और उन्होंने बड़े-बड़े उद्योग स्थापित कर लिए हैं जो सफलता-पूर्वक काम कर रहे हैं। आज वह महाराष्ट्र के अन्दर छाये हुए हैं। उसका कारण है वहां मिलने वाली सुविधाएं, कायदे कानून के अन्तर्गत होने वाला कार्य। वहां आप कोई भी उद्योग रजिस्टर्ड करवा दीजिए, योजना स्वीकार करा दीजिए। योजना स्वीकार होने में कोई देर नहीं लगती है और उसके बाद कल्पना मान ली जाएगी, आपको सारी सुविधाएं वहां बिना भागदौड़ के मिल जाएंगी, सारे विभाग का सहयोग मिल जाएगा और आपको सारी की सारी यूनिट स्थापित करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

यहां पर क्या है, प्लाट आवंटित हो जाते हैं, जो कि वर्षों खाली पड़े रहते हैं और जब एरिया डेवलप हो जाता है, तो उन प्लाटों को ब्लैक में बेचने का धन्धा शुरू हो जाता है, उनसे बड़े-बड़े मुनाफे अधिकारी लोग कमाते हैं। गाजियाबाद में कितने प्लाट दिए गये, लेकिन फैक्ट्री नहीं बनी और भ्रष्ट अधिकारी उनको बेईमानी में बेचवा रहे हैं। चाहिए तो यह था कि अगर फैक्ट्री नहीं लगी तो उन प्लाट्स को वापस ले लेना चाहिए था और आक्शन पद्धति द्वारा दुबारा आवंटित उन्हें किया जाना चाहिए था। उद्योग विभाग के बारे में तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन अब मैं वक्फ बोर्ड की तरफ आ रहा हूं। मालूम पड़ता है कि इसे लावारिश समझकर छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मुस्लिम मजहबी इलाके हैं, न जाने कितनी मजारें हैं, जिन पर हर साल मेले लगते हैं, न जानें कितने शहीदों की वहां यादें की जाती हैं। कितने लोग उन पर मिलाद करते हैं और मेले करते हैं। कितनी ही वक्फ की सम्पत्ति पड़ी हुई है, लेकिन उनका कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं हो रहा है। गोण्डा, बहराइच, और बाराबंकी में न जाने कितने मेले-मिलाद होते हैं, कितनी वक्फ बोर्ड की जायदाद पड़ी हुई है और मैं समझता हूं कि पहाड़ के जिलों को छोड़कर प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी हुई है या दूसरी जायदाद पड़ी हुई है। उसको बड़ी बेरहमी से लूटा खसोटा जा रहा है। न जाने उन पर कितनी इमारतें खड़ी हो गई हैं, कितने व्यापारिक संस्थान खड़े हो गये हैं और न जाने कितनी नेस्तनाबूद हो गई हैं, लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है।

मंत्री जी जाने को बड़ा ईमानदार कहते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं लखनऊ का एक उदाहरण दे रहा हूं, हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने अपने समय में मुस्लिम मुसाफिरखाना बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन दी थी। लेकिन आज हैरत की बात यह है कि उसका बाद में कुछ पता नहीं चला, उस पर कोई काम नहीं

हुआ। सारी जायदाद और जमीन जायदाद को आपने और मुतवल्ली ने मिलकर ट्रांसफर कर दिया है और व्यक्तिगत नाम पर उसको बेच दिया गया है। मंत्री जी इस पर ध्यान दें और दोषी अधिकारियों को अवश्य दंडित करें।

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। मान्यवर, उद्योग का सम्बन्ध सीधे इस देश के श्रमिक और किसान से है और इस देश के रहने वाले सारे लोगों से है, लेकिन जहां मान्यवर, लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने समझा था कि कृषि और उद्योग दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित, नहीं है। जबकि दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और एक के विकास से दूसरे का विकास होता है। लेकिन उस प्रवृत्ति को आज भी कायम रखा गया है और उदयोग की इस बजट में भी उपेक्षा की गयी है। उसी के चलते पिछले वर्ष हमारे बजट में जो 7 प्रतिशत पूरे बजट का दिया गया था, इस वर्ष केवल 5 प्रतिशत ही देकर उद्योगों की उपेक्षा की जा रही है।

मान्यवर, यों ही उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बहुत कम हैं। अगर हिन्दुस्तान के नक्शे पर आप देखें तो पायेंगे कि जितने देश में और बड़े-बड़े नगर हैं उनसे बहुत ही कम हमारे प्रदेश में हैं। मेरी प्रार्थना है कि जहां पिछले वर्ष 7 प्रतिशत दिया गया था वहां इस वर्ष के लिए कम से कम 10-12 प्रतिशत दिया जाय ताकि उद्योगों का विकास हो और उससे हमारे कृषि यंत्र बन सकें और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम मिले। फिर भी जो कुछ बजट में दिया गया है और आगे आने वाले वर्षों के लिए जो भी फैसले लिए हैं, वे इस प्रदेश के लिए स्तुत्य और हितकारी हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, हिन्दुस्तान गांवों में बसा है। अगर हमारे प्रदेश का किसान आज खुशहाल नहीं होगा तो चाहे हम कुछ भी करें निश्चित रूप से इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी दूर नहीं हो सकती है। तो हम एक अहद करें कि उद्योगों की जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वे परिवहन की हों, चाहे रेल की हों, या सड़कों की कठिनाई हों, उनको दूर करेंगे और अपनी सरकार से कहेंगे कि उद्योगों को गावों की ओर मोड़ें। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो गावों की जनसंख्या काम की तलाश में शहरों की ओर दौड़ेगी और इससे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी और अन्य कठिनाइयां बढ़ेंगी।

अगर नहीं करते हैं तो चाहे हमने समाजवाद का अहद किया हो, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे पब्लिक सैक्टर्स मजबूत हों। अगर हम उद्योगों के सैन्टर्स को अपने देहातों में नहीं लगा सकते हैं अगर उसके लिए बजट में कुछ धनराशि नहीं

[श्री राज कुमार राय]

दे सकते हैं तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती है । जैसे इस देश और प्रदेश की सरकार पब्लिक सैक्टर को ही इन्वाइट कर रही है, बड़े उद्योगों को खोलने के लिए बुला रही है जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जैसे मिर्जापुर और पहाड़ी इलाकों में वे अपने उद्योग खोलें ।

मेरी भी प्रार्थना है कि उनका इंतजाम करके उनको उद्योग लगाने के लिए स्थान दें, सुविधायें दें लेकिन कायदे कानून मजबूत करें ।

माननीय मंत्री जी ने जो रेशम के दाम 700-800 रुपये प्रति के0 जी0 हो गया था अपने प्रयास से और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मदद से कम करा दिए। बलिया, गाजीपुर, देवरिया और गोरखपुर में उद्योगों के लिए शिव रामन कमीशन बना लेकिन उसने आजमगढ़ जनपद को जिसके लिए पटेल कमीशन बैठा था, को छोड़ दिया, उस कमीशन ने उसको उपयुक्त नहीं समझा । वहां पर एक एन0 टी0 सी0 और स्टेट स्पिनिंग मिल है लेकिन वहां के लोगों को सूत देने के लिए बिचौलियों को स्थान दिया है । जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक के लोगों ने यह फैसला लिया कि वे इन्टरमीडियरीज को समाप्त करेंगे । यह कहां का समाजवाद रास्ता है कि सूत के लिए, अपने बुनकरों के लिए बिचौलियों से यह कार्य करावें ।

अगर वहां के गरीब बुनकरों को सूत देना है तो वहां पर आप सेन्टर्स या डिपो खोलें जिससे उनको आसानी से सूत मिल सके । मऊ, कोपा, कुर्थीजाफरपुर, पूरा बन्धुमल जहां पर 40 लाख लूम्स हैं और लाखों लोग इस धन्धे में लगे हुए हैं, एसी जगहों पर आप डिपो खोलें क्योंकि वे लोग बिचौलियों की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं । मेरी यह भी प्रार्थना है कि उन बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के लिए आप खरीद के स्थान भी बनायें ताकि वे लोग अपना सामान बेच सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त, कृपया आप बैठें ।

श्री राजकुमार राय–

बड़े बुनकरों को प्राथमिकता बाद में दी जाये . .

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें ।

श्री राजकुमार राय–

माननीय रामनरेश जी के जमाने में आजमगढ़ में एक कागज की मिल स्थापित करने की घोषणा हुई थी, मंत्री जी से निवेदन है कि वहां यह कागज की मिल स्थापित करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । (व्यवधान) मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो उद्योग नीति अपनायी जा रही है वह त्रुटिपूर्ण है । हमारे बहुत से साथियों ने, किसी ने जापान का उदाहरण दिया, किसी ने जर्मनी का उदाहरण दिया, और बहुत से देशों का उदाहरण

दिया, लेकिन हम अपने ही देश के अन्य प्रदेशों को अगर देखें तो इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गये हैं । आज हमारे यहां करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं । हमारे देश में कच्चे माल की कमी नहीं है । उद्योगों की कमी है । अगर उद्योग बढ़ें, ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था हो, उसके साधन बढ़ाये जायें, कोयले की कमी न रहे, बिजली की कमी न रहे, तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है । उद्योगों के बढ़ने से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और प्रदेश की भी तरक्की होती है।

मान्यवर, इसके पहले जब नश्तर साहब इस विभाग के मंत्री रहे, वे कानपुर के थे और अपने को मजदूर का बेटा कहते थे । मजदूर की स्थिति को जानते हुये भी वे मजदूरों की चिन्ता नहीं कर सके, बड़े-बड़े लोगों की ही चिन्ता उनको रही । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की जो दशा खराब हुई उसका कारण मिस मैनेजमेंट रहा, आपने जो नान टेक्नीकल लोगों को, आई0 ए0 एस0 लोगों को वहां बिठा दिया उसके कारण तमाम गड़बड़ियां समय-समय पर होती रहीं ।

मान्यवर, मिर्जापुर में जब सीमेंट की फैक्टरी स्थापित हुई तो कहा गया कि विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी में लिया जायेगा । लेकिन सरकारी घोषणा के बाद एक भी विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को नहीं लिया गया । सीमेंट का उत्पादन आप देखिये कि जितनी क्षमता उत्पादन की उन फैक्टरीज की है, उससे कहीं कम उत्पादन आज हो रहा है । क्षमता का आधा उत्पादन, मुश्किल से उन सीमेंट फैक्टरीज में हो रहा है । चुर्क और डाला में उत्पादन आधे के करीब हो रहा है । जो टार्गेट उत्पादन का रखा गया था वह पूरा नहीं हो सका ।

बुनकरों की समस्या को भी यह सरकार हल नहीं कर पायी । बनारस, आजमगढ़ आदि शहरों के बुनकरों की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है । उनकी समस्या हल न होने के कारण आज बड़े-बड़े रईस धनीमानी व्यापारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है । बुनकरों का संबंध सीधे व्यापारी वर्ग से न होकर सरकार से उनका सीधा सम्बन्ध होना चाहिये । जब तक यह नहीं होगा, बुनकरों का भला नहीं हो सकता । कानपुर, मऊ, बनारस, आजमगढ़, आदि सभी शहरों के बुनकरों की स्थिति दयनीय है ।

चुनार की सीमेंट फैक्टरी जब बनी तब भी यह घोषणा की गयी थी कि विस्थापित लोगों को उसमें जगह दी जायेगी, मगर वहां के विस्थापितों को समूल नष्ट कर दिया गया, एक भी परिवार को नहीं लिया गया । जब मैं विरोध पक्ष में एम0 एल0 ए0 होकर आया और जिस दिन संजय गांधी का निधन हुआ, उस दिन हमारे यहां हमारे दल का झन्डा फूंक दिया गया और 23 लोगों को सीमेंट फैक्टरी से निकाल दिया गया और संजय गांधी के निधन के दिन वहां पर बड़ी-बड़ी फोर्सेज लगा दी गयी।

[श्री यदुनाथ सिंह]

कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति है कि आज जो यह आई0 ए0 एस0 लोग हैं, ये लोग जो सार्वजनिक क्षेत्रों में हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलता है। जो सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र में होते हैं, उनके अन्दर साझेदारी उद्योग की प्रवृत्ति नहीं होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आई0 ए0 एस0 अधिकारी के सामने एक बार मैं गया। मैंने उनसे कहा कि आप क्या सीमेंट का उत्पादन करेंगे, आप से अच्छा उत्पादन करके मैं दिखा सकता हूं। अगर मैं वहां पर मजदूर के रूप में ही काम करूं, तो यह सीमेंट के टारगेट को शतप्रतिशत पूरा कर दूंगा। मान्यवर, इन सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे हुए आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, उनको तत्काल हटा दिया जाय और जो जैसी फैक्टरियां हों, उन पर टैक्निकल लोगों को भेजा जाय। मान्यवर, सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये पूरा मौका दिया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बुनकरों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गयी है। मान्यवर, उनके लिए गोदाम बनवाने की व्यवस्था की जाय और उनको अन्य सुविधायें देने के लिए भी व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे हुए उद्योग के बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको इस बजट पर चर्चा का मौका दिया। मान्यवर, समय कम होने के कारण मैं कुछ ही चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, उद्योग ऐसी इकाई है, मान्यवर, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि जो हमारे गांव में लोग रह रहे हैं, कृषि का काम करते हैं, हमारे प्रदेश और देश में जो कृषि खेतों में होती है, वह खेत रबर की तरह से बढ़ाये नहीं जा सकते हैं। इसी इंडस्ट्री के जरिये हम अपने किसानों को छोटी-छोटी अगर इंडस्ट्री, छोटे-छोटे कारखाने दें और उनको इस बात के लिए आदी बनायें कि वह कृषि के साथ-साथ इसमें भी रुचि लें, तो मैं समझता हूं कि हम छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की लाइन जो हमने बनायी है, उस गरीबी की लाइन से ऊपर हम उनको ला सकते हैं। मैं अपने जनपद बदायूं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने और शासन ने बार-बार यह कहा है कि बदायूं में इंडस्ट्री लगना बहुत जरूरी है विचार कर रहे हैं। मान्यवर, वहां पर इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। सिफर है और जीरो है। इसको मानते हुए माननीय मंत्री जी अभी बदायूं के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए सिर्फ विचार ही कर रहे हैं कोई फैसला नहीं दे सकते, न फैसला दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से फिर से अनुरोध करूंगा कि कम से कम बदायूं के लिए कोई बड़ा या छोटा उद्योग जल्द से जल्द लगाने के लिए घोषणा करें और बदायूं की जनता को आभार होने का मौका दें, शुक्रिया का मौका दें और इसके साथ-साथ जो बिजली के अभाव में उद्योग हैं, जो बिजली के अभाव में कारखाने हैं, उनको नजरंदाज करते हुए हथकरघा जो थोड़े से वहां पर बन रहे हैं, उसमें हमने जरूर तरक्की की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने बुनकरों के लिए जो हथकरघा के कारखाने हैं, उनके कपड़ों की क्वालिटी जो है, वह बहुत अच्छी है, जिसके फलस्वरूप हथकरघा की मांग और बिक्री काफी बढ़ी है। हथकरघा के द्वारा उत्पादन लगभग 50 करोड़ मीटर प्रति वर्ष हो गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पूर्ण भारत के मुकाबिले में सबसे अधिक उत्पादन किया जा रहा है और यह सर्वश्रेष्ठ है। चालू वर्ष में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा बुनकरों ने लगभग 10 करोड़ मूल्य का सूत उपलब्ध कराया है। यह उनकी उपलब्धि प्रशंसनीय है। मान्यवर, राज्य वस्तु निगम के द्वारा इस वर्ष में 250 किलोग्राम उत्पादन किया जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसका कपड़ा भारत की कई मिलों से ऊंचा है। इस वर्ष 25 टकुये उत्पादन प्रारम्भ कर दिये हैं। 82-83 में 37 हजार 5 सौ अतिरिक्त टकुये स्थापित करने की योजना है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये मुबारकबाद के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं।

श्री रामधनी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह बजट जो रखा गया है उसका घोर विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत बजट घोर पूंजीवादी समर्थक बजट है। इस बजट में सर्वहारा वर्ग के लिये और मेहनतकश के लिये कुछ नहीं है।

(इस समय 4 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं कहना चाहता हूं कि 30-34 वर्षों में जिनके पास जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश के उन लोगों को जो परिश्रमी हैं, मेहनतकश हैं आज भी उनके यहां कोई उद्योग धन्धा नहीं है। वह बाम्बे, कलकत्ता, लुधियाना और पंजाब में शरण लेते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद इस कांग्रेस हुकूमत में लोगों को कोई अवसर नहीं दिया गया जिनके पास जमीन नहीं है और जो मेहनतकश है। जो सर्वहारा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह यदि गरीबों के हिमायती हैं, समाजवादी होने का नारा लगाते हैं तो सबसे पहले गरीब और मेहनतकश लोगों के बारे में सोचें। आप उन लोगों के बारे में सोचें जो बिना जमीन हैं, बिना घरबार हैं बिना धन्धे के हैं। मान्यवर, आप देखें एक ही व्यक्ति जो किसान है वही उद्योग धन्धे लगा रहा है वही नौकरी करता है जिनके पास रोजी और रोजगार है उन्हीं को उद्योग धन्धे बढ़ाने का मौका मिलता है। गरीबों के लिये कोई मौका नहीं है। माननीय मंत्री जी आप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को देखें। उसमें गरीब को लोन लेने की व्यवस्था नहीं है। बीसों बार दौड़ने के बाद जमानत देने की आवश्यकता पड़ती है। माननीय मंत्री जी गरीबों के पास देहातों में जमानतदार नहीं हैं।

[श्री राम धनी]

मैं जानना चाहता हूं कि जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिये मंत्री जी ऋणों की व्यवस्था कैसे करेंगे । इसके बाद मैं अपने जनपद गाजीपुर की बात कहना चाहता हूं । हमारे यहां एक चीनी मिल है । उस चीनी मिल में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के कर्मचारी और अधिकारी बाहर के हैं । जिनकी धरती ली गई जिनकी जमीन ली गई जिनकी जमीन पर मिल कायम की गई उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया । यदि किसी को कोई काम मिला है तो दैनिक वेतन पर वह भी एक साल या दो साल एक साल के मस्टर रोल पर रखा भी गया तो बाद में उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई । मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को उस फैक्ट्री में काम करने का अवसर मिलना चाहिये । जिनकी जमीन गई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी मंशा उनकी योग्यता के अनुकूल है ।

[5 बजकर 5 मिनट]

श्री राम धनी–

दूसरी बात मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गाजीपुर में नंदगंज में चीनी मिल है जो अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों से गन्ना न लेकर देवरिया और बस्ती गोरखपुर से गन्ना लेती है जिससे हमारे यहां किसानों का गन्ना सूख रहा है, इसलिए निवेदन है कि चीनी मिल को आदेश दिए जायं कि वह पहले अपने इलाके के लोगों को अवसर दे । गोरखपुर में यूरिया फैक्टरी है किन्तु जिससे बनती है खेती पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, गाजीपुर में धान की खेती बहुत होती है । इसलिए धान की भूसी और गन्ने की खोई से कागज की दफ्ती और कागज तैयार किया जा सकता है । इसके अलावा खोई से अन्य कुटीर उद्योग धंधे वहां खोले जा सकते हैं जिसकी तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, गाजीपुर जनपद पिछड़ा जिला है । वहां पर विशेष उद्योग-धंधे नहीं हैं । वहां जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलते थे वह भी अब सीमेंट न मिलने से बंद हो गए हैं । वहां जो छोटे-छोटे कारीगर थे वह सीमेंट की जाली बनाने और सीमेंट के पाइप बनाने का काम करते थे लेकिन सीमेंट परमिट देने का काम वहां समाप्त कर दिया गया है इसलिए मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी कारणवश सीमेंट से जाली और पाइप बनाने का काम समाप्त कर दिया है तो पुनः वहां सीमेंट लाइसेंस देने की व्यवस्था करें जिससे यह उद्योग चालू हो सकें ।

मान्यवर, सैदपुर सादात ब्लाकों में, हमारे यहां, ऊसर बहुत हैं लेकिन जमीन अन्न उपजाऊ है, इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने की व्यवस्था की जाय और जमीन को उपजाऊ बनाया जाय ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के किसी माननीय सदस्य ने अपने विचार नहीं प्रकट किए हैं, इसलिए मुझे आप समय दे दें ।

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो उद्योग का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करती हूं । मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश में गरीबी और बेकारी दूर करना वहां के उद्योग-धंधों पर निर्भर करता है । मैं केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देती हूं कि उन्होंने बुन्देलखण्ड के झांसी जिले में बी0एच0इ0एल0 और सूती मिल का और होजरी कारखाना खोला । मान्यवर, झांसी में मऊरानीपुर तहसील है जहां 15000 कारीगर टेरीकाट का कपड़ा बनाता है लेकिन उनके सामने एक समस्या है कि वह टेरीकाट का सूत बम्बई लेने जाते हैं और जब सूत का कपड़ा बन जाता है तो उसकी छपाई और रंगाई दोनों के लिए फिर बम्बई जाना पड़ता है ।

इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उनको सूत अच्छी कीमत पर सरकार उपलब्ध कराये और जब वह कपड़ा बुन लें तो उसको ज्यादा कीमत पर खरीदे जिससे उनको लाभ मिल सके और बेकारी दूर हो ।. इसके साथ ही साथ छपाई और रंगाई के लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस तरह मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में एक छपाई रंगाई का केन्द्र खोला है जिसमें नवयुवकों को ट्रेनिंग देते हैं। मान्यवर, उसी प्रकार से छपाई और रंगाई का सेन्टर हमारे मऊरानीपुर तहसील में खोला जाना चाहिए ताकि बुनकरों को ट्रेनिंग दी जा सके । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में सहरिया कम्यूनिटी है । यह लोग बांस से चटाइयां, टोकरियां आदि चीजें बनाते हैं । तो इनको अगर 2, 2, 4, 4 हजार रुपए का अनुदान दे दें और बांस की लकड़ी को सस्ते दर पर उपलब्ध करा दें तो यह लोग अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर से सम्बन्धित लोहे के औजार, फर्नीचर, मोमबत्ती, साबुन तथा रेशम के कीड़े पाले जाने संबंधी छोटे-छोटे उद्योगों को खोला जाना चाहिए । रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पैदा किए जाते हैं । तो लोगों को दो या चार हजार रुपए का अनुदान दिया जाय जिससे यह धंधे विस्तृत रूप से खुल सकें ।

मान्यवर, एक और निवेदन मंत्री जी से करना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है लेकिन झांसी में एक पेपर मिल तथा चमड़े का उद्योग देने की कृपा करें जिससे वहां का विकास हो सके । मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से पी0 डब्लू0 डी0 विभाग में एक बहुत बड़ी प्रथा है कि इन्जीनियर्स ठेकेदारों से 1.5 परसेन्टेज लेते हैं उसी प्रकार से चाहे सेन्ट्रल बैंक हो या स्टेट बैंक हो जो आदमी ऋण लेने वहां जाता है उससे 10 परसेन्ट तय किया जाता है और तब पैसा दिया जाता है। यह जो बीमारी है यह अभी जल्दी ही शुरू हुई है अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो ऋण लेने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । धन्यवाद ।

श्री खैरुल बशर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि हर साल हम मोहर्रम मनाते हैं, इधर उधर बैठकर, 34 साल की हमारी आजादी के बाद हम हर साल यह मुहर्रम कब तक मनाते रहेंगे। यह मोहर्रम हम तब तक मनाते रहेंगे जब तक सरकार की नीतियां नहीं बदलेंगी। हमारा देश ऐसा है कि 34 साल से एड़िया रगड़ रहा है आगे बढ़ने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अबकी शबे-बरात मनाओ।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हम मनायें लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, मैंने देखा कि बिड़ला की आमदनी 1 अरब 21 करोड़ रुपये का प्राफिट एक साल में हुआ है और टाटा का प्राफिट एक साल में 1 अरब 10 करोड़ रुपया हुआ है। जिस प्रकार की छत्र-छाया में आज हमारे देश के पूंजीपतियों का यह प्राफिट है तो फिर इस देश की इण्डस्ट्री कहां से चल सकती है और इस देश की गरीबी कैसे दूर हो सकती है? मुझे आश्चर्य होता है कि आप इंडस्ट्री की बातें करते हैं, जो हमारे टारगेट हैं वह किसी चीज के पूरे नहीं होते हैं। जो हमारी क्षमता है उतना हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में स्टील का प्रोडक्शन हमारे देश के अन्दर जहां 100 लाख टन पैदा करने की क्षमता वाला लोहा है, हम 70 लाख टन लोहा पैदा नहीं कर सकते। तो जब हम लोहा पैदा नहीं कर सकते तो फिर हमारे उद्योगों का विकास कहां से हो सकता है? आपकी नीतियां साफ नहीं हैं आपकी नीतियों में भ्*ष्टाचार पल रहा है। आपकी सारी कार्यवाहियां कागज पर ही होती हैं पर प्रेक्टिकल तौर से कुछ नहीं होता है इससे पूरा देश तबाह हो रहा है।

मैं अपने जिले की बात कहने से पहले कानपुर जिले की बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आपकी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस साल को प्रोडक्शन साल माना है परन्तु आपके प्रोडक्शन करने वाले मजदूरों पर हमले हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ? कानपुर में जे0 के0 जूट के मजदूर लोग हड़ताल कर रहे हैं लेकिन लेबर डिपार्टमेन्ट मजदूरों की जायज मांगों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।

आजमगढ़ जिले में जहां से मैं आ रहा हूं, मैं वहां तीन दिन विधान सभा के सदन की कार्यवाही को छोड़कर वहां गया । वहां पर इस बेदर्दी से बुनकरों से कर्जा वसूल किया जा रहा है। सरकार ने उन्हें सूत देने का वायदा किया था। वहां पर हैण्डलूम कारपोरेशन कायम है। वहां पर डेढ़ दर्जन बुनकर हवालात में बन्द हैं। मैं मंत्री जी से दरखास्त करता हूं कि उन बुनकरों पर रहम कीजिए और उनके कर्जे को माफ कीजिये । उनका 1000 रु0 के कर्जे में कुछ बनने वाला नहीं है । आपकी पालिसी की वजह से वह बुनकर फंसे हुए हैं। आपने उनको सूत नहीं दिया, उनका काम रुक गया, कर्जा वसूल करने के लिये महाजनों ने कोर्ट में रिट कर दी और

सरकार की डिक्री हो गयी। क्या आप चाहते हैं कि उन बुनकरों के घर नीलाम हो जायं वे घर से बेघर हो जायं, वे शरणार्थी बनकर चले जायं और आपकी यह पालिसी अपनी जगह पर बरकरार रहे।

मैं मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर सीमेंट का प्रोडक्शन जैसा कि अभी आपने कहा, बढ़ रहा है। लेकिन श्रीमन्, जो भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वह कागजों में बढ़ रहा है। अगर सीमेन्ट का प्रोडक्शन होता तो गरीबों को क्यों सीमेन्ट न मिलती? श्रीमन्, आज भी आम जनता को सीमेन्ट नहीं मिल पाती है और सीमेन्ट की एक-एक बोरी 90-90 रुपयों में बिक रही है। सीमेन्ट का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो उस पर टैक्स भी बढ़ रहा है जिसके कारण वह अवाम तक नहीं पहुंच पा रही है।

उत्तर प्रदेश हमारा देश में एक पिछड़ा हुआ सूबा है और हम इसके पिछड़ेपन को और बढ़ा रहे हैं। मैं नियाज हसन साहब की नियत पर शक नहीं करता लेकिन ऐसे यह गाड़ी चल नहीं सकती है जब तक कि नौकरशाही और मल्टी नेशनल कांग्रेस सरकार पर छायी रहेंगी। जब तक हमारे देश में टाटा और बिड़ला जैसे सामन्त यहां पर पनपेंगे तब तक यह सरकार सामन्तों के जरिये हरिजनों की हत्या कराती रहेगी। जब तक सामन्त लोग छाये रहेंगे यहां से गरीबी दूर होने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है तो फिर ऐसे में कैसे आपके उद्योग धन्धे पनपेंगे और आगे बढ़ेंगे ?

हमने पारसाल भी उद्योग के बजट को सुना था और इस साल भी सुन रहा हूं। मुरादाबाद में पीतल के काम की जो योजना बन रही है उसके लिये आपने 8 हजार रुपया निर्धारित किया है। जो 20 परसेन्ट होना है, जो कान्स्ट्रक्शन की मात्रा वह कुल 12 हजार रुपये में हो जायेगा। जो हमें इण्डस्ट्रियल स्टेट बनानी है उसके लिये हम फिर से अपनी योजना को रिवाइज करें और आगे बढ़ें। उस रास्ते पर न चलें जो बरबादी और तबाही का रास्ता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उनका समर्थन करता हूं।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू ने, जो युग निर्माता थे, राष्ट्र निर्माता थे अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भारी उद्योग, जिसको बेस वह बनाना चाहते थे जिससे देश ऊंचा उठा था, उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ कोई बड़ा कारखाना आज तक हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं लगा सकी। मेरी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में खाद का कारखाना अवश्य लगाया जाय, जिसका सर्वे उत्तर प्रदेश

[श्री दामोदर शर्मा]
की सरकार पहले कर चुकी है, लाखों रुपया खर्च किया गया परतापुर में स्पोर्ट कामप्लेक्स है, उसके बराबर में जमीन का सर्वे हो चुका है, यूरिया प्लाण्ट लगाने के लिये।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुगर वेस इण्डस्ट्री है, हर 10 कि0 मी0 की दूरी पर एक चीनी मिल है चाहे वह सहकारी मिल हो या पूंजीपति की शुगर मिल हो, उसमें जो शीरा बचता है, उसमें मेरी मांग है कि शीरा उद्योग, जो फैक्टी से शीरा आता है चाहे वह छोटे-छोटे कोयले में लगता हो, जो अक्सर उद्योग मंत्री जी सप्लाई करते हैं, लेकिन वह असली जगह नहीं पहुंच पाता, उस शीरे का दुरुपयोग हो जाता है और उससे शराब बना लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसीटोन का एक कारखाना लगायें जो शीरे से चल सकता हो, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग शीरे का उपयोग कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या शाहजहांपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है?

श्री दामोदर शर्मा–

मान्यवर, मैं मेरठ की बात कर रहा था। सहारनपुर में एक पेपर टेक्नोलाजीकल इण्स्टीट्यूट था जिसका कार्य, स्विटजरलैण्ड की मदद से चल रहा था, जनता पार्टी ने उसे रुड़की यूनिवर्सिटी से एटैच कर दिया। मेरी मांग है कि उसका काम था पेपर एण्ड पल्प रिसर्च करना, तो उसे यूनिवर्सिटी से हटाकर पेपर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट अलग कायम करें, जिससे पेपर का जो एक मिनी प्लाण्ट है, उसका विकास हो सके। मैं आपका आभार प्रगट करता हूं कि मेरठ में सखौली, टांडा में जो 2000 टन प्रतिदिन गन्ना पेराई की गयी है, मेरी मांग है कि मोहीउद्दीनपुर की शुगर मिल की भी क्षमता बढ़ाकर 2000 टन प्रतिदिन की जाय।

मैंने मा0 मंत्री जी से मांग की थी कि मेरठ के अन्दर हरियाणा और पंजाब से ज्यादा जो स्पोर्ट्स का सामान है, बनता है, तो जो स्पोर्ट्स काम्पलेक्स है, उसका विकास करने के लिये जल्द से जल्द कदम उठाने की कृपा करेंगे और स्पोर्ट्स कारपोरेशन बनाया जाय क्योंकि सबसे ज्यादा जो खेल का सामान बनता है वह मेरठ जिले में बनता है।

इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर में कोई पेपर मिल नहीं है। मेरठ के अन्दर नयी पेपर मिल बनायी जाय। इसके साथ ही, मा0 मंत्री जी ने जो बजट रक्खा है, उसका समर्थन करता हूं।

(श्री बलवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, मैं आप का इसके लिए बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, देश में जो योजनायें बनायी गयी हैं, वह योजनायें ही गलत हैं..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आप को नहीं बलबीर सिंह को बुलाया है। समय नहीं है। आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं इसलिए लिखा नहीं जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट– [* * *]

श्री उपाध्यक्ष–

जसवंत सिंह जी, अब मैं आप की बात नहीं सुनना चाहता।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

हमारे माननीय विधायकों ने, सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन किया है, मगर मजबूर हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में हैं, विरोध किया।

कुछ मुद्दे समय की कमी के कारण रह गये थे । मैं उनकी व्याख्या करूंगा । उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है । जब तक कृषि उत्पादन पर आधारित कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर नहीं लगाये जायेंगे, औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है । उन्हीं कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का सामान बड़े उद्योगों में काम आता है और उन्हीं से बड़े उद्योग चलते हैं । महात्मा गांधी जी की आत्मा उनको धिक्कार रही है.....

श्री उपाध्यक्ष–

बलबीर सिंह जी, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। आप को मैंने केवल जवाब देने के लिए बुलाया है न कि नये सुझाव देने के लिए। आप केवल जवाब दें।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

जब तक कृषि को आप महत्व नहीं देंगे तब तक विकास संभव नहीं है। आज 75 प्रतिशत गन्ना क्रेसर, कोल्हुओं में पेरा जाता है और बाकी 25-30 प्रतिशत चीनी मिलों, सहकारी मिलों में पेरा जाता है । उनका फालतू जो कर्न है, सीरा है....

श्री उपाध्यक्ष–

अब महकमा गन्ना, अलग हो गया है...

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

(हंसी)

आपके संरक्षण की आशा है, मान्यवर...

श्री उपाध्यक्ष–

जब गन्ना का आयेगा तब आप इसको कहें।

नोट :---[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, आलू की समस्या है, कोल्ड स्टोरेज...

श्री उपाध्यक्ष–

जब कृषि आवे तब आलू।

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, उद्योग का ताल्लुक मैंने अर्ज किया था कच्चा माल, बिजली, फाइनेंस, श्रम मिलने पर ही इसका विकास होता है लेकिन हमारी सरकार कच्चा माल सप्लाई करने में, बिजली उत्पादन में, बिजली सप्लाई करने में और फाइनेंस उपलब्ध करने में असफल रही है। केवल एक चीज श्रम इनके पास रह गई है और यही कारण है कि हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास नीचे की तरफ जा रहा है। आज कोयले की आपूर्ति यह सिद्ध कर देती है, बिजली की आपूर्ति सिद्ध कर देती है कि आप उद्योगों को कितना बढ़ाना चाहते हैं। बिरला को वर्ल्ड बैंक से 2 प्रतिशत पर बिजली दे दी गई मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का नारा देने वाली यह सरकार क्या खुद यह काम नहीं कर सकती थी?

मान्यवर, 10–12 प्रतिशत ब्याज पर जो रु0 है वह तो हमारा बिजली पर एल0आई0 सी0 से लेता है लेकिन जब 2 प्रतिशत पर रुपया मिलने की बात आई तो बिरला को दिलवा दिया तो यह पूंजीवादी सरकार का थोथा नारा है। मान्यवर, अब मैं रामपुर की ओर आता हूं। रामपुर जनपद में 4 इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर बनाये गए हैं लेकिन वहां पर एक को भी बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है तो क्या यह ग्रोथ सेन्टर केवल नामकरण को बनाये गए थे। बनाये इसलिए थे कि यू0 पी0 के हर बिजली घरों में बिजली की पूरी आपूर्ति की जायेगी, कच्चे माल की आपूर्ति की जायेगी, पैसे की व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य चीजों की सप्लाई की जायेगी लेकिन एक भी चीज की सप्लाई नहीं की गई।

मान्यवर, रामपुर जनपद एक रियासत था सन् 1947 में और सन् 1952 में वह रियासत मर्ज हुई और अपने प्रदेश में सम्मिलित हुई। वहां पर तब 10 बड़ी इन्डस्ट्रीज थीं जिनमें से अब केवल तीन बाकी रह गई हैं और धीरे-धीरे सब समाप्त होती जा रही हैं। वहां पर एक थर्मल प्लान्ट भी था लेकिन दुर्भाग्य है कि 1975 में इसी सरकार ने एक मंत्री के हाथ बेच दिया और उसके पुर्जों को मंत्री अपने घर ले गये और उसको बेच खाया। यह क्या उद्योग लगायेंगे, ढ-या बिजली घर लगायेंगे ? यह जो रामपुर का थर्मल प्लान्ट बेचा गया क्या बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के बेचा गया ? नहीं प्रदेश सरकार की अनुमति से यह उद्योग उखाड़ा गया। मान्यवर, आज चावल मिलों में बिजली की आपूर्ति नहीं की गई। रामपुर जनपद में 30 चावल मिलें है लेकिन केवल 6 घंटे उनको बिजली दी गई। चावल मिलों से जो पालिश निकलती है अगर उन चावल मिलों को स्टैब्लाइजर दे दिया जाय तो उससे वनस्पति घी बनाया जा सकता है और वनस्पति घी की पूरी पूर्ति हो जायेगी, ऐसा मेरा सुझाव है। ऐशबाग में एक सरकारी प्रेस है जिसमें करोड़ों रु0 का घोटाला है उसकी जांच हो रही है लेकिन उस पर कोई कार्य-वाही नहीं की जा रही है। उसमें 54 विदेशी मशीनें हैं और उसमें से 8 मशीनें 8-8 हजार रु0 में बेच दी गई है। वहां पर वे सही काम कर रही हैं लेकिन 54 मशीनें बेकार पड़ी हैं। मान्यवर, पांच साल पहले वे मशीनें आयीं थीं। लाटरी टिकट छापने के लिए मशानें मंगवाई गयी थी लेकिन आज तक रंगीन छपाई नहीं हो सकी और वे बेकार पड़ी हैं। यह सरकार जो आफिसरशाही में फंसी हुई है, यह सरकार जो भ्रष्टाचार में

फंसी हुई है, क्या उद्योग का विकास कर सकती है ? मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह अफसरशाही बढ़ते-बढ़ते मंत्रिमंडल तक पहुंच गयी है तो उद्योग का विकास क्या होगा? रामपुर जनपद में स्वार तहसील है लेकिन आज तक वहां एक भी उद्योग नहीं लगा। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां एक चीनी मिल की स्थापना करें, स्वार में एक सूती मिल लगवायें। रामपुर में एक भारी उद्योग जरूर लगवायें। चाहे प्रदेश सरकार लगावे, चाहे केन्द्र सरकार लगावे। रामपुर जनपद हमेशा से उपेक्षित रहा है। रामपुर के बराबर मुरादाबाद है जो लघु उद्योग में बहुत ऊंचा रहा है। उसके लिये बहुत सारी व्यवस्था की जा रही है। रामपुर इस क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

रामपुर जनपद के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे उसको हटावें। रामपुर जनपद में बिलासपुर में 5 टन वाली गत्ता मिल की स्थापना के लिये यू0 पी0 एफ0 सी0 ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था लेकिन सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। गत्ता मिल के लिए वहां भूसा दो रुपये मन मिलता है और पुआल 4 आने मन मिलता है। मेरठ में 5 टन वाले गत्ता मिल की रिपोर्ट भी दिखलायी गयी लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रामपुर और तराई क्षेत्र में गत्ता मिल की स्थापना के लिए सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने समझा हो कि उन्होंने किसानों पर एहसान किया है और उसे ट्रैक्टर फैक्टरी दी है।

आज तक हिन्दुस्तान में केवल 500 ट्रैक्टर्स आये हैं इसलिए मैं समझता हूं कि ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री फेल हो जायेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का बेड़ा गर्क हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने इसकी सराहना की है और हमारा समर्थन किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री नियाज हसन खां—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि दोनों तरफ के मित्रों ने मेरे इस उद्योग बजट में काफी दिलचस्पी ली। इससे खुद मालूम देता है, अन्दाजा होता है कि जान आ रही है। जान आयी है वरना इसमें दिलचस्पी होती ही नहीं। हमारे कुछ साथियों ने . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, डिबेट में जान आ रही है या उद्योग में ?

श्री नियाज हसन खां—

दोनों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, उपाध्यक्ष जी।

हमारे साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उपाध्यक्ष महोदय आप नहीं थे, मैंने पहले ही उन से अनुरोध किया था कि कटौती के प्रस्ताव के मायने यह है कि आप नहीं चाहते कि औद्योगिकरण हो। औद्योगिकरण नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश जिन्दा नहीं रह सकता।

[श्री नियाज हसन खां]

फिर भी, बिजली का, वैगन का, कच्चे माल का, रेशम का, इन सब का चर्चा हुआ। जहां तक बिजली का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी तरीके से बिजली की कमी को पूरा किया जाय या अगर कमी है तो क्या दूसरे जरिये अपनाये जा सकें कि काम चल सके।

पहला कदम तो जो हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है कोशिश यह की जा रही है कि उसकी क्षमता बढ़े और बढ़ रही है। दूसरी कोशिश यह हो रही है कि नये-नये बिजली घर लगाये जायं। तीसरी साथ ही साथ उसकी मदद करने के लिए जेनरेटर आप खरीदें और हम से सब्सिडी लीजिए। चौथी चीज इस बात को देखते हुये, उपाध्यक्ष महोदय कि हर छठी पंचवर्षीय योजना में डिमान्ड और सप्लाई का गैप बढ़ जायगा तो उसको कैसे पूरा किया जायगा।

मंत्रि परिषद् ने यह फैसला किया कि निजी क्षेत्र में भी 1500 मेगावाट के लिए केन्द्र सरकार से दरख्वास्त की जाय। तो मैं अभी आप से अर्ज कर चुका कि क्यों टाटा, बिड़ला से एलरजी है । दूसरे प्रान्तों में तो लाल कालीन बिछाई जाती है उनका स्वागत करने के लिए। तो यही चार-पांच तरीके हैं जो कि बिजली के उत्पादन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं और जैसा मैंने कहा था शुरू में ही कि बिजली की कठिनाई और संसाधन की कठिनाई के बावजूद भी जब आप देख रहे हैं उद्यम लगाने वाले-कुछ मित्र कह रहे थे कि हरियाणा, फरीदाबाद, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि पहले नोयडा देखें और तब फरीदाबाद देखें—कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो भी सम्भव हो रहा है। कोशिश यह की जा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो हमारे साथी की मांग है कि जिस जिले में कुछ भी नहीं है, कल भी मैंने अर्ज किया था, हमारी सरकार की नीति है उन जिलों में कुछ न कुछ कारखाना लगाया जाय। हर संभव कोशिश की जायगी कि उनके जिले में कारखाना लगाया जाय। और खासतौर से पिछड़े इलाके में।

कुछ वैगन का मामला चर्चा किया और हमारे मित्र मुख्तार अनीस ने चर्चा कर दिया उसका। शायद यह जानकारी नहीं है अगर वैगन नहीं मिले तो कोयला सड़क से भी, रोड से भी, लाया जा सकता है। उनकी कमी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया । तीन कव्रखाने भारत सरकार के खोले गए हैं, फिरोजाबाद, बनारस, गोरखपुर । नौ जगह और खोलने जा रहे हैं।

मैं आप से कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कच्चे माल की कमी नहीं होने दी जायगी, किसी तरीके से कारखानों को बंद नहीं किया जायगा। चाहे कोयले की बात हो, चाहे लोहे की बात हो, एक करोड़ से अधिक कीमत लगा कर के दस हजार मैट्रिक टन पिन आयरन का इम्पोर्ट किया गया। इसी तरीके से मोम की यहां पर बड़ी कमी थी। जिस वक्त मैंने इस विभाग को संभाला था उस वक्त बीसियां तादाद में इसके लिए दरख्वास्तें आई थीं और आज यह हालत है कि जिनको यह एलाट-मेंट होता है, वे इसको उठाते ही नहीं हैं।

हमारे बनारस के एक मित्र ने रेशम की और बुनकरों की चर्चा की। हमारे खैरुल बशर साहब ने बुनकरों के बारे में चर्चा की। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा यू0 पी0 एफ0 सी0 है जो बुनकरों का मामला है उसके बारे में हमारी सरकार की

नीति है कि कोई कारखाना किसी कर्ज के ऊपर, किसी की जमीन, किसी बुनकर के घर में नीलाम नहीं किये जायेंगे उसे हर प्रकार का संरक्षण दिया जायेगा और हद से हद सुविधा दी जायगी . . . .

(व्यवधान)

श्री कैलास टंडन—

जो वहां बुनकरों के ऊपर कुर्की आयी है और मिल बन्द कर रहे है, उनके बारे भी कुछ स्पष्ट कर दें ।

श्री नियाज हसन खां—

जहां तक रेशम का सवाल है । रेशम की कमी है मान्यवर, रेशम अधिकतर चाइना से आता है और उसका दाम 700/800 रुपया कर दिया गया है । 90 टन हमको एलाट किया गया है और जो हमने इम्पोर्ट किया है उसमें 9 टन तो बनारस पहुंच गया है, 15 टन कलकत्ता के पोर्ट में पड़ा हुआ है। मान्यवर, इतना ही नहीं, इसका दाम हमारे प्रयास से 700 रुपये से घटाकर 664 रुपया कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि औद्योगीकरण के सवाल पर हमने हर सम्भव कदम उठाये है और उठाये जायेगें। मैं आशा करता हूं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

(व्यवधान)

मुसाफिर खाने की जायदाद और वक्फ के बारे में यहां पर जिक्र किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विभाग को लिये हुये मुझे जुम्मे-जुम्मे 8 रोज हुये हैं और आते ही मैंने उसमें सफाई करना शुरू कर दिया । जब यह विधेयक आया था तो दोनों पक्षों के लोगों ने इसका स्वागत किया था । मैं आपको बता दूं कि यह बहुगुणा के जमाने का है, मेरे जमाने का नहीं है । यह आपका भ्रम है, यह देखने की बात है । इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बजट मांगे मैंने प्रस्तुत की हैं उनको यह सदन स्वीकार करेगा . . . . ।

(व्यवधान) ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री संत बक्श रावत—

मान्यवर, खादी बोर्ड के संबंध में कोई बात नहीं हुई। उसमें उपाध्यक्ष और सचिव खादी बोर्ड को लूट रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खादी के बारे में कुछ नहीं कहा (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, अकबाल साहब आप बैठिये।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4–उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,46,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,34,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण), अनुदान संख्या 27 —निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा अनुदान संख्या 39— मुस्लिम वक्फ विभाग

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,57,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, कभी हमारी भी पास करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए जनता से अधिकार प्राप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 3-3-82 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री केदारनाथ सिंह की थी – जनपद बरेली के ग्राम बिहारीपुर में एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में इसे स्वीकर किया गया है। इस पर गृह मंत्री का बयान होगा। कब देंगी वक्तव्य, गृह मंत्री जी?

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

इसको 12 को रख दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

12 को एक लगा हुआ है।

श्री राम सिंह खन्ना–

तो 13 के लिए रख दीजिए।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप बख्शी)–

ठीक है 13 के लिए रख दीजिए, शुभ दिन है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, 13 तारीख को इस पर वक्तव्य होगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।अब मद संख्या 12।

(श्री राम सिंह खन्ना के वक्तव्य देना आरम्भ करने पर श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदन के कोने से फोटो और रजिस्टर मा0 उपाध्यक्ष की ओर दिखा-दिखा कर कुछ कहने का प्रयत्न करते रहे, जो सुनाई नहीं दिया।)

अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन द्वारा अपना इलाज आर्थिक संकट के कारण न कराये जा सकने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[5 बजकर 46 मिनट]

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

काकोरी काण्ड के विख्यात शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की माता श्रीमती मूल मंती देवी को वर्ष 1948 में 40/- रु0 प्रतिमास की पेंशन स्वीकृत हुई थी। श्रीमती मूल मंत्री देवी की मृत्यु के उपरान्त अमर शहीद बिस्मिल की विधवा बहन श्रीमती शास्त्री देवी को 1-10-1958 से 40/- रु0 मासिक राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की गयी थी। अमर शहीद बिस्मिल के बलिदान के आधार पर उनकी माता के मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा बहन श्रीमती शास्त्री देवी को पेंशन स्वीकृत की गयी थी। पेंशन की धनराशि 1 जून, 1968 में रु0 50/- मासिक कर दी गयी। सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप श्रीमती शास्त्री देवी की पेंशन वर्ष 1971 में स्वतः ही 80/- हो गयी जिसे पुनः वर्ष 1973 में रु0 100/- कर दिया गया था। इस प्रकार श्रीमती शास्त्री देवी वर्ष 1973 (1-6-1973) से ही रु0 100/- मासिक पेंशन पा रही हैं।

2—जहां तक श्रीमती शास्त्री देवी को वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रश्न है, श्रीमती शास्त्री देवी को वर्ष 1976 में चिकित्सा एवं असाधारण आर्थिक कठिनाई के निवारणार्थ रु0 1,000/- का अनुदान दिया गया था। पुनः प्रेस में श्रीमती शास्त्री देवी की दयनीय स्थिति के समाचार के आधार पर उन्हें माह नवम्बर, 1981 में रु0 1,000/- का चिकित्सा अनुदान दिया गया था। दिसम्बर, 1981 में फिर रु0 1,000/ का और अनुदान असाधारण कठिनाई से उबरने के लिये दिया गया और 27-2-1982 को पुनः रु0 1,000/- का और अनुदान दिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उन्हें रु0 4,000/ का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से भी श्रीमती शास्त्री देवी को 27-2-1982 को 5,000/- का अनुदान उन्हें उपचार हेतु दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी, मैनपुरी को भी आदेश दे दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि श्रीमती शास्त्री देवी की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध सरकारी व्यय पर हो जाय।

3—उपरोक्त तथ्यों से विदित होगा कि श्रीमती शास्त्री देवी को न केवल शुरू से ही पेंशन दी जा रही है बल्कि समय-समय पर उन्हें हर प्रकार की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

3 मार्च, 1982

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पिछले पृष्ठ 1067 पर।)

(विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के सप्तम बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर का संलग्नक)

जिला	कार्य का नाम	दिनांक 30-11-81 तक भौतिक प्रगति (प्रारम्भ से)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	देरी से पूरा होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1978-79				
चमोली	1–बामनी के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल का निर्माण–70	45 प्रतिशत	10/1983	स्थल 3100 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण कार्य करने का समय केवल 6 माह है (उसमें वर्षा ऋतु भी है) मूल स्थल पर ग्लेशियर होने के कारण स्थल बदलना पड़ा।	
	2–मैठाना के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल का निर्माण 135 मीटर	31 प्रतिशत	6/1984	बहुत बड़ा स्पान 135 मीटर होने के कारण परि-कल्पना में देरी हुई। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा प्रगति पर है।	
	3–सेरा के पास मन्दाकिनी नदी पर झूला पुल का निर्माण–60 मीटर	100 प्रतिशत			कार्य पूर्ण।
	वर्ष 1979-80				
	1–हरमनी के पास पिन्डर नदी पर झूला पुल का निर्माण–80 मीटर	6 प्रतिशत	3/1983	गांव वाले दो भिन्न स्थानों पर पुल की मांग कर रहे थे। भूगर्भ समस्या भी थी अत: अन्तिम स्थल चयन 12/80 में किया गया। कार्य प्रगति पर है।	
	2–निगोल नदी पर नैल गांव के पास झूला पुल का प्रतिशत निर्माण–35 मीटर	18	3/1984	स्थल विवादग्रस्त हो गया है। अत: कार्य रुक गया है। जिलाधिकारी, चमोली से मदद ली जा रही है।	
	3–कोठगी के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल का प्रतिशत निर्माण 100 मीटर	40	12/1982	कार्य अब प्रगति में है।	

1	2	3	4	5	6
	4—लाटूगैर के पास रामगंगा नदी पर झूला पुल का निर्माण 36.6 मीटर	5 प्रतिशत	3/1983	स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा पुल के विवाद के कारण दिनांक 30-11-81 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका, अब यह विवाद तय हो गया है। पूर्व चयन स्थल पर ही कार्य 12/81 प्रारम्भ कर दिया गया है।	
	5—भटवारी सेड़ पर मंदाकिनी नदी पर पुल का निर्माण 45 मीटर	70	6/1982		
	6—रैलगांव के पास मंदाकिनी नदी पर झूला पुल का निर्माण—48 मीटर	70 प्रतिशत	6/1982		
		वर्ष 1978-79			
पौड़ी	1—नयार नदी पर सरोरा छोटा डांग पर झूला पुल का निर्माण—35 मीटर।	90 प्रतिशत	3/1982		
	2—धनगढ़ में गढ़कोट के निकट स्टील गर्डर पैदल पुल का निर्माण— 20 मीटर	31 प्रतिशत	3/1983	स्ट्रक्चरल स्टील के उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रगति में बाधा।	
	3—कोटी ग्राम के निकट **पश्चिमी नयार नदी पर** पैठानी से 2 मील ऊपर पैदल पुल का निर्माण- 24 मीटर	100 प्रतिशत			कार्य पूर्ण
	4—चैलसैण पट्टी वल्ली कंडारस्यूं में बलगढ़ नदी पर पैदल पुल का निर्माण—15 मीटर	100 प्रतिशत			तदैव
	5—कंडारस्यूं बलगढ नदी पर पैदल पुल का निर्माण—20 मीटर	100 प्रतिशत			तदैव
	6—ग्राम एंता में खो नदी पर झूला पुल का निर्माण—100 मीटर	29 प्रतिशत	6/1983	कार्य पर प्रगति धीमी रही है। अब बढ़ाई जा रही है।	

1	2	3	4	5	6
	7–गाड़ीघाट पर खो नदी पर झूला पुल का निर्माण–80 मीटर	30 प्रतिशत		6/1983	कार्य प्रगति पर है।
	वर्ष 1979-80				
	1–काला और वजवाड़ के बीज बलगाड नदी पर पैदल पुल का निर्माण–16 मीटर	80 प्रतिशत		6/1982	तदैव
	2–धामधार के निकट मंदाल नदी पर झूला पुल का निर्माण–55 मीटर			6/1983	कार्य 12/81 में प्रारम्भ किया जा चुका है। सीमेन्ट की कमी व लोहे की उपलब्धता में कठिनाई के कारण कार्य प्रगति में बाधा ।
	3–ह्वेल नदी पर गामसाि के निकट झूला पुल का निर्माण–85 मीटर			6/1983	तदैव
	4–प्योकन नदी पर ढ़ौंटियाल के निकट झूला पुल का निर्माण–55 मीटर	5 प्रतिशत		6/1983	तदैव
	5–पूर्वी नयार नदी पर काण्डा के निकट पुल 40 मीटर	5 प्रतिशत		12/1982	तदैव
	6–ह्विल नदी पर भवासी के निकट झूला पुल का निर्माण–30 मीटर ।	15 प्रतिशत		6/1983	तदैव
	7–खटलगाड़ पर लहसिया महादेव के निकट झूला पुल का निर्माण–30 मीटर			6/1983	निर्माण स्थल के निकट से सोपखाल सिगस्तबा मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति की जा रही है। अतः झूला पुल की आवश्यकता नहीं है।

1	2	3	4	5	6
	8–स्यूंसी के निकट नयार नदी पर झूला पुल का निर्माण–30 मीटर		--	स्यूंसी पर ही एक पुराना झूला पुल था अतः वहां पर नये पुल की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु पुराने पुल की जांच करने पर उसे कमजोर पाया गया । अतः अब कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।	
	9–संगलाकोटी के निकट झूला पुल का निर्माण 50 मीटर		6/1983	वर्ष 1980 से अगस्त, 1981 तक सीमेन्ट प्राप्ति व स्ट्रक्चरल स्टील की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ करने में बाधा रही। अब लोहे के कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं। पायों के निर्माण की निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।	
	10–जूनीसेरा के निकट झूला पुल का निर्माण–75 मीटर		6/1983	तदैव	